VISIONIAS™

www.visionias.in

समसामयिकी

अक्टूबर - 2015

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

राजव्यवस्था एवं प्रशासन

4. 1.1. केन्द्र-राज्य संबंध
4. 1.2. रक्षा
5. 1.3. मौलिक अधिकार/नीति निर्देशक तत्व / मौलिक कर्तव्य
6. 1.4. सुशासन और मानवाधिकार
12. 1.5. न्यायपालिका
14. 1.6. अन्य
16. 1.8. केन्द्र सरकार
17. 1.9. विविध

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध: भारत एंव विश्व

20. 2.1. कलादान मल्टीमाडल पारगमन यातायात परियोजना
20. 2.2. ब्रह्मपुत्र पर चीनी बांध
21. 2.3. नवाज शरीफ का चार-सूत्री शांति प्रस्ताव
21. 2.4. भारत और सेशेल्स
22. 2.5. नेपाल–चीन का ईंधन समझौता
23. 2.6. मालदीव में संकट
23. 2.7. भारत-अफ्रीका फोरम का तीसरा सम्मेलन
24. 2.8. भारत-जर्मन सम्बन्ध
25. 2.9. ट्रांस-पेसेफिक पार्टनरशिप
26. 2.10. अमेरिका–जापान–भारत की त्रिपक्षीय बैठक
27. 2.11. पाकिस्तान के प्रति भारत की नई रणनीति
27. 2.12. “मित्रशक्ति 2015” भारत और श्रीलंका का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास
27. 2.13. “हैंड-इन-हैंड 2015” भारत-चीन संयुक्त सैनिक अभ्यास
27. 2.14. भारत-इंडोनेशिया समुद्री अभ्यास

अर्थव्यवस्था

28. 3.1. विश्व आर्थिक फोरम के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 16 पायदान ऊपर
29. 3.2. वोडाफोन ने हस्तांतरण कीमत निर्धारण कर विवाद जीता
29. निर्णय का प्रभाव
30. 3.3. ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के बीच अंतर
30. 3.4. कारोबार करने में सरलता: भारत की स्थिति में सुधार
31. 3.5. वैश्विक निर्धनता पर विश्व बैंक की रिपोर्ट
32. 3.6. बेस इरोजन एंड प्रोफिट शिफ्टिंग (बी.ई.पी.एस.) परियोजना तथा भारत पर इसके प्रभाव
33. 3.7. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार
33. 3.8. घरेलू प्राकृतिक गैस के मूल्यों का पुनर्निर्धारण
34. 3.9. दालों के मूल्य में बढ़ोत्तरी
35. 3.10. समाचारों में यह भी
35. 3.10.3. तिरुपति में मोबाइल विनिर्माण सुविधा
35. 3.10.4. अमरावती-भूमि अधिग्रहण मॉडल

सामाजिक मुद्दे

36. 4.1 सतत विकास लक्ष्य (SDG) एवं शिशु
36. 4.2 बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ
37. 4.3. बच्चों को गोद लेने के सन्दर्भ में सरकार के दिशा निर्देश

स्वास्थ्य

38. 4.4 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति
38. 4.5. मिशन इन्द्रधनुष
39. 4.6 प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
39. 4.7 मलेरिया के विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से संघर्ष
39. 4.8 संक्रमण पर नियंत्रण
40. 4.9 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
41. 4.10. राष्ट्रीय आरोग्य निधि
41. 4.11. सामुदायिक स्वास्थ्य में महाविद्यालयी पाठ्यक्रम
41. 4.12. मधुमेह रोग की वैश्विक स्थिति पर रिपोर्ट 2015

मानव संसाधन

43. 4.13. मानव संसाधन भारत में स्कूली शिक्षा

अन्य

44. 4.14. मानव दुर्व्यापार (Human Trafficking)
44. 4.15 बंधुआ मजदूरी का दुष्चक्र

ग़रीबी और अलगाव

45. 4.16. विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार ग़रीबी आकलन
46. 4.17 भारत मे पोषण की निगरानी
46. 4.18 सस्ते आवास अभियान प्रथम परियोजना को स्वीकृति
46. 4.19 भारत और वैश्विक भूख सूचकांक

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक

VISION IAS

48. 4.20. दलितों के विरुद्ध अपराध
48. 4.21. राष्ट्रीय जनजातीय सलाहकार परिषद

महिलायें

49. 4.22. महिला सशक्तिकरण कि पहल
49. 4.23. सतत विकास लक्ष्य (SDG) और महिलायें
50. 4.24. महिलाओं के विरुद्ध अपराध
51. 4.25. सशस्त्र बलों में महिलाऐं
51. 4.26. लिंगानुपात
52. 4.27. भारत में किराये की कोख (Surrogacy)

विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी

54. 5.1. आईएनएस अस्त्रधारिणी
54. 5.2. दुनिया का सबसे ऊँचाई पर स्थित अनुसंधान केंद्र
54. 5.3. मेक इन इंडिया - हल्के सैन्य हेलिकॉप्टर
54. 5.4. निर्भय मिसाइल
56. 5.5. लून (LOON) परियोजना
56. 5.6. सुनामी पूर्व-चेतावनी प्रणाली
56. 5.7. प्रकाश संश्लेषण से बिजली उत्पादन

अन्य ख़बरें

58. 5.8. सफ़ेद मक्खी से परेशानी

अंतरिक्ष

59. 5.9. गगन
59. 5.10. किसान योजना (अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भू-सूचना के उपयोग के साथ फसल बीमा)
59. 5.11. सड़क संपत्ति प्रबंधन प्रणाली
60. 5.12. ट्राई का प्रस्ताव: सभी मोबाइल फोन में जीपीएस (Global Positioning System) अनिवार्य
60. 5.13. नासा की अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली (NASA'S SPACE LAUNCH SYSTEM-SLS)
60. 5.14. 2015 का रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार
61. 5.15. 2015 का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार
61. 5.16. कॉल ड्रॉप मुद्दा: पिछले कुछ महीनों में कॉल ड्रॉप की समस्या बिगड़ती हुई
62. 5.17. चिकित्सा शास्त्र में नोबेल पुरस्कार
62. 5.18. फ्लाइट (Flyte) - तैरता प्रकाश

आंतरिक सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था

63. 6.1. जासूस कैम्प (शिविर) योजना
63. 6.2. पुलिस नागरिक पोर्टल
64. 6.3. इंटरनेट निगरानी

पारिस्थितिकी और पर्यावरण

66. 7.1 जन दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
66. 7.3 हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन
67. 7.4 जलवायु परिवर्तन पर संदेश देती साइंस एक्सप्रेस
67. 7.5 अमेरिका-चीन पर्यावरण समझौता
67. 7.6 अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची
67. 7.7 कार्बन कर
68. 7.8 जलवायु परिवर्तन : अतिसंवेदनशील चाय उद्योग पर प्रभाव
68. 7.9 हरित बॉंड बाजार
69. 7.10 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने पुराने वाहनों पर लगाई रोक
69. 7.11 जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रतिबद्धता

 ©Vision IAS

राजव्यवस्था एवं प्रशासन

1.1. केन्द्र-राज्य संबंध

1.1.1. अनुच्छेद 370

पृष्ठभूमि:

- जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय ने (12 अक्टूबर 2015 को) निर्णय दिया कि अनुच्छेद 370 ने संविधान में स्थायित्व प्राप्त कर लिया है और यह अनुच्छेद संशोधन, निरसन या उत्सादन से परे है।
- उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 35ए राज्य में लागू वर्तमान कानूनों को "संरक्षण" प्रदान करता है। हालांकि "अनुच्छेद 370 को 'अस्थायी प्रावधान' की संज्ञा दी गई थी और यह 'अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान' शीर्षक वाले पैरा XXI (21) में सम्मिलित था, लेकिन इसने संविधान में स्थायित्व प्राप्त कर लिया है।"
- 31 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष स्वायत्त स्थिति प्रदान करने वाली धारा 370 को समाप्त करने पर केवल संसद निर्णय कर सकती है।

अनुच्छेद 370 के विषय में:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक 'अस्थायी प्रावधान' है। यह जम्मू-कश्मीर को विशेष स्वायत्त स्थिति प्रदान करता है।
- रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार को छोड़कर, अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए संसद को राज्य सरकार की सहमति चाहिए होती है।

राज्य को विशेष दर्जा:

- विधायी शक्तियां: अन्य भारतीयों की तुलना में इस राज्य के निवासी, नागरिकता, संपत्ति के स्वामित्व और मौलिक अधिकारों से संबंधित अलग कानूनों द्वारा शासित होते हैं।
- राज्य-क्षेत्र : राज्य की सीमाओं को भारतीय संसद बढ़ा या घटा नहीं सकती है और अन्य राज्यों के भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर में भूमि या संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं।
- **आपातकालीन प्रावधान:**
- केंद्र सरकार आंतरिक अशांति या आसन्न खतरे के आधार पर आपात स्थिति की घोषणा तब तक नहीं कर सकती, जब तक कि ऐसा राज्य सरकार के अनुरोध पर या सहमति से नहीं किया जाता है।
- इस राज्य में केंद्र केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
- इस राज्य में अनुच्छेद 360 के अंर्तगत वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा करने की केंद्र के पास कोई शक्ति नहीं है।
- संवैधानिक संशोधन: राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी करने के बाद ही कोई संविधान संशोधन जम्मू-कश्मीर में लागू होता है।

क्या अनुच्छेद 370 का एकपक्षीय प्रतिसंहरण किया जा सकता है?

- अनुच्छेद 370 के उपबंध 3 के अनुसार, "राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा इस बात की घोषणा कर सकता है कि यह अनुच्छेद प्रर्वतनशील नहीं रह जाएगा, बशर्ते उसे राज्य की संविधान सभा (कश्मीर) की अनुशंसा प्राप्त हो।"
- इस प्रकार, अनुच्छेद 370 का प्रतिसंहरण (रद्द) केवल कश्मीर की नयी संविधान सभा द्वारा इसकी संस्तुति के आधार पर ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।
- चूंकि राज्य का संविधान तैयार करने का कार्य पूरा करने के बाद पिछली संविधान सभा जनवरी 1957 में भंग कर दी गई थी। अत: यदि संसद अनुच्छेद 370 के प्रतिसंहरण (रद्द) के लिए सहमत है तो पहले एक नई संविधान सभा का गठन करना होगा।
- ऐसी संविधान सभा राज्य विधानमंडल के लिए चुने गए विधायकों से मिलकर गठित होगी। सीधे शब्दों में केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर राज्य की स्वीकृति के बिना अनुच्छेद 370 का प्रतिसंहरण नहीं कर सकती है।

1.2. रक्षा

भारतीय नौसेना के समुद्री डकैती रोधी गश्ती प्रयासों के कुछ तथ्य	
(A)	अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी गश्त हेतु अब तक तैनात जहाजों की संख्या: 51
(B)	विदेशी झंडे वाले जहाजों सहित 3100 से भी अधिक व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा।
(C)	इन व्यापारिक जहाजों पर सवार 23,000 से अधिक भारतीयों की सुरक्षित पहरेदारी।

1.2.1. समुद्री डकैती का उच्च जोखिम वाला क्षेत्र (एच.आर.ए)

- सी.जी.पी.सी.एस. (कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑफ पायरेसी ऑफ दी कोस्ट ऑफ सोमालिया) ने हाल ही में 1 दिसंबर 2015 से प्रभावी समुद्री डकैती के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र (एच.आर.ए.) की सीमाओं का पुनरीक्षण करने के बाद भारत के पश्चिमी तट को समुद्री डकैती के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र (एच.आर.ए.) से बाहर करने की घोषणा की है।
- इससे वर्ष 2012 के बाद से ही भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंचों पर उठाए गए भारत की समुद्री सुरक्षा से संबंधित चिंताओं का सीमा तक समाधान होने की संभावना है।
- पृष्ठभूमि: पूर्वी अरब सागर में समुद्री डकैती के प्रसार के

VISION IAS

फलस्वरूप, अंतराष्ट्रीय नौपरिवहन (जहाजरानी) उद्योग ने जून, 2010 में समुद्री डकैती के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र (एच.आर.ए.) की पूर्वी सीमा को 780 पूर्वी देशांतर तक बढ़ा दिया था। इससे भारत का पश्चिमी तट भी एच.आर.ए. के अंतर्गत आ गया था।

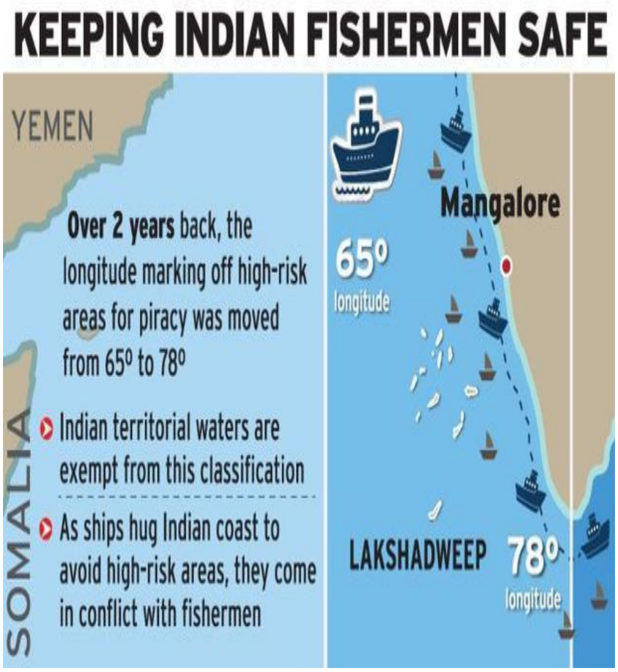

- भारत की चिंताएं: उच्च जोखिम वाले क्षेत्र (एच.आर.ए.) की पूर्वी सीमा के 650 पूर्व से 780 पूर्व तक विस्तार ने समुद्री डकैती के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र से होकर गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर निजी सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति और भारतीय तट से परे समीप शस्त्रागारों की उपस्थिति के कारण भारत की चिंताएं बढ़ा दी थीं।
- समुद्री डकैती के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र से होकर पारगमन के लिए नौपरिवहन उद्योग को भी बीमे और विभिन्न अनुशंसाओं के क्रियानवयन हेतु अतिरिक्त व्यय करना पड़ता था।

भारतीय प्रयास: भारत की सकारात्मक कार्रवाई और निगरानी में वृद्धि से भी पूर्वी अरब सागर में समुद्री डकैती की घटनाओं में कमी लाने में योगदान दिया है।

ध्यान दें: आपको यू.एन.सी.एल.ओ.एस, ई.ई.जेड आदि के विषय में भी जानना चाहिए।

> सी.जी.पी.सी.एस:
>
> सी.जी.पी.सी.एस एक अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था है। इसकी स्थापना सोमालिया तट के आस पास के क्षेत्रों में समुद्री डकैती पर संपर्क समूह के रूप में 14 जनवरी 2009 को न्यूयार्क में की गई थी। यह सोमालियाई समुद्री डकैती का दमन करने के लिए राष्ट्रों और संगठनों के बीच विचार-विमर्श और कार्रवाई में समन्वय हेतु मंच प्रदान करता है।

> वर्तमान में 60 से भी अधिक देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस मंच के अंग हैं। ये सभी सोमालियाई तट के आसपास या इससे परे समुद्री डकैती की रोकथाम की दिशा में काम कर रहे हैं।

> सी.एस.ई. मुख्य 2014:
>
> वर्ष 2012 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने समुद्री डकैती के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों का देशांतरीय सीमांकन अरब सागर में 65° पूर्व से 78° पूर्व कर दिया था। भारत की समुद्री सुरक्षा चिंताओं को यह किस प्रकार प्रभावित करता है?

1.3. मौलिक अधिकार/नीति निर्देशक तत्व / मौलिक कर्तव्य

1.3.1. समान नागरिक संहिता

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 44 से यह स्पष्ट होता है, "राज्य, भारत के संपूर्ण राज्य-क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।"

यह क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति :

- समान नागरिक संहिता का अर्थ अनिवार्यत: देश के सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म से परे व्यक्तिगत मामलों को शासित करने हेतु कानूनों के समान समूह से है।
- वर्तमान में, विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के इन पहलुओं का विनियमन विभिन्न कानून द्वारा होता है। उदाहरण के लिए एक ईसाई व्यक्ति ने तलाक लेने से पहले दो साल तक ईसाई जोड़े को न्यायिक रूप से अलग रहने की मांग करने वाले प्रावधान पर प्रश्नचिन्ह लगाया है जबकि हिंदुओं और अन्य गैर-ईसाइयों के लिए यह अवधि एक वर्ष है।

समान नागरिक संहिता में अनुच्छेद 14 और 25 की भूमिका:

- वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप और अनुच्छेद 25 के अनुसार, राज्य और इसकी संस्थाओं ने विभिन्न पर्सनल लॉ सहित धार्मिक प्रथाओं में हस्तपक्षेप नहीं किया है।
- धारणा है कि यह सिद्धांत धर्मनिरपेक्षता के विचार के विपरीत है। धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सिद्धांतों के प्रति राज्य से निष्क्रिय रहने और अहस्तक्षेप के सिद्धांत का पालन करते हुए रणनीतिक रूप से किसी भी मामले में इनका समर्थन न करने की मांग करती है।
- अनुच्छेद 25, उपबंध (2) "धार्मिक आचरण से संबंधित लौकिक गतिविधियों का विनियमन और निषेध करने के लिए कोई भी कानून बनाने के लिए राज्य को सामर्थ बनाता है – इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि समान नागरिक संहिता हेतु अनुच्छेद 25 कोई बंधन नहीं है।

- पर्सनल लॉं में विसंगति को समानता का अधिकार सुनिश्चित करने वाले अनुच्छेद 14 की कसौटी पर चुनौती दी गई है। वादियों का तर्क है कि उनका समानता का अधिकार पर्सनल लॉ के कारण खतरे में है। यह उनके लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न करता है।

समाचारों में क्यों:

- 12 अक्टूबर 2015 को सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने भारत सरकार से समान नागरिक संहिता के निर्माण से संबंधित सरकार को प्राप्त आदेश के विषय में पूछा ताकि समान मानक अपनाए जाएं और कानूनी मामलों में सभी धर्मों का समान रूप से विनियमित किया जाए।

समान नागरिक संहिता के लाभ:

- विवाह, उत्तराधिकार, परिवार, भूमि आदि से संबंधित कानून सभी भारतीयों के लिए समान होंगें ।
- इससे भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने में सहायता मिलेगी। भारतीय समाज पितृसत्तात्मक है और परिवारिक जीवन का नियमन करने के लिए पुराने धार्मिक नियमों को बनाए रखना, कही न कही भारतीय महिलाओं को पराधीनता और दुर्व्यवहार से दण्डित करना है।
- इससे समाज को आगे बढ़ने में महिलाओं के साथ उचित व्यवहार करने और उन्हें समान अधिकार प्रदान करने वाले विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की दिशा में भारत को अग्रसर करने में सहायता मिलेगी।
- विभिन्न वैयक्तिक कानूनों में कई ऐसी कमियां हैं जिसका प्रभावशाली लोग लाभ उठाते हैं। खाप पंचायत सदृश अनौपचारिक निकायों ने अभी भी निर्णय देना जारी रखा है। यह हमारे संविधान के विरुद्ध है। सम्पूर्ण देश में ऑनर किलिंग और कन्या भ्रूण हत्या के माध्यम से मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।
- इससे वोट बैंक की राजनीति को कम करने में सहायता मिलेगी। यदि सभी धर्म एक ही कानून के अंतर्गत आएंगे तो राजनेताओं के पास धार्मिक समुदायों को उनके वोट के बदले में देने के लिए कुछ नहीं होगा।
- इससे भारत के एकीकरण में सहायता मिलेगी क्योंकि कई बार वैर-भाव कुछ धार्मिक समुदायों के कानूनों द्वारा किए जाने वाले अधिमानी व्यवहार के कारण समाज में विद्वेष की भावना उत्पन्न होता है।
- समय आ गया है कि धर्म संरक्षक इन मुद्दों पर पुन: विचार करें और सदियों पुराने वैयक्तिक कानूनों को सुधारें और सहिंताबद्ध करें जो वर्तमान आधुनिकीकरण और एकीकरण की प्रवृत्तियों के अनुरूप हो अथवा वे अपने लोगों को समाप्त होने का खतरा मोल लें।

समान नागरिक संहिता लागू करने संबंधी चुनौतियां:

- भारत में वैयक्तिक कानूनों का लंबा और सशक्त इतिहास रहा है। इन्हें सरलता से समाप्त नहीं किया जा सकता है।
- भारत के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सबसे बढ़कर न्यायिक इतिहास में इस प्रकार के दूरगामी सोच को लागू करने के लिए विभिन्न समुदायों के बीच व्यापक आम सहमति बनाई जानी चाहिए।
- आम सहमति प्राप्त करने के अतिरिक्त एक समान नागरिक संहिता (यू.सी.सी.) लागू करने में सबसे बड़ी बाधा इसका मसौदा तैयार करना है। क्या यू.सी.सी. को सभी वैयक्तिक कानूनों का मिश्रण होना चाहिए या इसे संवैधानिक आदेशों का पालन करने वाला नया कानून होना चाहिए? यू.सी.सी. पर मंथन करने वाला विस्तृत साहित्य है, लेकिन प्रारूपित कोई भी आदर्श कानून नहीं है।

आगे किए जाने वाले उपाय

आधुनिक और उदार प्रवृत्तियों के आधार पर पर्सनल लॉं में सुधारों का सुझाव देने के लिए सभी समुदायों का मूल्यांकन सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। समुदायों को आश्वस्त किया जाना चाहिए कि यू.सी.सी. का उद्देश्य सुधार लाना है, न कि उनका दमन करना। समग्र सुधार की अपेक्षा टुकड़ों में सुधार की आवश्यकता है। इसका आरम्भ वैसे कानूनों से किया जाना चाहिए जिसे हटाने के लिए अल्पसंख्यक सबसे अधिक सहज महसूस करते हैं।

1.4. सुशासन और मानवाधिकार

1.4.1. स्वच्छ भारत अभियान (एस.बी.ए.)

- यह राजघाट, नई दिल्ली से 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था।
- यह गांधी जी की 150वीं जयंती यानी वर्ष 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाने की आकांक्षा रखने वाला व्यापक अभियान है।
- यह अभियान 4041 सांविधिक कस्बों और ग्रामीण भारत को सम्मिलित करता है।

स्वच्छाता की दिशा में लक्षित पूर्व के अभियान

- केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम: ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने और साथ ही महिलाओं को गोपनीयता और गरिमा प्रदान करने के लिए 1986 में आरंभ किया ।
- संपूर्ण स्वच्छता अभियान: वर्ष 1999 में आरंभ इस कार्यक्रम में, स्वच्छता की अवधारणा का विस्तार व्यक्तिगत स्वच्छता, घरेलू स्वच्छता, सुरक्षित पानी, अपशिष्ट निपटान, मलमूत्र निपटान और अपशिष्ट जल निपटान का समावेश करने के लिए किया गया था।

VISION IAS

- निर्मल भारत अभियान: एन.जी.पी की सफलता से उत्साहित होकर टी.एस.सी अभियान का नामकरण वर्ष 2012 में निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के रूप में किया गया था। 2 अक्टूबर, 2014 को इस अभियान को 'निर्मल भारत अभियान' (ग्रामीण) के रूप में पुन: आरंभ किया गया।

स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य:

- खुले में शौच का समापन।
- अस्वास्थ्यकर शौचालयों का फ्लश शौचालय में रूपांतरण।
- मैला ढोने की प्रथा का समापन।
- नगर निकायों के ठोस अपशिष्ट का 100प्रतिशत संग्रहण और प्रसंस्करण/निपटान/ पुर्नोपयोग/पुनर्चक्रण।
- स्वच्छता संबंधी स्वस्थ आदतों के संबंध में लोगों के व्यवहार में परिवर्तन।
- स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ इसके संबंधों के विषय में नागरिकों के बीच जागरूकता का सृजन।
- अपशिष्ट निपटान प्रणाली की डिजाइनिंग, कार्यान्वयन और संचालन में स्थानीय शहरी निकायों का समर्थन।
- स्वच्छता सुविधाओं के पूंजीगत व्यय संचालन और रख-रखाव के व्यय में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना।

स्वच्छ भारत अभियान (एस.बी.ए) का प्रदर्शन:

- शहरी क्षेत्रों के लिए एक वर्ष का लक्ष्य निम्नलिखित का निर्माण पूरा करना है-
- 25 लाख वैयक्तिक शौचालय।
- 1 लाख समुदायिक और सार्वजनिक शौचालय।
- 1000 शहरों में 100 प्रतिशत अपशिष्ट का संग्रहण और परिवहन सुनिश्चित करना|
- 100 शहरों में 100 प्रतिशत अपशिष्ट का प्रसंस्करण और निपटान सुनिश्चित करना।

कार्यक्रम के घटक :

1. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)
2. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
3. राष्ट्रीय स्वच्छता कोष

- शौचालय निर्माण में केवल 20-25 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया है, वहीं अपशिष्ट प्रबंधन के मोर्चे पर प्रदर्शन अत्यधिक निराशाजनक है।
- सरकार का दावा है कि उसने इस अवधि के दौरान ग्रामीण भारत में 80 लाख से भी अधिक शौचालयों का निर्माण करवाया है। हालांकि, ये संख्याएं वास्तव में अकेले स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का सूचक नहीं हैं क्योंकि इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और इंदिरा आवास योजना जैसी कई चालू योजनाओं के अंर्तगत निर्मित शौचालय भी सम्मिलित हैं।

शौचालयों के निर्माण से खुले में शौच का समापन क्यों नहीं हो सकता?

- स्वतंत्र शोधकर्ताओं के साक्ष्यों के अनुसार, इस बात से सभी सहमत हैं कि ग्रामीण भारत में काफी लोग शौचालयों का उपयोग नहीं करना चाहते हैं जबकि सरकार उन्हें घर-घर तक तेजी से पहुंचा रही है।
- भले ही लोगों के पास शैचालय है, फिर भी वे खुले में शौच करते हैं। ऐसी स्थिति इस तथ्य के बाद है कि ये शौचालय विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा समर्थित मूल डिजाइन के संशोधित रूप हैं और भारत से भी अधिक गरीब देशों में व्यापक रूप से इनका प्रयोग किया जा रहा है।
- गुणात्मक और सांख्यिकीय साक्ष्यों की श्रृंखला से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकार के शौचालय पवित्रता और प्रदूषण की संस्कृति के साथ भली-भाती मेल नहीं खाते हैं। यह जाति-प्रथा को भी आधार प्रदान करता है।

मैसूर केस स्टडी - स्वच्छ स्ट्रीट फूड

- सरकार द्वारा 476 शहरों के लिए जारी स्वच्छ भारत रैंकिंग में मैसूर शहर पहले पायदान पर रहा।
- मैसूर नगर निगम ने एन.यू.एल.एम. के अंतर्गत स्वच्छ स्ट्रीट फूड के रूप में नया कदम उठाया है।
- इसके अंतर्गत, दो फूड जोन विकसित किए जाएंगे और कुछ शर्तों को पूरा करने वाले गलियों के फूड वेंडरों को वहां स्थान प्रदान किया जाएगा।
- इन फूड जोन्स में भोजन बेचने की अस्थाई व्यवस्था के साथ-साथ पेयजल, बैठने के लिए स्थान और टॉयलेट जैसी सुविधाएं होंगी।
- संभवत: यह कदम स्वच्छ भारत अभियान से अपनी जगह खोने वाले स्ट्रीट फूड वेंडरों के पुनर्वास के लिए हेतु उठाया गया है।

- लोग अपने घरों के निकट शौचालय के गड्ढे में मल जमा नहीं करना चाहते हैं; उन्हें लगता है कि शौचालय के गड्ढे अति शीघ्र भर जाएंगे जबकि वास्तविकता इससे परे होती है और वे इस बात को लेकर भी चिंतित होते हैं कि शौचालय के गड्ढे कैसे खाली किए जाएगें।
- जाति-प्रथा के कारण ग्रामीण भारत में शौचालय के गड्ढे खाली करवाना गंभीर रूप से जटिल समस्या है।

भावी उपाय:

- चाहे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हो या खुले में शौच का मामला, भौतिक अवसंरचना उपलब्ध कराने के साथ-साथ व्यवहार में

VISION IAS

परिवर्तन लाने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

- भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए स्वतंत्र निगरानी समीक्षा प्रणाली होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, कुछ गांवों में निर्मित शौचालयों की संख्या बढ़ाने के लिए अलग-अलग लोग एक ही शौचालय को दिखाते है ।
- ध्यान केवल बनाई गई शौच इकाइयों की संख्या को पूरा करने पर ही नहीं केंद्रित होना चाहिए बल्कि समाज में गुणात्मक परिवर्तन लाया जाना चाहिए।

स्वच्छ भारत के लिए कुछ पहलें:

स्वच्छता के लिए शहरों का श्रेणीकरण किया जाएगा

- शहरी विकास मंत्रालय ने 75 प्रमुख शहरों और राज्यों की राजधानियों के श्रेणीकरण हेतु स्वच्छता परिदृश्य के सर्वेक्षण का शुभारंभ किया है।
- सर्वेक्षण मापदंडों का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने के साथ-साथ स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों के साथ ताल-मेल बनाया गया है।
- यह माना जाता है कि खराब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।

सर्वेक्षण:

- प्रस्तावित सर्वेक्षण और तत्पश्चात श्रेणीकरण अगले वर्ष जनवरी में पूरा होने की आशा है।
- इस पहले का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों की राजधानियों और प्रमुख शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना है।
- मापदंडों में सम्मिलित है
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को 60प्रतिशत वेटेज दिया जा रहा है।
- घरेलू व्यक्ति शौचालय और सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय की उपलब्धता व उपयोग।
- शहरी स्तर पर स्वच्छता योजनाएं।
- सूचना, शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन संचार (आई.ई.बी.सी.) क्रियाकलाप।

मिशन के समर्थन हेतु नवीन टैरिफ नीति:

- नई टैरिफ नीति में सरकार शहरों के 100 किलोमीटर की परिधि में स्थित बिजली संयंत्रों के लिए प्रसंस्कृत अपशिष्ट जल का उपयोग करना और आस-पास के क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल प्रदान करना अनिवार्य बनाएगी।
- इसमें स्थानीय बिजली वितरण कंपनियों के लिए अपशिष्ट से उत्पादित बिजली की खरीद को अनिवार्य बनाया जाएगा।

इन उपायों से स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा।

- लोगों को शौचालयों के उपयोग के लाभों के विषय में जागरूक करने और इस प्रकार के शौचालयों के उपयोग के विषय में फैली भ्रांतियों का उन्मूलन करने व पारंपरिक प्रथाओं से बाहर निकलने हेतु जागरूकता कार्यक्रम आरंभ किये जाने चाहिए।
- निर्मित शौचालयों की संख्या पर नजर रखने के स्थान पर ऐसे निगरानी तंत्र का विकास किया जाना चाहिए। जो खुले में शौच के स्तर में आई कमी; निर्मित शौचालयों के उपयोग का स्तर; नगर निकायों के अपशिष्ट की मात्रा में आई कमी और प्राप्त स्वच्छता आदि की मात्रा (प्रतिशत) पर रिपोर्ट दे सके।

सी.एस.ई. 2006

भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के संदर्भ में निर्मल ग्राम पुरस्कार क्या है?

(a) यह गांवों में निवास करने वाले परिवारों की अकेली बालिका शिशुओं के लिए छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना है।

(b) यह किसी भी खेल में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली गांवों की महिला खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना है।

(c) यह कंप्यूटर शिक्षा के लिए गांवों के स्कूलों के लिए प्रोत्साहन योजना है।

(d) यह पंचायती राज संस्थानों के लिए प्रोत्साहन योजना है।

1.4.2. आधार: विभिन्न आयाम

पृष्ठभूमि:

- सर्वोच्च न्यायालय ने 15 अक्टूबर को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), जन-धन योजना, पेंशन और भविष्य निधि योजनाओं के लिए आधार कार्ड के प्रयोग की अनुमति दे दी। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक, इरडा, सेबी और ट्राई जैसे इसके विभिन्न नियामकों ने इस पर रोक हटाने का अनुरोध करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था ताकि आधार का उपयोग अन्य सेवाओं से जोड़ने के लिए किया जा सके।
- 11 अगस्त 2015 को एक अंतरिम आदेश में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि 'यू.आई.डी.ए.आई/आधार का उपयोग सार्वजानिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस), मिट्टी के तेल और रसोई गैस की वितरण प्रणाली को छोड़कर किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा" और यह भी स्पष्ट कर दिया था कि इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा।

आधार कार्ड: एक नजर

- यह देश के नागरिकों को विशिष्ट पहचान संख्या उपलब्ध कराने

VISION IAS

की एक महत्वाकांक्षी योजना है।

- आधार योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक नागरिक को 12 अंकों की अद्वितीय संख्या प्रदान की जाएगी।

आधार योजना के कार्य:

- वर्तमान में पासपोर्ट, स्थायी खाता संख्या (पैन), ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड सहित भारत में पहचान दस्तावेजों का अम्बार लगा है।
- आधार कार्ड/यू.आई.डी. इन पहचान दस्तावेजों की जगह नहीं लेगा बल्कि अन्य चीजों के लिए आवेदन करते समय एकमात्र पहचान साक्ष्य के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकेगा।
- यह ग्राहक का प्रोफाइल रखने वाले बैंकों, वित्तीय संस्थानों, दूरसंचार कंपनियों और उद्योग व अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 'अपने ग्राहक को जानें' (के.वाई.सी.) के मानदंडों के आधार के रूप में काम करेगा।

भारत की निर्वाचन प्रक्रिया में आधार कैसे उपयोगी हो सकता है:

- इसकी नकल बनाने की संभावना न के बराबर है क्योंकि इसमें पहचान के निर्माण के लिए बायोमेट्रिक मापदंडों (फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन) का उपयोग किया जाता है।
- सत्यापन प्रक्रिया सरल है क्योंकि पहचान की पुष्टि हेतु चुनाव अधिकारियों को केवल आधार संख्या की आवश्यकता होगी।
- आधार का उपयोग करके, फोटो आई.डी. कार्ड को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सकता है। इससे लागत की भी बचत होगी।
- इससे एक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति का मतदाता सूची में नामांकन करना और साथ ही विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से उसका नाम हटाना संभव होगा। इस प्रकार नकल से बचा जा सकेगा और मतदाता का नामांकन सरल हो जाएगा।
- चूँकि आधार कार्ड अल्पवयस्कों के लिए भी जारी किए जा सकते हैं। अत: 18 वर्ष का होने पर मतदाता सूची में उनका समावेश सहज ही हो जाएगा। इससे 18-25 आयु समूह की गणना में भी सुधार होगा। ये अभी से अल्प गणना की स्थिति में है जोकि खेदजनक हैं।
- भविष्य में, इसमें ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने की क्षमता है।

आधार और निजता का अधिकार:

पृष्ठभूमि

- ऐसे कई उदाहरण हैं जब जन-धन योजना के अंतर्गत खाता खोलने, पासपोर्ट सत्यापन, भविष्य निधि लेनदेन, एलपीजी का लाभ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित लाभों को प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया था। हालांकि, विरोध के बाद यह आदेश वापस लेना पड़ा था।
- सितंबर 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि आधार कार्ड न होने के कारण कोई भी नागरिक सरकारी लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मनरेगा, सभी प्रकार की पेंशन योजनाओं, प्रधानमंत्री जन-धन योजना और ई.पी.एफ. जैसी योजनाओं के लिए आधार कार्ड के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति प्रदान की है।
- वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से मीडिया में इस बात का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा कि नागरिकों को अन्यथा देय लाभों को पाने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है।

आधार कार्ड के साथ निजता के मुद्दे:

- विश्वसनीय और सरल, सुरक्षा व्यवस्था के बिना बायोमेट्रिक डेटा के बड़े पैमाने पर संग्रह का परिणाम गोपनीयता के उल्लंघन के रूप में सामने आ सकता है।
- आधार परियोजना के लिए किसी भी विधायी समर्थन के बिना वैयक्तिक सूचना प्रदान करने को कह कर सरकार नागरिकों के गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन कर रही है।
- वैयक्तिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई सुरक्षात्मक उपाय या दंड और विधायी समर्थन नहीं है।
- एकत्रित आंकड़ों के दुरुपयोग और चोरी से रक्षा हेतु कोई स्पष्ट मानदंड और कानूनी प्रावधान नहीं हैं।
- आधार के प्रशासक यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.), संसदीय निरीक्षण से स्वतंत्र कार्य करता है।
- सतही तौर पर यह (आधार) पहचान का एक सरल दस्तावेज है, लेकिन इसका आइरिस स्कैन और बायोमेट्रिक विवरण से संबंध है। पहचान की अदला-बदली होने या ग़लत समझ लिये जाने के परिणामों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है।
- समावेश यह गैस एजेंसी, बैंक, राशन कार्ड, मतदाता पहचान आदि जैसे प्रत्येक डेटा बेस में आधार संख्या का समावेश है। विभिन्न डाटा बेसों में समावेश से वैयक्तिक सूचनाओं का मिलान उल्लेखनीय रूप से सरल हो जाता है। साथ ही यह राज्य और उसकी एजेंसियों के लिए नागरिकों पर नज़र रखना संभव हो जाएगा।
- भारत सरकार की आर्वेलियन प्रकार की केंद्रीय निगरानी प्रणाली (सी.एम.एस.) इस संदेह को हवा देती है कि राज्य व्यक्तियों और समूहों की निगरानी और प्रलेखन के लिए समग्र आधार आंकड़ों का उपयोग करेगा।

सरकार का तर्क:

- निर्धनों को अपनी निजता का अधिकार त्यागना पड़ेगा: महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि सामाजिक लाभों के लिए सरकार पर निर्भर निर्धनों

VISION IAS

को लाभ प्राप्ति जारी रखने के लिए निजता (यदि कोई है) का अपना अधिकार त्यागने को तैयार रहना चाहिए।

- परियोजना का परित्याग: कार्यान्वयन रोकने के लिहाज से अत्यधिक देरी हो चुकी है क्योंकि पहले ही आधार पर बहुत बड़ी धनराशि व्यय की जा चुकी है और यह 80 करोड़ लोगों तक पहुँच चुका है।
- सर्वोच्च न्यायालय लाभ सीमित कर रहा है: सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिबंध अन्य सामाजिक लाभ योजनाओं और सेवाओं तक सरल पहुंच चाहने वाले करोड़ों आधार कार्ड धारकों के मार्ग में आड़े आ रहा है।
- पूर्ण रूप से स्वैच्छिक: यदि आधार कार्ड धारक यू.आई.डी. प्रणाली से बाहर निकलना चाहता है तो वह अपनी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी सहित अपना कार्ड ब्लॉक कर सकता है। आधार के अंतर्गत नामांकन कराना पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है।

क्या होना चाहिए :

- सरकार का सबसे मौलिक दायित्व अपने नागरिकों के अधिकारों (उनके जीवन निर्वाह के अधिकार और स्वतंत्रता को संभव बनाने वाले उनके निजता के अधिकार) की समान रूप से रक्षा करना है।
- सरकार यह रवैया नहीं अपना सकती कि सरकार के संरक्षात्मक उत्तरदायित्व का केवल एक पहलू महत्व रखता है अर्थात् सामाजिक लाभ के बदले में गरीबों पर निजता के त्याग की कीमत थोपी जा सकती है।
- इस वर्तमान विवाद के अंतिम या सर्वमान्य समाधान में यह समझा जाना चाहिए कि नागरिकों को गुणवत्तापरक और निष्कपट सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए आधार की और उनकी निजता बनाए रखने के लिए नागरिकों के बॉयोमीट्रिक डेटा की सुरक्षा और पहुंच से संबंधित कड़े नियमों की आवश्यकता है।

देश को न केवल नागरिकों के पहचान के ब्यौरे के डिजिटलीकरण के सुरक्षित माध्यम की आवश्यकता है बल्कि अनाधिकृत निगरानी और दुरुपयोग से उन की निजता के और वैयक्तिक सूचना की रक्षा करने के लिए व्यापक कानूनों की भी आवश्यकता है। सूचना का संग्रहण करने वाली एजेंसियों के संचालन के लिए स्पष्ट रूप से ढांचे की रूपरेखा देने वाले निजता के अधिकार और यू.आई.डी.ए.आई., दोनों के संहिताकरण को प्राथमिकता देकर सरकार आधार के प्रयोग की अनिश्चितता को दूर कर सकती है और आधार को उसकी पूरी क्षमता के साथ प्रयोग कर सकती है।

उर्वरकों के लिए आधार आधारित सब्सिडी हस्तांतरण अधर में लटका:

- भारत सरकार ने 2012 में ही उर्वरकों के लिए सीधे नकद सब्सिडी देने का निर्णय लिया था।
- लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है।
- वास्तविक लाभार्थियों के पहचान की समस्या
- कारण - भारत में अधिकांश खेती अनुबंध के आधार पर की जाती है। इसे बटाई पर खेती के रूप में भी जाना जाता है।
- अनुपस्थित भूस्वामी की समस्या ने लाभार्थियों की पहचान करने की समस्या पैदा कर दी है।
- भू-अभिलेख, पहचान की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने वाले प्रारूप में नहीं रखे गए हैं। इससे आगे और देर होती है।
- वर्तमान प्रणाली में संयंत्रों से उर्वरक थोक विक्रेताओं और गोदामों पर चले जाने के बाद वित्त का अंतरण कर दिया जाता है। सरकार वर्तमान प्रणाली की बजाय सब्सिडी को बिक्री से जोड़ना चाहती है। लेकिन वास्तव में बाजार में कितना बिक रहा है, सरकार के पास इसके आंकड़े नहीं हैं।
- अपने अंतरिम आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रसोई गैस हेतु सब्सिडी देने के लिए आधार के उपयोग पर रोक लगाई है।

1.4.3. भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली

तथ्य और आंकड़े:

- वर्ष 2014 के राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों से निम्नलिखित प्रमुख तथ्य उजागर हुए हैं-
  1. भारत में कैदीयों से भरी जेलों में लगभग 68 प्रतिशत कैदी विचाराधीन हैं।
  2. अपराधी करार 70 प्रतिशत लोग अशिक्षित थे।
  3. गोवा, पंजाब, गुजरात और हरियाणा जैसे समृद्ध राज्य तीन महीनों से भी अधिक समय तक कैद रहने वाले विचाराधीन कैदियों के सर्वोच्च प्रतिशत के साथ शीर्ष राज्यों में से हैं।

चुनौतियां:

- विचाराधीन कैदियों की अनुपात से अधिक संख्या से आपराधिक न्याय प्रणाली की अक्षमता का पता चलता है।
- भारतीय जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों में अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के कैदियों की संख्या अधिक है। यह इनके प्रति अत्यधिक पक्षपातपूर्ण प्रतीत होता है।
- अवसंरचनागत कमियों और अक्षमताओं ने न्याय प्राप्ति की कीमत को अत्यधिक उच्च बनाए रखा है।
- सरकारी अधिकारियों की सुधार मानसिकता और सामाजिक मुद्दों के प्रति असंवेदनशीलता ने पूर्वाग्रहों को स्थापित करने में योगदान दिया है।
- जांच में देरी मुकदमे (ट्रायल) की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। अधिकांश राज्यों में पुलिस बल की कमी के साथ-साथ सुरक्षा

VISION IAS

उपकरणों का अभाव है। पुलिसकर्मी आधुनिक जांच पद्धतियों के अनुसार कार्य हेतु अप्रशिक्षित हैं और सबसे बढ़कर तो यह कि वे राजनीतिक हस्तक्षेप और नियंत्रण की चपेट में है।

- मुस्लिमों का अनुपात मात्र 6.5 प्रतिशत है।

क्या किया जाना चाहिए:

- वर्ष 1987 में विधि आयोग ने माना था कि भारत में जनसंख्या और न्यायाधीशों का अनुपात कम होने के कारण न्यायालयों में मुकदमे लंबित हैं। आयोग ने भारत में 10 लाख की आबादी पर न्यायाधीशों का औसत 10 से बढ़ाकर 50 करने की अनुशंसा की थी। तब से लेकर करीब 25 वर्ष बीत जाने के बावजूद अनुपात में कोई सुधार नहीं हुआ है।
- इसके लिए भौतिक अवसंरचना का विस्तार किया जाना चाहिए और प्रणाली में व्याप्त गतिरोध दूर करने हेतु आवश्यक सहयोगी स्टाफ उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- "सामाजिक, आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय के अवसरों से वंचित न रहे" यह सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा था इसके कार्यान्वयन की गति बढ़ाने की आवश्यकता है।
- जांच प्रणाली में सुधार लाने हेतु पुलिस सुधारों को भली-भांति लागू किया जाना चाहिए।
- पुलिस बल के प्रशासन के लिए और अधिक वित्तीय व मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है ताकि इसका प्रभावी संचालन हो सके।

1.4.4. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण एक नयी प्रणाली है। इसमें सब्सिडी और लाभ, दोनों इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता के बैंक खातों में अंतरित किए जाते हैं। इसमें फंड के प्रवाह में सम्मिलित स्तरों को कम करके भुगतान में होने वाली देरी को कम किया जाता है जिससे वास्तविक लाभार्थियों को लक्षित करने के साथ-साथ चोरी व दोहरे लाभ को रोकना संभव होता है।

समाचारों में क्यों?

- सरकार ने कहा है कि उसने 'पहल' नाम से एल.पी.जी. सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के अंतर्गत एल.पी.जी. सब्सिडी में एक वर्ष में 14,672 करोड़ रुपये की बचत की है।
- नकली या फ़र्जी 3.34 करोड़ ग्राहकों को ब्लॉक करने के फलस्वरूप इस बचत में वृद्धि हुई है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लाभ

- लाभार्थियों के बैंक खातों में लाभों का इलेक्ट्रॉनिक अंतरण
- सटीक लक्ष्य निर्धारण

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय प्रणाली तक पहुँच को तीव्र एवं सरल बनाने के उद्देश्य से ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 से लागू हो गया। हालांकि इसे उचित तरिके से कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। राष्ट्र में करीब 5000 ग्राम न्यायालयों का लक्ष्य रखा गया था जबकि केवल 152 ऐसे न्यायालय ही स्थापित किए जा सके हैं। उचित कार्यान्वयन न होने के पीछे प्रमुख कारणों में वित्तीय बाधाएं, अधिवक्ता, पुलिस एवं अन्य सरकारी अधिकारियों की अनिच्छा रही है।

- अप्रतिरूपण
- धोखाधड़ी में कमी
- जानकारी और निधि के सरल प्रवाह के लिए योजना संबंधी प्रक्रियाओं की पुन: इंजीनियरिंग
- अधिक उत्तरदायित्व

चुनौतियां:

- मनरेगा, इंदिरा आवास योजना आदि जैसी योजनाओं में ग्रामीण लाभार्थियों की संख्या बहुत अधिक है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित बैंक कवरेज और बैंकिंग अभिकर्ता मॉडल का खराब कार्य प्रदर्शन।
- अधिकतर ग्रामीण लाभार्थियों के खाते डाकघरों में हैं। ये अभी भी कोर बैंकिंग साल्यूशन में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में हैं।
- प्रत्येक व्यक्ति को बैंक खाता और आधार संख्या उपलब्ध कराना।
- बैंक खाते के विवरणों की आधार संख्या के साथ सीडिंग (समावेश)
- हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को मनरेगा, जन धन योजना, स्वैच्छिक आधार पर पेंशन और भविष्य निधि योजनाओं आदि जैसी योजनाओं के लिए आधार संख्या का उपयोग करने की अनुमति दे दी है, लेकिन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सफलता एक हद तक न्यायालयों में चल रहे मामलों के परिणाम पर टिकी है जिसमें विभिन्न योजनाओं के लिए आधार कार्ड के उपयोग को चुनौती दी गई है।
- केंद्र-राज्य सरकार समन्वय क्योंकि अधिकांश योजनाओं में राज्य सरकारें मुख्य भूमिका निभा रही है।

निष्कर्ष:

जहाँ चुनौतियां हैं, वहीं आधार द्वारा प्रदान किए जा रहे लाभ अनेक हैं। इनमें से प्रत्येक चुनौती पर सावधानी पूर्वक विचारण व नीति एवं उसके कार्यान्वयन के बीच समन्वय से इन अन्तरालों को पूर्ण करने में लंबा सफर तय किया जा सकता है। पायलट परियोजनाओं से सीखे गए सबक सावधानी पूर्वक समावेशित किए जाने की आवश्यकता है। यदि योजनानुसार क्रियान्वित किया जाता है तो, डी.बी.टी भारत में शासन में सुधार लाने में लंबा सफर तय कर सकता है।

1.4.5. सूचना का अधिकार संबंधी नवीन जानकारियां

केन्द्रीय सूचना आयोग सी.आई.सी. में आर.टी.आई. अनुरोध की

VISION IAS

स्वीकार्यता घटी :

हाल ही में, एक आर.टी.आई. आवेदन से पता चला है कि पहले की तुलना में केंद्रीय सूचना आयोग आर.टी.आई. आवेदन बहुत कम संख्या में स्वीकार कर रहा है।

- यह कम स्वीकृति आर.टी.आई. आवेदन में तकनीकी कमियों के कारण हो रही है।
- फलस्वरूप, सी.आई.सी. के समक्ष लम्बित मामलों की उच्च मात्रा धीरे-धीरे कम होने लगी है।

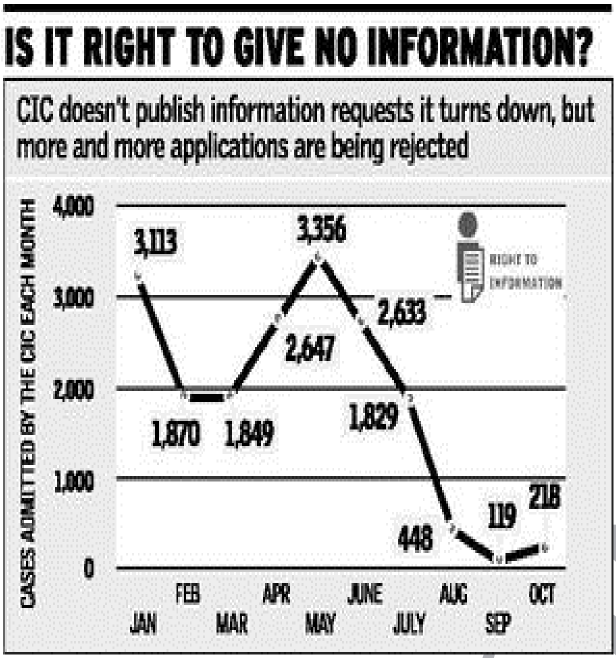

- इस के अतिरिक्त, सी.आई.सी. अस्वीकार करने या वापस करने के कारणों के साथ-साथ, सूचना प्रादन करने संबंधी ठुकराए गए सभी अनुरोधों का खोजने (सर्च) योग्य आंकड़ों का संग्रह (डेटाबेस) भी नहीं रखता है।

संस्थागत सुधारों की आवश्यकता:

- **आयुक्त का निलंबन :** जांच की अवधि के दौरान, राज्यपाल सूचना आयुक्त को निलंबित कर सकता है या पद ग्रहन करने से भी रोक सकता है। इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए क्योंकि यह निर्णायक रूप से स्पष्ट है कि वास्तविक दंड देने वाला प्राधिकारी राज्यपाल नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय है जबकि राज्यपाल केवल नियुक्ति प्राधिकारी है।
- **मंत्रियों के लिए शपथ :** हमारे मंत्रियों को दिलाई जाने वाली शपथ का प्रारूप उनके द्वारा यह कहे जाने की मांग करता है कि वे किसी भी अधिकारिक कार्यवाही का तब तक खुलासा नहीं करेंगे जब तक कि उनके सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए वैसा करना आवश्यक न हो। उनकी शपथ सूचना के अधिकार कानून से सीधे टकराती है।
- **स्वायत्तता:** इस प्रकार चुनाव आयोग की तर्ज पर सूचना आयोग को भी पूर्ण रूप से स्वायत्त संवैधानिक संस्था बनाना चाहिए।

1.4.6. सरकारी विज्ञापन

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से उस निर्णय की समीक्षा करने की मांग की है जिसमें सरकार द्वारा जारी विज्ञापनों में राजनीतिक नेताओं और मुख्यमंत्रियों की तस्वीरों के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई है।

सरकार के विचार :

- सरकार का मानना है कि एक सहभागी लोकतंत्र में लोगों के पास सरकारी कल्याणकारी कार्यों के विषय में जानने का अधिकार होता है।
- मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों की तस्वीरों का प्रकाशन प्रतिबंधित करना शासन के संघीय ढांचे के विपरीत है।

विपरीत विचार:

- विज्ञापन राजनीतिक विरोधियों पर सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को लाभ देते हैं।
- इस प्रकार के विज्ञापनों में दलगत राजनीति को बढ़ावा देने, सत्ताधारी दल का पक्षपोषण करने और विपक्ष को प्रतिकूल रूप से प्रकट करने या उसकी बुरी छवि प्रस्तुत करने की क्षमता होती है।
- कुछ लोग सरकारी विज्ञापनों में प्रधानमंत्री की तस्वीर पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहें हैं क्योंकि यह व्यक्ति प्रशंसा को बढ़ावा देता है।

पृष्ठभूमि:

- मई 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे।
- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मुख्यमंत्रियों सहित राजनीतिज्ञों और सरकारी पदाधिकारियों की तस्वीरों का प्रकाशन कल्याणकारी योजनाओं के विज्ञापन के पीछे जनहित को प्रभावित करता है और "व्यक्ति प्रशंसा" को बढ़ावा देता है।

1.5. न्यायपालिका

1.5.1. एन.जे.ए.सी अधिनियम असंवैधानिक और अमान्य

- सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (National Judicial Appointment Commission) की स्थापना हेतु 99वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था।
- इसकी परिकल्पना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाले एक स्वतंत्र आयोग के रूप में की गई थी।
- इसका गठन तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों, दो प्रख्यात बाहरी व्यक्तियों और कानून मंत्री से मिलकर होना था।
- संवैधानिक संशोधन संसद द्वारा पारित कर दिया गया था और 20 राज्यों द्वारा इसकी पुष्टि भी कर दी गई थी।

- हालांकि, इससे पहले कि इसे अधिसूचित किया जाता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता में सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने के प्रयास के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी गई।
- एन.जे.ए.सी के गठन का उद्देश्य भारतीय उच्च न्यायपालिका की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार लाना था।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

- न्यायालय ने 4-1 के बहुमत से 99 वें संशोधन को निरस्त कर दिया।
- न्यायालय ने कहा कि 'एन.जे.ए.सी में न्यायिक घटक को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है।
- संविधान का नवीन प्रावधान "न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति के संबंध में न्यायपालिका की प्रधानता को सुरक्षित करने के लिए अपर्याप्त हैं।
- न्यायालय ने आगे कहा कि "एन.जे.ए.सी के पदेन सदस्य के रूप में विधि और न्याय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री के समावेश के कारण अनुच्छेद 124 ए (1), संविधान के उपबंधों से परे है।

न्यायपालिका की प्रधानता वांछित है क्योंकि -

- सरकार प्रमुख वादी: चूंकि सरकार एक प्रमुख वादकारी शक्ति या वादी है, नियुक्तियों के मामले में इसे वरीयता देने का अर्थ न्यायालय को फिक्स करना होगा।
- न्यायापालिका की स्वतंत्रता : इसे संविधान का मूल स्वरूप समझा गया है और एनजेएसी को इसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाला बताया गया।
- भारतीय संविधान के निर्देशों के अनुसार, कार्यपालिका एवं न्यायापालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन को संभव बनाने हेतु।

- न्यायालय ने यह भी कहा कि "यह संशोधन ' 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता" के साथ ही, "शक्तियों के विभाजन" के सिद्धांतों के भी विरुद्ध है।
- एन.जे.ए.सी के सदस्य के रूप में दो "प्रख्यात व्यक्तियों" का समावेश करने का प्रावधान करने वाला उपबंध संविधान के प्रावधानों से परे है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के तरीकों पर नवंबर के महीने में सुनवाई करने का प्रस्ताव रखा है।

भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति :

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कॉलेजियम की अनुशंसा पर करते हैं। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

- अनुच्छेद-124 यह व्यक्त करता है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा जिनसे वह परामर्श करना आवश्यक समझे। भारत के मुख्य न्यायाधीश से सिवाय उसकी नियुक्ति को छोड़कर अन्य सभी नियुक्तियों में परामर्श किया जाएगा।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद-217 यह व्यक्त करता है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा।

इनमें से कोई भी कॉलेजियम प्रणाली पर चर्चा नहीं करता है।

कॉलेजियम प्रणाली का विकास:

- फर्स्ट जजेज केस (न्यायधीशों से सम्बंधित प्रथम वाद) वर्ष 1981: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई संस्तुति को "ठोस कारणों" से अस्वीकार कर सकता है। इसने कार्यपालिका के हाथों में और अधिक शक्ति दे दी।
- सेकण्ड जजेज केस (न्यायधीशों से सम्बंधित द्वितीय वाद) वर्ष 1993: इसे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के रूप में भी जाना जाता है। इसने कॉलेजियम प्रणाली हेतु मार्ग प्रशस्त किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तियों में "प्रमुख" भूमिका होगी।

वेंकटचेलैया आयोग:

कॉलेजियम प्रणाली को परिवर्तित करने की आवश्यकता को जानने हेतु सरकार ने जस्टिस एम.एन. वैंकटचेलैया आयोग का वर्ष 2000 में गठन किया। आयोग ने परिवर्तन के पक्ष में विचार दिए और एन.जे.ए.सी. की संस्तुति की।

इसका गठन सी.जे.आई. के साथ-साथ वरिष्ठतम न्यायाधीशों, विधि मंत्री एवं प्रख्यात व्यक्तित्व (जिसका चयन राष्ट्रपति द्वारा सी.जे. आई. के परामर्श से किया जाना चाहिए) से मिलकर होना चाहिए।

- थर्ड जजेज केस (न्यायधीशों से सम्बंधित तृतीय वाद) वर्ष 1998: राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-124 और 217 के अंतर्गत "परामर्श" शब्द के अर्थ पर सर्वोच्च न्यायालय को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जारी किया। प्रत्युत्तर में, सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली के संचालन हेतु दिशा निर्देश निर्धारित किए।

न्यायिक सुधारों हेतु सुझाव :

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। अधिकांश उच्च न्यायालय आधी या एक तिहाई स्वीकृत संख्या के साथ कार्य कर रहे हैं।
- कॉलेजियम की गलती से नियुक्त हो जाने वाले संदेहास्पद निष्ठा

VISION IAS

वाले व्यक्तियों को निकाला जाना चाहिए। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जैसा तरीका एक विकल्प हो सकता है।

- न्यायालयों के मूलभूत ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। यदि सभी रिक्तियां भर भी दी जाएं तो पर्याप्त न्यायालय हॉल, कक्ष या स्टाफ नहीं हैं।
- लंबित वादों का निपटारा करने के लिए तदर्थ या अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए। कॉलेजियम तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में सामान्यत: सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करना चाहता है।
- सर्वोच्च न्यायालय को कॉलेजियम के पारदर्शी संचालन के लिए संस्थागत तंत्र की रूपरेखा सामने रखनी चाहिए।
- कालेजियम को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन स्वीकार करना चाहिए। ब्रिटेन में इसका अनुसरण किया जाता है और भारत में भी इसे अपनाया जा सकता है।
- पदासीन और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से आवेदकों के रिश्तों एवं संबंधों का पूर्ण व स्पष्ट प्रकटीकरण होना चाहिए।
- विचार के लिए महत्वपूर्ण मामलों में उपस्थिति सहित न्यूनतम पात्रता मानदंड जारी किए जाने चाहिए।
- राज्य के तीनों अंगों को इस बात का आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि आखिर क्यों उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं या अपर्याप्त है।
- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए समान सेवानिवृत्ति आयु का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि कॉलेजियम के सदस्यों की दृष्टि में अच्छा बने रहने की चाह रखने वाले कुछ न्यायाधीशों के वर्तमान व्यवहार से बचा जा सके।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के लिए न्यूनतम कार्यकाल का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- न्यायालयों का प्रबंध न्यायिक अधिकारियों में निहित नहीं होना चाहिए बल्कि प्रशिक्षित प्रबंधकों को सौंपा जाना चाहिए।
- उम्मीदवारों की साख की जांच करने और कॉलेजियम के लिए नामों की संस्तुति करने हेतु स्थाई आयोग का गठन किया जा सकता है। इन स्थायी आयोगों को ग़ैर ईमानदारी की शिकायतों और न्यायाधीशों में निष्ठा की कमी की जांच करने में सक्षम होना चाहिए।

आगे का मार्ग :

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कार्यपालिका ने आलोचनात्मक ढंग से ग्रहण किया। तथापि, एन.जे.ए.सी पर निर्णय को संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव का मार्ग प्रशस्त करने वाले निर्णय के रूप में देखने की बजाय, कार्यपालिका को संस्थागत ढाँचा तैयार करने में सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करने के अवसर के रूप में इस का उपयोग करना चाहिए ताकि नियुक्तियां निष्पक्ष और पारदर्शी हो सकें।

1.6. अन्य

1.6.1. मनरेगा में नवीनतम पहलें

सिविल इंजीनियरिंग में "बेअर फुट" तकनीशियनों का प्रशिक्षण:

- सरकार ने 10,000 युवा "बेअर फुट" तकनीशियनों को सिविल इंजीनियरिंग की मूलभूत अवधारणाओं में प्रशिक्षित करने और सारे भारत में 2500 सबसे पिछड़े ब्लॉकों में मनरेगा के कामों की योजना बनाने, व्यवस्थीकरण करने , मापन और पर्यवेक्षण करने में उन्हें सम्मिलित करने का निर्णय किया है।
- "बेअर फुट" तकनीशियन अनुकूलित प्रशिक्षण मॉड्यूल का उपयोग करने वाले स्थानीय अनुसूचित जाति/ जनजाति के मनरेगा कार्यकर्ता परिवारों से पहचाने गए और विशेष रूप से सिविल इंजीनियरिंग की अवधारणाओं में प्रशिक्षित-शिक्षित व्यक्ति होते हैं।
- बेहतर प्रशिक्षण और कौशल विकास केवल टिकाऊ और अच्छी गुणवत्ता वाले कार्यों के निर्माण में ही योगदान नहीं देगा बल्कि परिसंपत्तियों के और अधिक टिकाऊ रखरखाव में भी योगदान देगा।
- इससे रोजगार भी मिलेगा और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के इन युवा महिलाओं और पुरुषों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता भी मिलेगी।

1.6.2. भारतीय कौशल विकास सेवाएं

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल विकास के लिए एक समूह 'ए' सेवा का गठन करने की स्वीकृति दे दी है। इसे भारतीय कौशल विकास सेवा कहा जाएगा।

भारतीय कौशल विकास सेवा :

- यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत एक समर्पित कौशल विकास संवर्ग है।
- संभवत: वर्ष (2016-17) से अधिकारियों की भर्ती यू.पी.एस.सी. करेगा।
- अधिकारियों का यह नया संवर्ग कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का संचालन करेगा। इस मंत्रालय के साथ ही प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न कौशल और प्रशिक्षण योजनाओं को लागू करने में भी सहायता देगा।
- यह नई सेवा कौशल नीतियां तैयार करने, प्रशिक्षु प्रणाली में सुधार हेतु रोड मैप बनाने, आई.टी.आई. को दुरुस्त (पुर्ननिर्माण) करने में सहायता देगी और विभिन्न योजनाओं के लिए पाठ्यक्रम कार्य में सुधार लाने में भी सहायता देगी।
- अधिकारियों को दो वर्ष तक के लिए ग्रामीण भारत में तैनात किया जाएगा। इससे विषय के पर्याप्त ज्ञान के साथ निर्णय लेना उनके लिए संभव होगा।

VISION IAS

लाभ :

- नवीन सेवा संवर्ग से संगठन की क्षमता और दक्षता में वृद्धि होगी।
- यह कौशल विकास प्रशासन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करेगा।

> **सीएसई 2014**
>
> हम भारतीय जनसांख्यिकी का लाभांश तो प्राप्त करते हैं लेकिन हम रोजगार की गिरती दरों की अनदेखी कर देते हैं। ऐसा करते समय हम क्या चूक कर रहे होते हैं? वे नौकरियां कहाँ से आएंगी जिनकी भारत को आवश्यकता है? वर्णन करें।

1.7. राज्य सरकारें

1.7.1. सार्वजनिक सेवा का अधिकार अधिनियम

महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2015 (आर.टी.एस. अधिनियम) का अधिनियमन किया है। यह नागरिकों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिसूचित सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति की गारंटी देता है और पथभ्रष्ट लोक सेवकों के लिए दंड का प्रावधान करता है। यह अधिनियम इसी मुद्दे पर पहले प्रख्यापित अध्यादेश का स्थान ग्रहण करेगा।

इस विधेयक की विशेषताएं:

- निर्धारित समय सीमा में सेवाओं का लाभ उठाने की वैधानिक गारंटी।
- यह भ्रष्टाचार, लालफीताशाही की रोकथाम करेगा और पारदर्शिता लाएगा।
- यह 500 रूपए से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाकर पथभ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों को दंडित करने का प्रावधान करता है।
- यह, इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों से निपटने के लिए शीर्ष पर सेवा के अधिकार आयोग के साथ ही अन्य दो स्तरों (प्रथम अपीलीय और द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण) पर अपीलीय प्रणाली स्थापित करता है। इनके पदधारी सरकारी अधिकारी होंगे।
- यह राज्य सार्वजनिक सेवा आपूर्ति समिति का प्रावधान करता है। यह समिति अधिसूचित सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की संस्तुति करेगी।

तथापि, आर.टी.एस. अधिनियम को स्थानांतरण और बिलंब अधिनियम, 2006 के प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के सचेत प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। यह अधिनियम समय से पहले सरकारी अधिकारियों के स्थानांतरण और सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रदान की जा रही किसी भी सेवा या सुविधा में बिलंब या इनकार से निपटने हेतु कठोर प्रावधान लागू करता है।

चुनौतियां:

इस अधिनियम पर बिना पर्याप्त सार्वजनिक सुनवाई को जल्दबाजी में पारित किए जाने का आरोप लगाया जाता है। हालांकि, इस अधिनियम की तुलना सूचना के अधिकार कानून से की जा रही है, फिर भी इससे संबंधित निम्नलिखित समस्याएं हैं-

- नागरिकों के अतिरिक्त, सरकारी अधिकारी भी पहली, दूसरी और तीसरी अपील दायर कर सकते हैं। यह अधिकतर आवेदकों को थका देने वाला हो सकता है।
- पहले और दूसरे अपील प्राधिकारी स्वयं सरकारी अधिकारी होने के कारण, नामित अधिकारियों को अपने वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध अपील करने की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं है।
- आर.टी.आई. अधिनियम के विपरीत, पहले और दूसरे अपील प्राधिकारी सम्मन जारी कर सकते हैं। यदि नागरिक प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो वे गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर सकते हैं। इस प्रकार के व्यापक अधिकार निरंतर आवेदन करने वालों के विरुद्ध भी काम कर सकते हैं।
- यह अधिनियम प्रावधान करता है कि दोषी अधिकारियों को जुर्माने की राशि का भुगतान करना पड़ेगा और यदि अधिकारी भुगतान नहीं करता है तो इसकी स्वत: उसके वेतन से कटौती हो जाएगी। इससे इन जुर्मानों पर दृष्टि रखने की समस्या को भी बढ़ावा मिलेगा। आर.टी.आई. अधिनियम वेतन से स्वत: कटौती का प्रावधान करता है।
- अधिनियम की धारा 5 (2) का इस रूप में अर्थान्वयन किया जा सकता है कि मात्र कागज पर सेवा की अनुमति, अधिनियम की आवश्यकता को पूरा करने वाली होगी। इसलिए इस प्रावधान में उचित रूप से संशोधन की आवश्यकता है।
- इसके साथ ही, गलत या नकली दस्तावेजों के आधार पर इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिकों पर दंडात्मक कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान भी है।
- एक अन्य समस्या यह है कि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अधिसूचित सेवाएं ही इस अधिनियम के अंतर्गत अच्छादित होंगी।
- स्थानांतरण और बिलंब अधिनियम, वर्ष 2006 के अंतर्गत नागरिक आचार संहिता में सभी सेवाएं और सुविधाएं सम्मिलित होंगी। यदि अंतर होगा तो विचलन पैदा होगा जिसे हल करना दुष्कर होगा।

अग्र मार्ग :

अपने वर्तमान स्वरूप में यह अधिनियम सरकारी अधिकारियों के लिए कठोरतम उत्तरदायित्व और अनियमितता के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान करने वाले स्थानान्तरण व विलंब अधिनियम, 2006 की तुलना में कम उपयोगी होगा। सार्वजनिक सेवा का आधार अधिनियम की भावना अच्छी है, लेकिन उपर चर्चित अधिनियमों में

VISION IAS

कई प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संसोधन की आवश्यकता है। अन्यथा यह स्थानांतरण और बिलंब अधिनियम, वर्ष 2006 के प्रावधानों के आधार पर सरकार पर वितरण हेतु दबाव डालने में यह नागरिकों के लिए अधिक सहायक होगा।

यूपी.एस.सी द्वारा पूछे गए राज्य के कानून:

50 से अनधिक शब्दों में प्रत्येक पर टिप्पणी करें:

(c) हिार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009। यह हाल ही में सुर्खियों में क्यों रहा है?

1.7.2. तीन और राज्यों ने खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया

- झारखंड, तेलंगाना और उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लागू किया है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य देश की लगभग 67 प्रतिशत आबादी को सस्ता (सब्सिडी पर) अनाज उपलब्ध कराना है।

अधिनियम के कार्यान्वयन में बिलंब के कारण :

- रिसाव (leakage) की रोकथाम हेतु अधिनियम के कार्यान्वयन की पूर्व शर्तें -
- लाभार्थियों की पहचान।
- लाभार्थियों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का सम्पूर्ण कंप्यूटरीकरण।

यह योजना क्या है:

संसद ने एन.एफ.एस.ए. का अधिनियमन 2013 में किया था। यह लगभग 810 मिलियन लोगों वाले लभार्थी परिवारों को 2-3 रूपए प्रति किलोग्राम की अनुदानित कीमत में प्रति माह प्रति व्यक्ति 5किलोग्राम अनाज लेने का प्रावधान करता है। इस योजना पर वर्ष 2015-16 सरकार का करीब 1.2 ट्रिलियन रुपए का व्यय आएगा।

- इस योजना के लाभार्थियों के संबंध में राज्यों को ही निर्णय करना है कि किसे इस योजना में सम्मिलित किया जाए या बाहर रखा जाए। लेकिन कई राज्यों ने अभी तक लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है।
- अभी तक 92प्रतिशत लाभार्थियों के रिकॉर्ड का डिजीटलीकरण किया जा चुका है और 18प्रतिशत ने आधार संख्या भी प्राप्त कर चुके ।
- इस अधिनियम को लागू करने वाले 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, त्रिपुरा, पुडुचेरी और लक्ष्य द्वीप सम्मिलित हैं।
- इनमें से, दो केंद्र शासित प्रदेश- पुदुचेरी और चंडीगढ़ एक कदम और आगे बढ़े हैं इन राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभों का प्रत्यक्ष नकद अंतरण भी लागू कर दिया है।
- तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने कोई रुचि नहीं दिखाई है क्योंकि उनके यहां सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहले से ही मौजूद है। वे लक्षित प्रणाली (TDDS) की दिशा में आगे बढ़ने के इच्छुक नहीं हैं।

1.8. केन्द्र सरकार

1.8.1. नीरांचल राष्ट्रीय जलग्रहण परियोजना

- नीरांचल राष्ट्रीय जलग्रहण परियोजना का उद्देश्य चयनित स्थानों पर समुदायों को पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सहायता करना है। कृषि पैदावार में सुधार लाने के लिए तकनीकी सहायता के माध्यम से एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) की सहायता करना है।इसमें भाग लेने वाले राज्यों में व्यापक एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम हेतु पहले से अधिक प्रभावी प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों को अपनाना है।
- वर्ष 2009-10 से एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू.एम.पी.) का कार्यान्वयन 28 राज्यों में वाटरशेड विकास को सहायता देने के लिए केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग (डी.ओ.एल.आर.) कर रहा है।
- वर्ष 2015-16 से आई.डब्ल्यू.एम.पी. को प्रधानमंत्री कृषि योजना सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के जलग्रहण घटक के रूप में लागू किया जा रहा है।

समाचारों में क्यों:

- आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) विश्व बैंक सहायतित राष्ट्रीय जलग्रहण परियोजना ''नीरांचल'' को 357 मिलियन डॉलर (2142.30 करोड़ रूपए के कुल व्यय के साथ अपनी अनुमति प्रदान कर दी है।
- इस परियोजना के लिए 2,142.30 रूपए का व्यय होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें 889 करोड़ रूपए केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगें जबकि 182 करोड़ रूपए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

आवश्यकता:

- वाटरशेड का विकास भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि भूमि का विशाल भाग वर्षा सिंचित क्षेत्र में आता है।वर्षा सिंचित क्षेत्र की विशेषता व्यापक भूमि क्षरण, कम वर्षा, कम कृषि उत्पादकता और गरीबी की उच्च दर है।
- इस परियोजना को छह वर्ष की अवधि में लागू किया जाएगा। यह भारत सरकार के राष्ट्रीय एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वाटरशेड कार्यक्रम है।

VISION IAS

इस कार्यक्रम का महत्व:

- यह परियोजना वर्तमान में (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) जैसे जलग्रहण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहे केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग (डी.ओ.एल.आर.) और राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों (एस. एल.एन.ए.) सहित प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थानों के कार्यक्रमों के अधिक प्रभावी नियोजन, में सहायता करेगा इसके अतिरिक्त कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन की क्षमता को मजबूती प्रदान करेगा।
- यह जल प्रबंधन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ एकीकृत विज्ञान आधारित, भागीदारी युक्त वाटरशेड योजनाओं के संचालन में सहायता प्रदान करेगा।
- ये योजनाएं कृषि, स्थानीय भूजल पुनर्सभ्भरण के लिए जल के अधिक कुशल उपयोग में सुधार लाने हेतु निवेश में प्रक्रिया का मार्गदर्शन करेंगी इस प्रक्रिया से सार्वजनिक संसाधनों का अधिक प्रभावशाली उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा ।
- इस परियोजना से किसानों को वनस्पति आच्छादन बढ़ा कर मिट्टी का कटाव कम करने और कृषि की उपज में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी । इसके लिए नई मिट्टी, पानी और फसल प्रबंधन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा ।
- इससे सही समय पर मौसम का पूर्वानुमान किया जा सकेगा और किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के विरुद्ध शमन हेतु क्लाइमेट स्मार्ट कृषि पद्धतियों को अपनाने में सहायता मिलेगी।
- इससे प्रशिक्षण बेहतर, विस्तार सेवाओं और आगे बाजार से मजबूत संपर्कों से ग्रामीण आजीविका में सुधार होगा।
- अनुमोदित परियोजना आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्यों के चयनित स्थानों पर आई डब्ल्यू एम पी गतिविधियों के लिए सहायक होगी।
- यह परियोजना लगभग 5000 हेक्टेयर में 400 उप -वाटरशेड योजनाओं को समाहित करेगी तथा लगभग 4,82,000 किसान परिवारों एवं 2 लाख लोगों तक पहुंचेगी।

चुनौतियां :

हालांकि, सफलताओं के बावजूद, बेहतर परिणाम प्राप्त करने में वाटरशेड विकास में कई चुनौतियां बनी हुई हैं। वे चुनौतियां इस प्रकार हैं :

- समुदायों की संवर्धित भागीदारी।
- योजना निर्माण की मजबूत क्षमता और तंत्र का विकस ।
- कार्यान्वयन, निगरानी और स्थानीय संस्थाओं और परिसंपत्तियों की परियोजना पश्चात् स्थायित्व ।

यदि इन चुनौतियों का निवारण नहीं किया जाता है तो इसका परिणाम कार्यान्वयन में बिलंब, धीमी गति से संवितरण और धीमे मुनाफों के रूप में सामने आ सकता है।

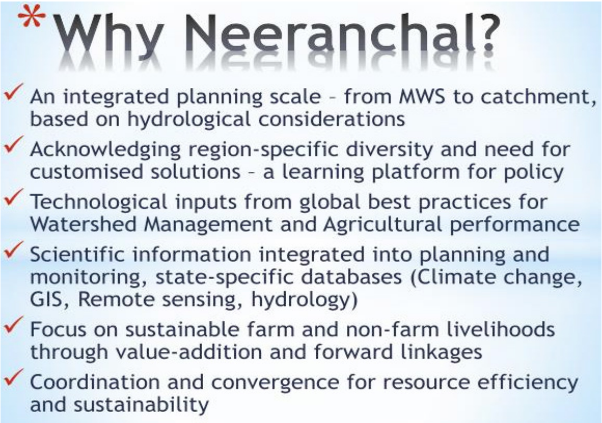

1.9. विविध

1.9.1. रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा प्रवासी भारतीयों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की सदस्यता की अनुमति

- 29 अक्टूबर 2015 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिवासी भारतीयों को पेंशन योजना की सदस्यता लेने की अनुमति प्रदान की । पेंशन योजना का शासन व प्रशासन पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण करता है।
- वृद्धावस्था में आय सुरक्षा का लाभ उठाने हेतु विदेशों में रहने वाले भारतीयों को समर्थ बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) की सदस्यता लेने की अनुमति प्रदान की है।
- अनिवासी भारतीय पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) द्वारा एन.पी.एस. की सदस्यता ले सकते हैं, बशर्ते इस प्रकार की सदस्यता सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से ली जाए और वह व्यक्ति संचालित पेंशन कोष विनियामक प्राधिकरण पी.एफ.आर.डी.ए. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निवेश करने हेतु पात्र हों।
- अनिवासी भारतीय सदस्यता की राशि का भुगतान या तो सामान्य

VISION

बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आवक विप्रेषण द्वारा करेंगें या अपने एन.आर.ई./एफ.सी.ऐन.आर./एन.आर.ओ./ खाते में धारित धन में से करेंगे।

1.9.2. ई-सहयोग प्रायोगिक (पायलट) कार्यक्रम

- ई-सहयोग, शारीरिक रूप से करदाताओं के आयकर आई.टी. अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने की बाध्यता को समाप्त करने के लिए बनायी गई पायलट परियोजना है।
- इसका उद्देश्य विशेष रूप से छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन लागत में कमी लाना है।
- "ई-सहयोग" का उद्देश्य उन आयकर दताओ के आयकर रिटर्न में विसंगति पाए जाने पर उसका हल निकालने हेतु ऑनलाइन व्यवस्था प्रदान करना है|ई सहयोग सुविधा के अंतर्गत आयकर कार्यालय में उपस्थित हुए बिना ही यह प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है ।

1.9.3. "सुरक्षित खाद्य उगाएं" या ग्रो सेफ फूड अभियान

- सरकार ने उपज की पोषकता और गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना कृषि उत्पादन में सुधार लाने के लिए "सुरक्षित खाद्य उगाएं" अभियान आरंभ किया है।
- "सुरक्षित खाद्य उगाएं" अभियान का शुभारंभ विभिन्न हितधारकों के बीच कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग के विषय में जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया है।
- बेहतर विकास के लिए किसान फसलों में कीटनाशकों का समुचित उपयोग करें, सरकार इसके लिए विभिन्न उपायों का उपयोग कर रही है।
- कृषि मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि "राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेषों की निगरानी" के अंतर्गत अंतर्गत प्राप्त कीटनाशकों के अवशेषों के आंकड़ों को राज्य सरकारों और संबंधित मंत्रालयों/संगठनों के साथ साझा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एकीकृत कीट प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ फसलों पर कीटनाशकों के विवेकपूर्ण और समुचित उपयोग के लिए सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ करना और किसानों में जागरूकता पैदा करना है।
- कृषि विभाग, सहकारिता एवं किसान कल्याण (डी.ए.सी. एवं एफ.डब्लू.) एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) पर बल देता है। इससे कीट नियत्रण के जैविक, सांस्कृतिक और यांत्रिक तरीकों को बढ़ावा मिलता है और साथ ही कीटनाशकों के आवश्यकता आधारित व विवेकपूर्ण उपयोग के लिए प्रेरित करता है ।

1.9.4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मध्याह्न भोजन नियम, 2015 अधिसूचित किया गया

इस नियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- छुट्टियों को छोड़कर प्रत्येक दिन पहली से लेकर आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले छह से चौदह वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक छात्र को (जिसने नामांकन कराया है और विद्यालय में उपस्थित रहता है) गर्म पका पकाया भोजन नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। प्राथमिक कक्षा वाले छात्रों के लिए 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन पोषक तत्व और उच्च प्राथमिक कक्षा वाले छात्रों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन मानक आधारित पोषक तत्व वाला भोजन प्रदान किया जाएगा।
- नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय की प्रबंधन समिति अनिवार्य मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगी|इसके अंतर्गत बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, भोजन पकाने के स्थल पर साफ-सफाई और स्वच्छता के रख-रखाव की भी निगरानी की जाएगी ।
- विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका को खाद्यान्न, खाना पकाने के व्यय आदि की अस्थायी अनुपलब्धता की स्थिति में विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से विद्यालय में उपलब्ध किसी भी रकम का उपयोग करने के लिएअधिकृत किया जाएगा।
- मध्याहन भोजन योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला भोजन पोषक मानक और गुणवत्ता को पूरा करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकारी खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला या कानून द्वारा प्रमाणित या मान्यता प्राप्त किसी प्रयोगशाला द्वारा बच्चों को उपलब्ध कराए गए ताजा पके पकाये भोजन का मूल्यांकन और प्रमाणन किया जाएगा।
- राज्य खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग भोजन का पोषक मूल्य और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नमूने एकत्र कर सकता है।
- यदि किसी भी विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाद्यान्न, खाना पकाने के व्यय, ईंधन की अनुपलब्धता या रसोइया-सह-सहायक की अनुपस्थिति के कारण नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो अगले महीने की 15 तारीख तक राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा भत्ते का भुगतान करेगी।

1.9.5. साहित्य के लिए 2015 का नोबेल पुरस्कार

- 'साहित्य के लिए 2015 के नोबेल पुरस्कार" से बेलारूसी लेखक स्वेतलाना अलेक्जीविक को उनके वैविध्यपूर्ण मर्मस्पर्शी लेखन, 'ए मोन्युमेंट टू सफरिंग एंड करेज इन आवर टाइम' (a monument to suffering and courage in our time) के लिए सम्मानित किया गया है।
- सुश्री अलेक्जीविक साहित्य के लिए नोबल पुरस्कार पाने वाली 14वीं महिला हैं।
- सुश्री अलेक्जीविक एक पत्रकार लेखक हैं, उन्होंने वह सोवियत

संघ और उसके विघटन तथा द्वितीय विश्व युद्ध, की पृष्ठभूमि पर आधारित लेखन कार्य किया है। उनके लेखन में अफगानिस्तान में सोवियत युद्ध, 1986 की चेरनोबिल परमाणु आपदा और साम्यवाद की समाप्ति से प्रेरित आत्महत्याओं जैसे त्रासद पक्षों को भी स्थान मिला है। उनकी रचना धर्मिता उनके पत्रकारिता कौशल से और अधिक निखर गई है।

- गत वर्ष नोबेल का साहित्य पुरस्कार फ्रांसीसी लेखक पैट्रिक मोदियानो को दिया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध: भारत एंव विश्व

2.1. कलादान मल्टीमाडल पारगमन यातायात परियोजना

समाचारों में क्यों:

मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2015 में इस परियोजना के लिए 2904.04 करोड़ रुपए की संशोधित अनुमानित लागत को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। मंत्रिमंडल द्वारा पहले इस परियोजना के लिए वर्ष 2008 में 539.91 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी। परियोजना को पहले वर्ष 2013 तक पूरा किया जाना था, परन्तु अब इसके वर्ष 2016 तक पूरा होने की संभावना है।

यह क्या है:

- कलादान मल्टी माडल यातायात परियोजना कोलकाता पत्तन को म्यंमार के सिटवे पत्तन जोड़ने की परियोजना है। इसके पश्चात् सिटवे पत्तन को कलादान नदी नौका मार्ग द्वारा म्यंमार के लाशियो से जोड़ेगा और वहाँ से यह सड़क मार्ग द्वारा भारत के मिजोरम को जोड़ेगा।

लागत बढ़ने के कारण :

चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र तथा स्थानीय लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध जैसी बाधाओं के कारण परियोजना में देर हुई, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना की लागत में वृद्धि हो गयी।

भारत के लिए लाभ :

- उत्तर-पूर्व से कोलकता पत्तन तक चिकन-नेक से कहे जाने वाले भारतीय मार्ग पर बहुत अधिक यातायात रहता है जिस कारण इस मार्ग से भेजे गए माल को पत्तन तक पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं।
- इस परियोजना से कोलकाता और मिजोरम के बीच दूरी में लगभग 1000 किमी की कमी आएगी और माल ढुलाई के समय में 3-4 दिनों की कमी आएगी।
- उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण के अतिरिक्त, यह मार्ग इस लिए भी आवश्यक है कि चीन के साथ किसी संघर्ष या युद्ध के दौरान वर्तमान चिकन-नेक मार्ग को चीन द्वारा बाधित किया जा सकता है।

परियोजना में देरी:

- विभिन्न बाधाओं के कारण इस परियोजना का कार्यान्वयन बहुत कठिन कार्य बन गया है।
- सड़क निर्माण का कार्य न केवल चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में किया जा रहा है अपितु स्थानीय समुदाय भी सरकार द्वारा इस कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं।
- लागत में वृद्धि: परियोजना के पूरा होने में देरी के कारण इसकी लागत भी बढ़ गयी है। परियोजना कार्यान्वयन की गति बढ़ाने हेतु सरकार ने संशोधित अनुमानित लागत को अपनी अनुमति दे दी है।

भारत हेतु लाभ:

- इस परियोजना से उत्तर-पूर्वी राज्यों को समुद्र तक मार्ग स्थापित हो जाएगा जिससे उनकी अर्थव्यवस्था का विकास होगा।
- भारत और उत्तर-पूर्व एशिया के साथ परस्पर व्यापारिक और यातायात संपर्क सशक्त होगा।
- यह भारत की आर्थिक, व्यवसायिक और सामरिक हितों के लिए उपयुक्त है। इसके माध्यम से म्यंमार के भारत के साथ आर्थिक समेकन में सहायता मिलेगी। दोनों देशों के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
- यह भारत की "एक्ट-ईस्ट पॉलिसी" में भी सहायक होगा।
- उत्तर-पूर्व से कोलकता पत्तन तक का चिकन-नेक से हो कर जाने वाले मार्ग पर अधिक आवगमन रहता है, जिसके कारण इस मार्ग से भेजे गए माल को पत्तन पर पहुंचने में कई दिन लग जाते है।
- इस परियोजना से कोलकाता और मिजोरम के बीच के अंतर में लगभग 1000 किमी की कमी आएगी और माल ढुलाई के समय में 3-4 दिनों की कमी आएगी।
- उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विकास के साथ-साथ, यह रूट इसलिए भी आवश्यक है कि चीन के साथ कभी किसी भी संघर्ष या युद्ध की स्थिति में वर्तमान चिकन-नेक मार्ग को चीन बाधित कर सकता है।

2.2. ब्रह्मपुत्र पर चीनी बांध

तिब्बत के जन्मु नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र के बीचों-बीच चीन द्वारा बनाया गया बांध (जिसे चीन में यारलंग ज़न्गबो के नाम से भी जाना

VISION IAS

जाता है) अब पूर्ण रूप से क्रियाशील हो गया है।

चीन ने अपनी वर्तमान पंचवर्षीय योजना में इसी प्रकार के अन्य तीन बांधों पर भी कार्य आरम्भ करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। उनमें से एक तो ज़ग्मु के 510 मेगावाट बाँध से भी बड़ा है। प्रवाह के विपरीत दिशा में 18km की दूरी पर 640 मेगावाट के डागु बांध के निर्माण के लिए भी समय निर्धारित कर दिया गया है। दो छोटे-छोटे बांध जिआचा और जिएक्सु में भी बनाये जाएंगे।

इन बांधों के निर्माण से भारत पर विभिन्न रूपों से निम्नलिखित प्रभाव होंगे:

- इससे नदी में जल प्रवाह कम हो जायेगा। यह इतना गम्भीर विषय न होता, यदि इन बांधों को रन ऑफ़ रिवर (run of river) पनबिजली स्टेशन के रूप में स्थापित किया जाता। परन्तु यदि इन्हें जलाशय के रूप में निर्मित किया गया, या जल के प्रवाह को मोड़ा गया तो यह नदी के ऊपरी भागों के पारितंत्र को प्रभावित करेगा।

- दूसरी ओर, जल के बंटवारे से जुड़ी सभी वार्ताओं में चीनी पक्ष का महत्त्व बढ़ जायेगा क्योंकि उसने जल के उपयोग हेतु बांधो के निर्माण के माध्यम से दावा स्थापित कर लिया है।
- नदी के बड़े मोड़ पर यदि बाँध बनाया जाता है तो यह नदी के पारितंत्र को नष्ट कर देगा इसके निर्माण से असम और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों की विशाल जैव विविधता क्षति पहुचने की भी संभावना है
- संघर्ष के दौरान बाँध से पानी छोड़े जाने संबंधी तथ्य ने भी भारत की चिंता बढ़ा दी है इससे बाढ़ का गम्भीर संकट उत्पन्न हो सकता है।
- भारत के लिए चिंता का विषय यह है कि यदि जल के प्रवाह के मार्ग को परिवर्तित किया जाता है, तो ब्रह्मपुत्र पर भारत की अरुणाचल स्तिथ परियोजनाएं विशेषकर ऊपरी सिआंग और निम्न सुहन्सरी परियोजना प्रभावित हो सकती है।

भारत और चीन के बीच अनुबंध :

- भारत और चीन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, इसके अंतर्गत भारतीय जलविज्ञानी सीधे तिब्बत जाकर नदी के जलप्रवाह का अध्ययन और निरीक्षण कर सकते हैं। विशेषज्ञ बाढ़ के दिनों में जल सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के दौरान दोनों पक्षों में एक विशेषज्ञ स्तरीय तन्त्र बनाने पर सहमति हुई इसका उद्देश्य बाढ़ के मौसम में जल प्रवाह सम्बन्धी आंकड़ों के आदान-प्रदान, आपातकालीन प्रबंध करना है सीमा पार से जुड़े नदी संबंधी अन्य विषयों पर सहयोग करना निश्चित किया गया है।

2.3. नवाज शरीफ का चार-सूत्री शांति प्रस्ताव

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के मंच से भारत के साथ शांति के लिए चार-सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नलिखित हैं -

- कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पूर्ण युद्ध विराम के लिए वर्ष 2003 की सहमति को औपचारिक रूप प्रदान करना और उसका सम्मान करना।
- यह पुष्टि करना कि दोनों पक्ष किसी भी स्थिति में शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे।
- कश्मीर से सेना हटाने के लिए प्रयास करना।
- विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन ग्लेशियर से दोनों ही पक्ष परस्पर सहमति से बिना शर्त हट जायेंगे।

भारतीय प्रतिक्रिया :

भारत ने पाक प्रधानमंत्री के चार-सूत्री शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

- विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान से कहा है कि यदि वह भारत के साथ सम्बन्धों में सुधार करना चाहता है तो उसे "आंतकवाद को छोड़ना होगा।"
- चार-सूत्री प्रस्ताव के स्थान पर भारत का तो केवल एक ही प्रस्ताव है : पाकिस्तान आंतकवादी समूहों के समर्थन बंद करे।
- भारत का यह भी मानना है कि चार-सूत्री प्रस्ताव भारत को सीधे रूप से नहीं भेजा गया है। यह संयुक्त राष्ट्र को भेजा गया है जो समस्या के वास्तविक समाधान के स्थान पर इसके अंतर्राष्ट्रीयकरण का एक और प्रयास है।

2.4. भारत और सेशेल्स

केन्द्रीय मंत्री परिषद ने भारत और सेशेल्स के बीच समुद्री अर्थव्यवस्था

के क्षेत्र में सहयोग के लिए, सेशेल्स के राष्ट्रपति की अगस्त 2015 यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल को व्यवहारिक अनुमति प्रदान कर दी है।

प्रोटोकॉल (Protocol) संबंधी तथ्य: एक नजर

प्रोटोकॉल के अंतर्गत दोनों पक्षों के बीच समुद्री अध्ययन के साथ वैज्ञानिक खोजों को बढ़ावा देना है। इसके द्वारा समुद्र आधारित संसाधनों का सतत विकास और आर्थिक उद्देश्यों के लिए पारस्परिक सहयोग के माध्यम से दोहन दिया जाएगा।

प्रोटोकॉल का महत्त्व :

यह सहयोग नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) के साथ क्षेत्र में भारत के सामरिक सहयोग में वृद्धि करेगा।

- मानव संसाधन, विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी के निर्यात से भारत को व्यवसायिक लाभ मिलेगा इसके अतिरिक्त भारत एवं सेशेल्स के परस्पर सहयोग से सागर आधारित संसाधनों तक भारत की पहुंच में वृद्धि होगी।
- नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) में सेशेल्स के सहयोग से सागर आधारित संसाधनों के नये आंकड़े प्राप्त होंगे। समझौते के अंतर्गत भारतीय वैज्ञानिकों एवं अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित की गयी विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान होगा।
- इससे घरेलू स्तर पर सागरीय अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवोन्मेष को बढ़ावा मिलेगा।

नीली अर्थव्यवस्था:

नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) समुद्र-आधारित आर्थिक विकास है। यह दृष्टिकोण समुद्री संसाधनों के ऐसे प्रयोग पर आधारित है जिसके माध्यम से पर्यावरण संकट और पारिस्थितिकीय चुनौतियों का समाधान करते हुए मानव कल्याण और सामाजिक समानता स्थापित की जा सकेगी।

इसमें सम्मिलित हैं:

- महासागरों को विकास के मंच के रूप में परिभाषित करना।
- उक्त योजना का उपयोग "संरक्षण, संधारणीय उपयोग, खनिज सम्पदा का दोहन, (बायो-प्रोस्पेक्टिंग) जैव-खोज, दीर्घकालिक ऊर्जा उत्पादन और समुद्रीय यातायात" जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए किया जायेगा।
- आर्थिक विकास की निर्णय प्रक्रिया में सामुद्रिक संवेदनशीलताओं को समाविष्ट करना।
- ऐसी नीतियों का निर्धारण करना जिनसे न्यूनतम कार्बन, संसाधन दक्षता और सामाजिक रूप से संयुक्त विकास (हरित-विकास के ढांचे का प्रतिबिम्ब) को बढ़ावा मिल सके।
- लोगों को लाभ प्रदान करने हेतु समुद्री उपयोग, गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसर पैदा करना और समानता को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों को प्राथमिकता प्रदान करना।
- उपयुक्त अंतरराष्ट्रीय नियम और उनके संचालन प्रणाली में सुधार लाना।

2.5. नेपाल-चीन का ईंधन समझौता

नेपाल और चीन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसके अंतर्गत इस हिमालयी-राष्ट्र को चीन पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति करेगा। चीन ने नेपाल को उसके ऊर्जा की संकट से उबरने के लिए 1.2 मिलियन लीटर ईंधन तुरंत प्रदान करने हेतु अपनी सहमति दे दी है।

समझौते के तत्कालीन कारण:

- नेपाल एक माह से भी अधिक समय से पेट्रोलियम पदार्थों की कमी के भीषण संकट से गुजर रहा है। यह संकट मधेशियों द्वारा संविधान के विरोध स्वरूप भारत के साथ लगी सीमा चौकियों को बाधित करने से उत्पन्न हुआ है।
- विश्लेषकों का मत है कि भारत द्वारा तेल आपूर्ति पर वास्तविक प्रतिरोध ने काठमांडू को एक वैकल्पिक ऊर्जा प्रदायक की तलाश हेतु विवश किया है।
- भारत ने प्रतिरोध संबंधी आरोपों को अस्वीकार किया है और कहा है कि संविधान विरोधी प्रदर्शनों द्वारा नेपाल की तराई सीमा पर स्थित प्रमुख नाकों पर यातायात बाधित हुआ है। यही कारण है कि व्यापारिक गतिविधियां धीमी हुई हैं।

भारत और नेपाल के सम्बन्धों पर प्रभाव:

- नेपाल ने चार दशक से पेट्रोलियम उत्पादों की इंडियन आयल कोर्पोरेशन (IOC) द्वारा आपूर्ति करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया है।
- नेपाल में आवश्यक, विशेषकर पेट्रोलियम उत्पादों की कमी होने से नेपालियों के मन में भारत विरोधी भावनाएं विकसित हुई हैं। भारत द्वारा भूकम्प पीड़ितों इस निर्धन राष्ट्र को शीघ्र और बड़े पैमाने पर प्रदत्त सहायता से उत्पन्न सद्भावना को कम कर दिया है।
- आपसी सम्बन्धों में कटुता से चीन को रोकने सबंधी भारत के प्रयासों को आघात पहुंचा है। भारत, चीन की बढ़ती उपस्थिति को देखते हुए दक्षिण-एशिया देशों के साथ घनिष्ठ क्षेत्रीय सम्बन्ध और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा है।

चीन की रणनीति:

- चीन के साथ ईंधन समझौता चीन की व्यापक रणनीति के परिप्रेक्ष्य में सहायक है। इसके अंतर्गत काठमांडू बीजिंग के नेतृत्व में विकसित हो रही पट्टी का और चीन द्वारा यूरेशिया की अर्थव्यवस्थाओं को सड़क मार्ग से जोड़कर समेकित करने के प्रयासों का हिस्सा बन गया है।

VISION IAS

- नेपाल और चीन ने एक चार-सूत्री दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये हैं। यह चीन द्वारा बेल्ट (पट्टी) विकास और सड़क संबंधी पहल का समर्थन करता है।

2.6. मालदीव में संकट

मालदीव के उपराष्ट्रपति अहमद अदीब की गिरफ्तारी ने पहले से ही संवेदनशील और नवोदित प्रजातंत्र में एक और संकट उत्पन्न कर दिया है।

गिरफ्तारी के कारण:

सरकार का कहना है कि अदीब, राष्ट्रपति की नौका में होने वाले विस्फोट में संलिप्त थे जो राष्ट्रपति अब्दुला यामीन की हत्या के उद्देश्य से किया गया था।

मालदीव में आपात की घोषणा :

- मालदीव नेशनल डिफेन्स फ़ोर्स (MNDF) और मालदीव पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर भारी मात्रा में हथियारों की खेप पकड़े जाने के बाद देश में आपात की घोषणा कर दी है।
- आपात की घोषणा मुख्य विरोधी पार्टी–माल्दीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (MDP) की विशाल महारैली को रोकने के लिए की गयी थी।
- रैली का उद्देश्य राष्ट्रपति पर पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बनाना था।
- इस आपात की घोषणा से मानवाधिकार समूहों में श्री अदीब के मुकदमे की निष्पक्षता को लेकर भय व्याप्त हो गया है। समूह के लोगों ने आरोप लगाया है कि आपात स्थिति मालदीव सरकार का अपने राजनीतिक विरोधियों पर कड़ी कार्यवाही करने के एक हथियार है।

मालदीव की घटनाओं का अनुक्रम:

- अक्टूबर 2008 में मालदीव में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हुए थे, इसके बाद जिनसे 30-वर्ष से चले आ रहे मौमून अब्दुल गयूम के शासन की समाप्ति हो गयी थी।
- चुनाव के बाद मल्दीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (MDP) के राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद वर्ष 2008 में सत्ता में आये।
- आपराधिक न्यायालय के मुख्य-न्यायाधीश अब्दुला मोहम्मद को गिरफ्तार करने के आदेश दिए नशीद ने उन पर राजनीतिक भेदभाव और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उनकी गिरफ्तारी के लिए नशीद द्वारा दिए। गए कथित आदेश के विरोध में कई सप्ताह तक विरोध चलता रहा।
- नशीद को फरवरी 2012 में त्यागपत्र देने के लिए विवश किया गया और उसके एक वर्ष बाद वह यामीन अब्दुल गयूम से चुनाव हार गये।
- वर्ष 2013 के चुनाव, पहली बार प्रजातांत्रिक रूप से चयनित राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद द्वारा लोगों के विरोध के कारण त्यागपत्र दिए जाने बाद कराए गए थे। सर्वोच्च न्यायलय ने मतदान के पहले दौर को ही अस्वीकार कर दिया था। उक्त पहले दौर में श्री नशीद को बढ़त मिल रही थी।
- प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव (PPM) के प्रत्याशी श्री यामीन ने विरोधी दल के प्रत्याशी और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद पर अनापेक्षित रूप से विजय प्राप्त कर ली।
- अब्दुल्ला यामीन को मालदीव के छठे राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गयी।
- वर्ष 2012 में एक न्यायधीश को नजरबंद करने के अपराध में नशीद को गिरफ्तार कर लिया गया उन्हें 1990 के आंतकवाद विरोधी नियमों के अंतर्गत आरोपित किया गया। इसी प्रकरण में पहले भी गिरफ्तारी से बचने के लिए नशीद ने माले स्थित भारतीय दूतावास में शरण ली थी।
- श्री नशीद को आंतकवाद के आरोपों में 13 वर्ष के कारावास में भेज दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक पैनल ने कारावास की सजा को अवैध घोषित किया है और उनकी तुरंत रिहाई की मांग की है।
- असहमति के प्रति असहिष्णुता और विरोधियों पर कड़ी कार्रवाई हेतु यामीन की राष्ट्रपति के रूप में भूमिका की व्यापक रूप से आलोचना की जा रही है।

विश्लेषण :

श्री यामीन को अपने निरंकुश व्यवहार में परिवर्तन, करना चाहिए। इसके साथ ही लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान, विरोधियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देने हेतु तैयार रहना चाहिए इस प्रकार नवोदित प्रजातन्त्र की जड़ों को सुदृढ़ कर मालदीव को अस्थिरता की स्थिति से बचाया जा सकता है।

CSE 2013

पिछले दो वर्षों में मालदीव में हुई राजनीतिक घटनाओं की चर्चा करें। क्या ये घटनाएं किसी भी रूप में भारत के लिए चिंता का विषय हैं?

2.7. भारत-अफ्रीका फोरम का तीसरा सम्मेलन

भारत-अफ्रीका फोरम (मंच) का तीसरा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 41 देशों के राष्ट्राध्यक्ष समेत अफ्रीका के 54 देशों की सरकारों ने भाग लिया। वर्ष 1983 के नयी दिल्ली में आयोजित गुट निरपेक्ष सम्मेलन के बाद यह विदेशी उच्च अधिकारियों का सबसे बड़ा जमावड़ा था।

पृष्ठभूमि :

- स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् पहले तीन दशकों में अफ्रीका महाद्वीप

और भारत के बीच बहुत ही घनिष्ठ राजनीतिक सम्बन्ध रहे थे। यह सम्बन्ध मुख्यत: साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, जातीय भेदभाव और रंगभेद नीति के विरुद्ध संघर्ष में सहभागिता पर आधारित थे।

- परन्तु 1990 के वर्षों में भारत द्वारा अफ्रीकी देशों के साथ सशक्त भागीदारी करने के प्रयास मंद पड़ने लगे थे क्योंकि भारत अपनी विदेश और आर्थिक नीतियों की समीक्षा कर रहा था। इस बढ़ती दूरी को सीमित करने और सम्बन्धों को पुन: मजबूत करने हेतु पहली बार भारत-अफ्रीका सम्मेलन के विचार को प्रस्तुत किया गया था।
- इससे पहले दो बार भारत-अफ्रीका सम्मेलन वर्ष 2008 और 2011 में नई दिल्ली और अदिस अबाबा में आयोजित हुए थे।

भारत और अफ्रीका के उभयनिष्ठ हित :

- भारत और अफ्रीका ने कहा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (WTO) के सभी लंबित विषयों पर दोनों सहभागी एकमत हैं और बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के पक्ष में हैं। बाली में वर्ष 2013 में मंत्री-स्तरीय सम्मेलन में भी भारत और अफ्रीका ने संयुक्त रूप से एक अंतरिम प्रक्रिया और WTO की अधिकतम सीमा के विपरीत किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत को किसी स्थाई समाधान के मिलने और स्वीकार किये जाने तक बनाये रखने की मांग की थी।
- आंतकवाद से निबटने के लिए सहयोग भारत ने गुप्तचर जानकारी के आदान-प्रदान और 54 अफ्रीकी देशों को प्रशिक्षण के रूप में सहयोग का समर्थन किया।
- भारत और अफ्रीका के बीच पर्यावरण परिवर्तन पर परस्पर सहयोग दोनों का ही भूमंडलीय तापमान वृद्धि में बहुत कम योगदान है।
- सुरक्षा परिषद में सुधार से दोनों के हित जुड़े हैं, इसलिए दोनों पक्षों का सुरक्षा परिषद के सुधारों के सम्बन्ध में एक ही सुर में बात करना आवश्यक है।

भारत और अफ्रीका के बीच सम्बन्ध :

- आर्थिक : अफ्रीका, भारत का एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक सहभागी है। भारत और अफ्रीका के बीच वर्ष 2014-15 में लगभग 70 बिलियन डालर का व्यापार हुआ था और भारतीय कम्पनियों ने पिछले दशक में इस महाद्वीप में लगभग 30-35 बिलियन डालर का निवेश किया है। इन दस वर्षों में व्यापार में सुधार हुआ है, लेकिन यह अभी भी चीन और अफ्रीका के बीच व्यापार की तुलना में अत्यधिक कम है। इन दोनों के बीच वर्ष 2014-15 में 200 बिलियन डालर का व्यापार हुआ। चीन ने अफ्रीका के सब-सहारा क्षेत्र में ऊर्जा और अवसंरचना क्षेत्र में ही 2005-2015 के वर्षों में १८० बिलियन डालर से अधिक का निवेश किया है।
- लोगों का लोगों से सम्पर्क : लोगों के बीच आपसी सम्बन्धों में स्वागत योग्य वृद्धि हुई है। अफ्रीकी उद्यमी, मेडिकल पर्यटक, प्रशिक्षु और विद्यार्थियों ने भारत आना आरम्भ किया है और भारतीय विशेषज्ञों और उद्यमी भी अब वहाँ जा रहे हैं।
- व्यापार से व्यापार का सम्पर्क : भारत और अफ्रीका के कई देशों के बीच व्यपारिक सम्बन्ध अति महत्वपूर्ण हो गए हैं जिनसे सरकारों से सरकारों के सम्बन्धों को बढ़ावा मिल रहा है।
- भारत ने आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ बनाने हेतु 10 बिलियन डालर की ऋण सहायता का प्रावधान किया है और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु एकजुट मांग उठाई है।
- अफ्रीका के साथ सशक्त सम्बन्ध भारत की परंपरागत विदेश नीति के लिए भी उपयुक्त हैं।

निष्कर्ष :

- भारत-अफ्रीका फोरम सम्मेलन (IAFS) से भारत-अफ्रीका के बीच सहभागिता के लिए आशा की किरण दिखती है। वास्तव में, वर्तमान वैश्विक आर्थिक स्थिरता जडता के परिदृश्य में भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच सशक्त सम्बंधो का महत्व औरभी बढ़ जाता है
- भारत अफ्रीका संयुक्त सम्मेलन (IAFS) की प्रक्रिया से सांस्कृतिक एवं सूचना संपर्क के साथ-साथ परस्पर जागरूकता को भी बढ़ावा मिला है।
- हमें अफ्रीका में अपने संसाधनों का उपयोग करना चाहिये। वहाँ बसे हुए प्रवासी भारतीय, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और शिक्षा सुविधाएं, हमारे विकास मॉडल की उपयुक्तता और भारत के निजी क्षेत्र द्वारा इस महाद्वीप कार्य करने की उत्सुकता, अफ्रीकी महाद्वीप के संदर्भ में भारत के महत्वपूर्ण संसाधन है ।
- इस महाद्वीप में भारत के लिए जो सद्भावना बनी है, वह स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् उपनिवेशवाद के विरुद्ध सैद्धांतिक रूप से अपनाए गए दृष्टिकोण का ही परिणाम है। भारत को इस सद्भावना का उपयोग नई सदी में अफ्रीका के साथ सशक्त आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता के निर्माण हेतु करना चाहिये।

CSE 2014
प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध अफ्रीका के आर्थिक क्षेत्र में भारत का अपना स्थान कहाँ है?

2.8. भारत-जर्मन सम्बन्ध

भारत गणराज्य और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध व्यवसायिक, सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग जैसे कारणों से परम्परागत रूप से बहुत ही सशक्त रहे हैं। जर्मन चांसलर एंजला मेर्केल ने तीसरे भारतीय-जर्मन अंतर-सरकारी विचार विमर्श के लिए भारत यात्रा पर आई थी।

इस दौरान कुल 18 अनुबन्धों पर हस्ताक्षर किये गए जिनमें कौशल विकास, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर विमानन तक व्यापक विषय सम्मिलित थे।

VISION IAS

जर्मन भाषा को एक विदेशी भाषा के रूप में और आधुनिक भारतीय भाषाओँ को जर्मनी में प्रोत्साहन प्रदान करना।	विकास सहयोग पर हुई वार्ता का संक्षिप्त रिकार्ड;
भारत-जर्मन सौर ऊर्जा सहभागिता।	कौशल विकास और व्यवसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण।
सुरक्षा सहयोग।	विमानन सुरक्षा।
आपदा प्रबंधन।	कृषि अध्ययन में सहयोग।
लिंडाऊ नोबेल विजेता बैठकों में प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित युवा भारतीय वैज्ञानिकों को भागीदारी के लिए समर्थन देना।	इंडो-जर्मन साईंस एंड टेक्नोलाजी सेंटर (IGSTC). कि अवधि में विस्तार।
उच्च शिक्षा में भारत-जर्मन सहभागिता।	पौधों की सुरक्षा के उत्पाद।
रेलवे क्षेत्र में विकास के लिए सहयोग।	उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग।
जर्मन कम्पनियों के लिए शीघ्र निपटान व्यवस्था की स्थापना।	भारत के निजी क्षेत्रों के अधिकारियों और निम्न स्तर के अधिकारियों के लिए उच्च प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग.
खाद्य सुरक्षा के लिए फेडरल इंस्टीट्यूट फॉर रिस्क असेसमेंट (BFR) और भारत की खादय सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के बीच सहयोग।	खाद्य सुरक्षा के लिए भारत की खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) और फेडरल ऑफिस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड फ़ूड सेफ्टी (BVL) के बीच सहयोग।

यात्रा संबंधी मुख्य तथ्य:

- जर्मनी ने भारत को दसवीं शताब्दी की दुर्गा प्रतिमा वापिस कर दी। यह प्रतिमा दो दशक पूर्व कश्मीर के मंदिर से गायब हुई थी।
- "फास्ट-ट्रैक क्लीयरेंस व्यवस्था" :
- जर्मन निवेश को आकर्षित करने हेतु भारत ने "फास्ट-ट्रैक क्लीयरेंस व्यवस्था" स्थापित करने का निर्णय लिया है। जापान ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके लिए पहले से ऐसी व्यवस्था है।
- जर्मन कम्पनियों के लिए "फास्ट-ट्रैक क्लीयरेंस व्यवस्था संबंधी कार्य की देख-रेख औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन विभाग (DIPP) द्वारा की जायेगी और यह व्यवस्था मार्च 2016 से अमल में आजाएगी।
- दोनों देशों के नेताओं ने अंतराष्ट्रीय जल सीमा में स्वतंत्र रूप से जहाजरानी तथा अंतराष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत अन्य समुद्री अधिकारों के महत्व को रेखांकित किया | यह स्पष्ट रूप से दक्षिण चीनी सागर में बढ़ती चीनी अग्रहिता के संदर्भ में है।
- जर्मनी ने भारत में जघन्य अपराधों और आतंकवादी गतिविधियों के लिए "मृत्युदंड" के प्रावधान का हवाला देते हुए भारत के साथ परस्पर विधिक सहायता समझौता (MLAT) करने में असमर्थता जताई है।
- एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार अनुबंध के लिए भारत और जर्मनी ने फिर वार्ता आरम्भ करने हेतु अपने सहमति दे दी है।

स्वच्छ ऊर्जा के लिए सहयोग:

- भारत-जर्मन पर्यावरण और नवीकरणीय ऊर्जा समझौते पर दोनों देश सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के बीच यह एक व्यापक भागीदारी होगी जिसके अंतर्गत स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा तक सब की पहुंच संभव करने हेतु प्रौद्योगिकी, नवोन्मेष और आवश्यक वित्त जुटाया जाएगा।
- जर्मनी ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के लिए एक बिलियन यूरो से अधिक के नये सहायता पैकेज हेतु अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी है।

2.9. ट्रांस-पेसेफिक पार्टनरशिप

ट्रांस-पेसेफिक पार्टनरशिप (TPP) प्रशांत महासागर से लगे बारह देशों के बीच एक प्रस्तावित व्यवसायिक अनुबंध है। यह आर्थिक नीति से सम्बन्धित विभिन्न विषयों से जुड़ा है। इसके समर्थकों का कहना है कि इस अनुबंध से अमेरिका और अन्य एशियाई राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। TPP एक महत्वाकांक्षी अवधारणा है, जिसे राष्ट्रपति बराक ओबामा के नेतृत्व वाला प्रशासन आगे बढ़ा रहा है। यह "21वीं शताब्दी के व्यापारिक विषयो जैसे बौद्धिक सम्पदा सुरक्षा, डिजिटल व्यापार अधिकार और निवेशकों की सुरक्षा को संबोधित करेगा।

- समझौते के स्वीकृति होने के पश्चात् इसका व्यवसायिक मूल्य बहुत अधिक होगा क्योंकि विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत इसी का भाग होगा।
- वैश्विक व्यापार का 40 प्रतिशत भाग TPP के अंतर्गत आजायेगा और यह भागीदार राज्यों के बीच व्यापार को सुगम बना देगा इन राष्ट्रों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, कैनेडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, अमेरिका और वियतनाम।
- इसके अंतर्गत 18,000 सीमा शुल्क और गैर-सीमा शुल्क बाधाओं को समाप्त या कम कर दिया जायेगा।
- यह निगमों की बौधिक सम्पदा के लिए समान नियम भी निर्धारित करेगा। इंटरनेट, समाजवादी वियतनाम में भी सुलभ हो जायेगा | इसके माध्यम से वन्यजीवों के अवैध व्यापार एवं पर्यावरण के

VISION IAS

दुरुपयोग पर कड़ी कार्यवाही करेगा।

- वैश्विक व्यापार के लिये TPP नये एजेंडा का निर्माण करेगा, जिसमे WTO विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत वर्तमान बहुपक्षीय बाध्यताओं और बौधिक सम्पदा अधिकारों (TRIPS) के व्यापारिक पक्षों के लिए किये गए अनुबंधों से कहीं अधिक प्रतिबधता की मांग होगी ।
- TPP देशों के बीच कृषि उत्पादों के व्यापार का मूल्य $311 मिलियन है और इस समझौते से TPP क्षेत्र के कृषि व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा।

इस सौदे का विरोध :

- इसका अमेरिका के भीतर में और अमेरिका से बाहर विरोध हो रहा है। श्री ओबामा की डेमोक्रेटिक पार्टी के ही कई सदस्य इस समझौते का यह कह कर विरोध कर रहे हैं। कि इससे केवल अमेरिकी कम्पनियों द्वारा विदेशों में नौकरियां का सृजित करने में सहायता मिलेगी।
- दूसरे देशों के आलोचकों का कहना है कि इससे केवल बड़ी कम्पनियों को ही लाभ मिलेगा, विशेषकर अमेरिकी कम्पनियों को और उसका भुगतान आम आदमी को करना पड़ेगा।
- स्वास्थ्य समर्थकों का कहना है कि इससे विकासशील देशों में जेनरिक दवाओं की उपलब्धता कम हो जायेगी। इन्टरनेट की स्वंतत्रता को ये लोग एक बड़े खतरे के रूप में देखते हैं।
- श्रमिक संघ, पर्यावरणविद और उदार सक्रियतावादी लोगों का यह तर्क है कि यह अनुबंध श्रमिकों और पर्यावरण सुरक्षा के स्थान पर बड़े व्यपारिक संस्थाओं के हित की बात अधिक करता है।
- विवादास्पद विषयों जैसे बौधिक सम्पदा अधिकार (IP) और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा मुकदमा चलाने की स्वतंत्रता को (TPP) पृष्ठभूमि में डाल देता है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को जब अपने लाभ पर संकट दिखेगा तो यह सरकारों द्वारा नागरिकों के हितों के लिए नियम बनाने की स्वायत्तता के अधिकार को नियंत्रित या बाधित भी कर सकती हैं।
- इस सम्बंध में चीन का मत है कि (TPP) वाशिंगटन द्वारा चीन पर आर्थिक नियंत्रण का प्रयास है।

भारत पर प्रभाव:

भारत ने प्रत्यक्ष कारणों से TPP में सम्मलित होने का प्रयास नहीं किया है। क्योंकि अपने माल के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध होने पर भी, देश को होने वाला लाभ नगण्य होगा । ऐसा बौधिक सम्पदा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले उत्पादों, विशेषकर महत्वपूर्ण दवा आदि में छूट देने के कारण होगा।

- भारत पर भी TPP का बहुत प्रभाव पड़ेगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रस्तावित समझौते से भारत से व्यापार परिवर्तित होकर यहाँ से जा भी सकता है।
- भारत के वस्तुगत निर्यात का 30 प्रतिशत TPP सदस्यों को होता है , जिस पर इस समझौते की छाया पड़ सकती है।
- मूल किक का नियम TPP के अंतर्गत आने से वियतनाम और मलेशिया के लिए धागा निर्यात करने में समस्या आ सकती है क्योंकि यह नियम कपड़ा उत्पादकों को अन्य देशों से धागा आयात करने को प्रतिबंधित कर देगा।
- इस व्यापार समझौते में कुछ ऐसे प्रावधान हो सकते हैं जो भारत द्वारा स्वयं और समस्त विश्व के लिए सस्ती दवाओं के उत्पादन की क्षमता प्रभावित हो सकती है ।

2.10. अमेरिका-जापान-भारत की त्रिपक्षीय बैठक

भारत, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियो ने अपनेआप में विशिष्ट पहली त्रिपक्षीय बैठक के लिए न्यूयॉर्क में मिले। तीनों देशों की दृष्टि विश्व में बढ़ रहे चीन के प्रभाव पर है।

- विदेश मंत्रियों ने अंतराष्ट्रीय नियमों और विवादों के शांतिपूर्ण हल, दक्षिण चीनी सागर सहित जहाजरानी और उसके उपर उड़ानों की स्वतंत्रता और बाधारहित वैध व्यापार के महत्त्व को रेखांकित किया है।
- दक्षिण चीनी समुद्र अंतराष्ट्रीय जल संसाधन है, जिसकी देखरेख अमेरिका करता है और इसकी स्वायत्तता को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिये।
- चीन अत्यधिक हठधर्मिता दिखा रहा है जिसे देखते हुए अमेरिका इस क्षेत्र में कूटनीतिक भूमिका के लिए अपने सहयोगियों को सुव्यवस्थित कर रहा है।
- इस नये त्रिपक्षीय मंच पर भारत की अमेरिका से था जापान के साथ सहभागिता अमेरिका का रणनीति के सन्दर्भ में व्यापक महत्व रखती है । यह चीन को अलग-थलग करने और घेरने के लिए वाशिंगटन की सैन्य रणनीति है।
- लम्बे समय से अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा था कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में त्रिपक्षीय और जापान व अन्य प्रमुख सैनिक सहयोगियों के साथ ऑस्ट्रेलिया में चतुर्भुजीय पहल में सम्मलित हो जाये।
- "एशियाई धुरी की अमेरिकी अवधारणा चीन को अलग-थलग करने की अवधारणा पर केन्द्रित है । इस उदेश्य से क्षेत्रीय एवं दूसरी पंक्ति की अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्तियों के साथ चीन के लिए अवरोध उत्पन्न करना है और 21वीं शताब्दी में उसका दम घोंटने पर केन्द्रित है। दूसरी पंक्ति की शक्तियों में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान सम्मलित हैं।"
- तीनों मंत्रियों ने परस्पर सहयोग से समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की और जापान द्वारा वर्ष 2015 के मालाबार नौसैनिक अभ्यास में सम्मलित

VISION IAS

होने की सराहना की। मानवीय और आपातकालीन सहायता भी इस प्रथम त्रिपक्षीय मंत्री वार्ता के विषय रहे।

- चीन ने मालाबार वर्ष 2007 में जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर द्वारा बंगाल की खाड़ी में भारत द्वारा आयोजित अभ्यास में सम्मलित होने का विरोध किया था।
- क्षेत्रीय आर्थिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करने के लिए, तीनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय सम्बंधता पर एक विशेषज्ञ स्तरीय समूह आरम्भ किया है जो दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच इस प्रकार के अवसरों की पहचान करेगा।

2.11. पाकिस्तान के प्रति भारत की नई रणनीति

प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह कश्मीर के विषय पर अपने दृष्टिकोण से पीछे नही हटेगे । इसलिए दोनों देशों के बीच वार्ता की शर्तें पाकिस्तान द्वारा नियत नहीं की जाएँगी क्योंकि ऐसी वार्ताओं में वह इसे केन्द्रीय विषय बनाना चाहता है।

- कश्मीर को श्री शरीफ द्वारा विदेश अधिग्रहित भूमि कहे जाने से, भारत ने भी पाक-अधिकृत कश्मीरियों (POK) के विषय को यह कहते हुए उठाया है कि पाकिस्तान द्वारा कश्मीर खाली किया जाना है, न कि भारत द्वारा।
- भारत द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर (POK) और बलुचिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा किये गए अत्याचारों को प्रकाश में लाने का निर्णय पिछली सभी परिपाटियों से हट कर है।
- इस नई रणनीति को पाकिस्तान द्वारा भारत पर किये जा रहे हमलों के प्रयासों के प्रभावी प्रति उत्तर के रूप में देखा जा रहा है।
- यह देखा जाना अभी शेष है की नई दिल्ली के इस बदले हुए सुर से पाकिस्तान इस विषय पर क्या रुख अपनाएगा ।

नई रणनीति से आशंकाएं :

भारत द्वारा कश्मीर मुद्धे पर पाक अधिकृत कश्मीर से संबंधित प्रत्यारोप जिसे पाकिस्तान को उसी के अंदाज में उत्तर देने की रणनीति के तौर पर अपनाया गया है एक निराधार कदम है।

- कई वर्षों से निरंतर प्रयासों के बाद भी, पाकिस्तान इस विषय को संयुक्त राष्ट्र या सुरक्षा परिषद के P-5 सदस्यों द्वारा विचार हेतु आकर्षित करने में असफल रहा है। अंतिम बार इस विषय पर वर्ष 1971 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) द्वारा चर्चा की गयी थी।
- भारत के सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता हेतु सक्रिय रूप से महत्वाकांक्षी होने के कारण, यदि वह आरोप-प्रत्यारोप के स्थान पर अपने पड़ोसी के साथ दशकों पुराने विवाद को समाप्त करने और आपसी समस्याओं के लिए द्विपक्षीय वार्ता प्रक्रिया आरम्भ कर देता है तो इससे भारत का अंतरराष्ट्रीय कद बढ़ जायेगा।
- आलोचकों का कहना है कि पाक-अधिकृत कश्मीर की समस्याओं को स्पष्ट करने की इस नई नीति से कश्मीर के विषय का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो सकता है जबकि भारत दशकों से इससे बचता रहा है।

2.12. "मित्रशक्ति 2015" भारत और श्रीलंका का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास

"मित्र शक्ति 2015" भारत और श्रीलंका का तीसरा संयुक्त अभ्यास, पुणे स्थिति औंध सैनिक कैम्प में संपन्न हुआ। 14-दिन तक चले इस प्रशिक्षण में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, पारस्परिकता का विकास और संयुक्त कमान के नेतृत्व में सुनियोजित कार्यवाही सम्मलित थी।

2.13. "हैंड-इन-हैंड 2015" भारत-चीन संयुक्त सैनिक अभ्यास

- हाथ-में-हाथ हैंड-इन-हैंड नाम से भारत और चीन के बीच आतंकवाद विरोधी संयुक्त अभ्यास, चीन के दक्षिण-पश्चिम में यूनान प्रांत स्थित कुनमिंग सैनिक अकादमी में संपन्न हुआ।
- इस अभ्यास का उद्देश्य "संयुक्त कार्य क्षमता विकसित करना, आतंकवाद विरोधी कार्यवाही में अनुभव साझा करना और भारत व चीन की सेनाओं के बीच मित्रवत आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देना है ।

2.14. भारत-इंडोनेशिया समुद्री अभ्यास

- भारत और इंडोनेशिया ने अंडमान सागर में औपचारिक रूप से संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन कर परस्पर सामरिक और सुरक्षा सम्बन्धों को सशक्त किया ।
- यह पहला द्विपक्षीय अभ्यास था।
- दोनों देशों के इस अभ्यास में संयुक्त गश्ती अभियान के उन्नत (CORPAT) के एक्सपैंडेड संस्करण के तत्व सम्मलित थे।
- दोनों देशों की नौ-सेनाएं हिंद महासागर के इस महत्वपूर्ण हिस्से को औद्योगिक जहाजरानी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर इस प्रकार का कोर्डिनेटड पट्रोलिंग (CORPAT) अभ्यास करती रही हैं।

VISION IAS

ALL INDIA IAS TEST SERIES 2015
General Studies · Philosophy · Sociology · Public Administration · Geography · Essay · Psychology
All India Rank, Performance Analysis, Flexible & Expert Discussion
Starts : 5th Sep

GENERAL STUDIES ADVANCED BATCH 2015
For Civil Services Mains Examination 2015
Starts : 7th Sep

ETHICS MODULE
By renowned faculty and senior bureaucrats
25 Classes
Regular Batch
Starts : 15th Sep

PHILOSOPHY
Foundation/Advance Course @ JAIPUR Center
Includes comprehensive & updated study material
Classes on Philosophy by Anoop Kumar Singh:
Starts : 7th Sep

 ©Vision IAS

अर्थव्यवस्था

3.1. विश्व आर्थिक फोरम के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 16 पायदान ऊपर

- विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के इस वर्ष के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 16 पायदान ऊपर चढ़ कर 140 देशों को सूचि में 55वें स्थान पर पहुंच गया है।

Global Competitiveness Index ranking

	2014-15	2015-16
Switzerland	1	1
Singapore	2	2
US	3	3
Malaysia	20	18
China	28	28
Indonesia	34	37
Russia	53	45
South Africa	56	49
India	71	55
Brazil	57	75

How India is ranked

	2014-15	2015-16
Sub-indexes		
Basic requirements	92	80
Efficiency enhancers	62	58
Innovation & sophistication	52	46
Key parameters		
Quality of institutions	70	60
Macro stability	101	91
Infrastructure	87	81
Health & primary education	98	84
Labour market efficiency	112	103
Tech readiness	121	120

Note: The 2015-16 ranking is of 140 countries, while the 2014-15 one was of 144 countries. Source: World Economic Forum

सुधार क्यों:

- नई सरकार की व्यापार और , विकास समर्थक तथा भ्रष्टाचार विरोधी रुख के कारण भारत सुधार संभव हुआ है । इससे नई सरकार के प्रति व्यापारिक समुदाय की भवनों में सुधार हुआ है।
- सबसे उल्लेखनीय सुधार अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा पैदा करने वाले मूलभूत चालकों, में हुआ है विशेष रूप से यह सुधार विनिर्माण क्षेत्रक के विकास में हुआ है।
- अपने संस्थानों की प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में भारत 60वें स्थान पर है (कुल 140 देशों की सूची में और गत वर्ष से 10 पायदान ऊपर) जबकि मूलभूत सुविधाओं के मामले में 6 पायदान उछल कर 81वें स्थान पर पहुंच गया है।
- जिंसों की कम कीमतों के कारण मुद्रास्फीति भी गत वर्ष के दो अंकों के स्तर से नीचे गिर 2014 में 6 प्रतिशत पर आ गई।

सुधार वाले क्षेत्र कौने से हैं ?

व्यापक आर्थिक स्थिरता, संस्थानों की गुणवत्ता जैसे कुछ क्षेत्रों में भारत सुधार का साक्षी बना हालांकि, अन्य क्षेत्र भी ध्यान देने योग्य हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

1. तकनीकी तत्परता - भारत विश्व में डिजिटल रूप से सबसे कमजोर या कम जुड़ाव रखने वाले राष्ट्रों में से एक है। पांच भारतीयों में एक से भी कम व्यक्ति इन्टरनेट का प्रयोग नियमित रूप से करता है और पांच भारतियों में दो से भी कम के पास मूलभूत सेल फोन होने का अनुमान है।
2. श्रम बाजार- श्रम बाजार में दक्षता के मामले में भारत की स्थिति बहुत नीचे है । इसमें भारत 103वें स्थान पर है। यह रैंकिंग श्रम सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। प्रतिबंधात्मक श्रम विनियम, श्रमिको में काम के प्रति निम्न नैतिकता, शिक्षित कार्यबल की अपर्याप्तता जैसे कुछ क्षेत्र हैं जिन पर भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता सुधरेगी और भारत में कारोबार करना आ हो जाए इसके द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता है।
3. भारत में कारोबार करने में बाधाएं- प्रतिगामी कर नियम, करों की उच्च दरें, विदेशी मुद्रा नियम एवं वित्तपोषण तक पहुंच में कठिनाइयों से सभी भारत में कारोबार करने में सबसे बड़े बाधक है रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया है।
4. व्यापक आर्थिक स्थिरता के सम्बन्ध में भारत के प्रदर्शन में सुधार हुआ है, हालांकि स्थिति फिर भी चिंताजनक (10 पायदान ऊपर 91 वें स्थान पर) बनी हुई है।
5. सरकार घाटे के बजट में 2008 के सर्वोच्च स्तर से धीरे-धीरे कमी आई है यद्यपि , यह अभी भी विश्व(131वां) में सबसे अधिक बजट घाटों में से एक है। बजट घाटा 2014 में सकल घरेलू उत्पाद के 7 प्रतिशत केबराबर था।
6. इसकी विद्युत आपूर्ति गुणवत्ता अब भी बहुत निम्न है। (91वां)

वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट (जी.सी.आर.) एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक:

1. जी.सी.आर. विश्व आर्थिक फोरम द्वारा वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाने वाला एक रिपोर्ट है।
2. वर्ष 2004 से वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट द्वारा विभिन्न राष्ट्रो की Xavier Sala-i-Martin एवं Elsa V. Artadi द्वारा विकसित वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक के आधार पर रैंकिंग की जाती है।
3. वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक द्वारा संस्थाओं, नीतियों एवं कारकों के उन समुच्चयों का मापन किया जाता है जो संधारणीय मार्ग एवं मध्यावधिक आर्थिक संवृद्धि स्तर निर्धारित करते हैं।

अन्य निष्कर्ष:

- इस सूची में शीर्ष पर क्रमश: स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, अमेरिका, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देश हैं।

VISION IAS

- उभरते हुए बड़े बाजारों में दक्षिण अफ्रीका 7 पायदान प्रगति करके 49वें स्थान पर पहुंच गया है जबकि चीन 28वें स्थान पर स्थिर बना हुआ है। इंडोनेशिया (तीन पायदान नीचे) 37वें स्थान पर है और ब्राजील 75वें स्थान पर है।

सीएसई 2008
वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2007 में भारत

3.2. वोडाफोन ने हस्तांरतरण कीमत निर्धारण कर विवाद जीता

- वोडाफोन इंडिया ने बंबई उच्च न्यायालय में हस्तांतरण कीमत निर्धारण पर आयकर विभाग के विरुद्ध अपनी लड़ाई जीत ली है। बंबई उच्च न्यायालय ने 8,500 करोड़ रूपए के हस्तांतरण कीमत निर्धारण कर विवाद में वोडाफोन ग्रुप पी.एल.सी. की भारतीय इकाई के पक्ष में निर्णय सुनाया।

पृष्ठभूमि :

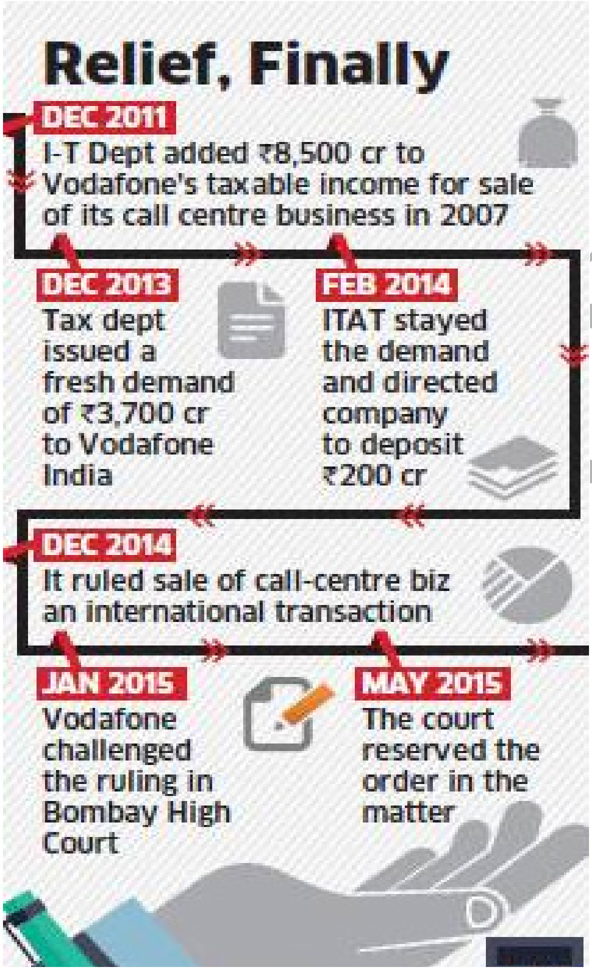

- यह विवाद कर निर्धारण वर्ष 2008-09 में अहमदाबाद स्थित कॉल सेंटर के कारोबार (पूर्व में 3 ग्लोबल सर्विसेज के रूप में ज्ञात वोडाफोन इंडिया सर्विसेज) की बिक्री से संबंधित है।
- आयकर विभाग ने वर्ष 2007-08 की कर योग्य आय में 8,500 करोड़ रुपये जोड़ने की मांग करते हुए कंपनी को नोटिस जारी किया कि इसने हस्तांतरण कीमत निर्धारण से संबंधित नियमों का अतिक्रमण किया है। दिसंबर 2013 में, आयकर विभाग ने इस मामले में कंपनी से 3,700 करोड़ रुपये के कर की मांग की।
- कंपनी ने कर की मांग के विरुद्ध आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया कम्पनी के अनुसार यह अंतरराष्ट्रीय लेन-देन नहीं था और यह लेन- देन हस्तांतरण कीमत निर्धारण नियमों की सीमा में नहीं आता है।
- लेकिन न्यायाधिकरण ने 10 दिसम्बर 2014 को विभाग के पक्ष में निर्णय सुनाया।

निर्णय का प्रभाव

- उच्च न्यायलय का निर्णय भारत में विदेशी निवेशकों के लिए एक उत्कृष्ट संकेत है।
- यह निर्णय रॉयल डच शेल पी.एल.सी., इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कार्पोरेशन और नोकिया ओवाईजे सहित भारतीय कर विभाग के साथ इसी प्रकार के विवादों में उलझी अन्य विदेशी कंपनियों के लिए भी शुभ संकेत है।
- यह निर्णय कर व्यवस्था में स्थिरता और पुर्वनुमेयता लाने के सरकार के प्रयास के प्रयासों के अनुकूल है।

संबंधित जानकारी:

हस्तांतरण कीमत निर्धारण:

- वह कीमत जिस पर कंपनी के संभाग एक दूसरे के साथ कारोबार करते हैं, हस्तांतरण कीमत कहलाती है। लेन-देन में विभागों के बीच आपूर्तियों, सेवा या श्रम का व्यापार सम्मिलित हो सकता है।जब बहुत बड़ी फर्म की बिभिन्न इकाईयों को अलग-अलग इकाई के रूप में मापा एवं माना जाता है तब हस्तांतरण की मत का प्रयोग कर निर्धारण के लिए किया जाता है ।

आर्म्स लेंथ:

- ऐसा लेन-देन जिसमें किसी भी उत्पाद के खरीदार और विक्रेता स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और उनका एक-दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं होता है, उसे आर्म्स लेंथ लेन-देन के रूप में जाना जाता है। आर्म्स लेंथ लेन-देन की अवधारणा यह सुनिश्चित करता है कि सौदे में दोनों पक्ष अपने हित में कार्य कर रहें हैं किसी अन्य पक्ष के दबाव या बाध्यता के अधीन नहीं हैं।

हस्तांतरण कीमत निर्धारण से संबंधित भारतीय कानून:

- आयकर अधिनियम प्रावधान करता है कि अंतरराष्ट्रीय लेन-देन से उत्पन्न होने वाली किसी भी आय की गणना आर्म्स लेंग्थ कीमत को ध्यान में रखकर की जाएगी। इसका निर्धारण केंद्रीय प्रत्यक्ष कराधान बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) करेगा तुलनीय अनियंत्रित मूल्य

पद्धति, लागत प्लस विधि आदि जैसे विभिन्न तरीकों की सहायता से करेगा ।

सेफ हार्बर नियम:

- आर्म्स लेंथ कीमत का निर्धारण सेफ हार्बर नियमों के अधीन है। "सेफ हार्बर" से आशय उन परिस्थितियों से है जिसमें आयकर अधिकारी कर निर्धारिती (एसेसी) द्वारा घोषित हस्तांतरण कीमत स्वीकार करते हैं।
- यह एक कानूनी प्रावधान है । इसके द्वारा अच्छे कर दाताओ के दायित्व को कम या समाप्त किया जाता है । सरकार, सेफ हार्बर मार्जिन कम करके इसे कंपनियों के लिए आकर्षक बनाने और सेफ हार्बर की परिभाषा स्पष्ट कर अधिक पारदर्शिता लाने पर विचार कर रही है।

अग्रिम कीमत निर्धारण समझौते:

सी.बी.डी.टी. किसी भी व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के संबंध में आर्म्स लेंथ कीमत निर्धारित करती है या उस तरीके को निर्दिष्ट करते हुए, जिसके अनुसार आर्म्स लेंथ की कीमत निर्धारित की जाएगी, अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता कर सकती है।

> इसी तर्ज पर वर्ष 2011 का प्रश्न हस्तांतरण मूल्य निर्धारण को पूछा जा सकता है।
>
> "निम्नलिखित में से कौन मूल्य संवर्धित कर की विशेषता नहीं है?"
>
> (क) यह कराधान की बहु-बिंदु गंतव्य आधारित प्रणाली है।
>
> (ख) यह उत्पादन-वितरण श्रृंखला में लेन-देन के प्रत्येक चरण पर मूल्य संवर्धन पर लगाया जाने वाला कर है।
>
> (ग) यह वस्तुओं या सेवाओं की अंतिम खपत पर कर है और अंतत: इसका वहन उपभोक्ता द्वारा किया जाना चाहिए।
>
> (घ) मूल रूप से यह केंद्र सरकार के अधीन है और राज्य सरकारें इसके सफल कार्यान्वयन के लिए मात्र सुविधा प्रदाता हैं।"
>
> **सीएसई 2010**
>
> प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अर्न्तप्रवाह के संदर्भ में 'राउंड ट्रिपिंग' क्या है और भारत के मामले में यह हाल ही में सुर्खियों में क्यों रहा?

3.3. ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के बीच अंतर

- एच.एस.बी.सी. द्वारा जारी मुद्रास्फीति रिपोर्ट के अनुसार, कुल मिलाकर भारत की मूलभूत मुद्रास्फीति की गति 5.5 प्रतिशत है। वहीं ग्रामीण भारत के लिए यह 6.5 प्रतिशत से अधिक और शहरी क्षेत्र के लिए यह केवल 4.5 प्रतिशत है।

इस अंतर के कारण:

- गैर-पेट्रोलियम आधारित ईंधन के अधिकाधिक उपयोग अधिकांश ग्रामीण घरों में किया जाता है इन ईंधनों का मुद्रास्फीति उच्च बनी रहती है।
- तेल की कीमतों में नाटकीय गिरावट ने 'ईंधन' और 'परिवहन' की कीमतें नीचे लाने में योगदान दिया है। हालांकि, ग्रामीण भारत को तेल में गिरावट का लाभ कम मिला है खाद्य पदार्थ और अन्य –खाद्य पदार्थों के मामले में, सस्ते आयात का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर रूप से नहीं पहुंच पा रहा है।

RURAL VERSUS URBAN INFLATION

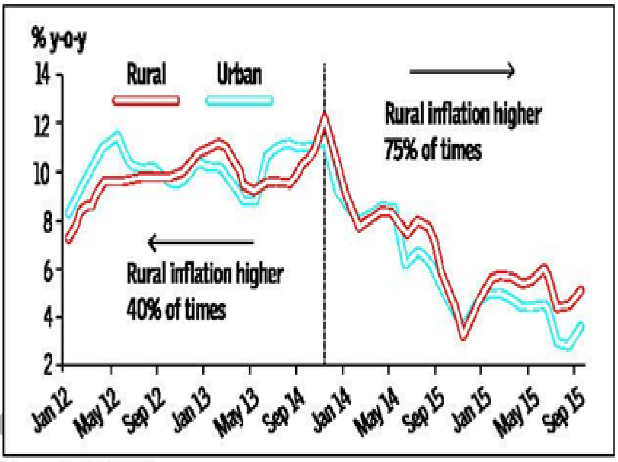

Source: CEIC, HSBC

- ग्रामीण भारत में संरचनात्मक सुविधा की कमी है। शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण भारत में संरचनात्मक सुविधाएं कम हैं इसका मुख्य कारण हैं: परिवहन का अपर्याप्त नेटवर्क, सीमित प्रदाता और अपर्याप्त प्रतियोगिता और वितरण चैनल, अपर्याप्त निवेश, बढ़ता गतिरोध और लगातार दो सूखों इन सभी संरचनात्मक सुविधाओं की कमी ने ग्रामीण भारत की संभावित (या प्रवृत्ति) वृद्धि कम करने में योगदान दिया है और सीमित उत्पादन अंतराल, ने कमजोर विकास के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में मूल मुद्रास्फीति को तेजी से गिरने से रोके हुए है।

आगे का मार्ग:

विकास को सदाबहार और धारणीय (टिकाऊ) बनाने हेतु ग्रामीण अवसंरचना में अधिकाधिक निवेश और सार्थक कृषि सुधार आवश्यक हैं। इससे आर.बी.आई. मुद्रास्फीति के अपने 4 प्रतिशत के लक्ष्य को धारणीय रूप से पूरा करने में भी समर्थ हो सकेगा।

3.4. कारोबार करने में सरलता: भारत की स्थिति में सुधार

- विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ष 2016 के अनुसार भारत 189 देशों की सूची में 130 वें स्थान पर है। पिछले वर्ष की रैंकिंग की तुलना में चार स्थानों का सुधार हुआ है।
- दक्षिण-एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने सबसे अधिक सुधार दर्ज किया है।

VISION

- कारोबार करने में सरलता के मामले में भारत अब भी ब्रिक्स (BRICS) देशों में सबसे निचले पायदान पर है।

- 'व्यवसाय का आरंभ' और 'विद्युत प्राप्ति' में सुधार से भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है।
- नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए लगने वाले दिनों की संख्या इस वर्ष भी 29 दिनों पर बनी रही।

चिंतित करने वाले क्षेत्र :

- 10 मापदंडों में से दो मापदंडो निम्न है - अनुबंध लागू करना तथा व्यवसाय समापन में भारत का प्रदर्शन बहुत खराब है।

- पिछले 12 महीनों के दौरान व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति थोड़ी कठिन हुई है। इसके परिणामस्वरूप रैंकिंग में छह स्थानों की गिरावट हुई है।
- वाणिज्यिक विवादों का समाधान करने के मामले में इस सूची के 189 देशों में से आठ दक्षिण एशियाई देशों में है भारत की तुलना में केवल बांग्लादेश की स्थिति निम्नतर है।

दो अध्यादेशों को कैबिनेट की स्वीकृति :

- कैबिनेट ने वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए दो अध्यादेशों को अनुमति प्रदान की है। इससे देश में कारोबार करने में सरलता की स्थिति में सुधार होगा।
- सरकार ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में संशोधन करने वाले अध्यादेशों को अनुमति प्रदान कर दी है इस संशोधन द्वारा सरकार और वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक संभाग और उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक अपीलीय संभाग विधेयक, वर्ष 2015 को प्रभाव में लाएगी।
- मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 में प्रस्तावित संशोधन के तहत , मध्यस्थ पंच को 18 महीने के भीतर मामले का निपटारा करना होगा। हालांकि, 12 महीने पूरे होने के पश्चात् मध्यस्थता वाले मामले विचाराधीन रहें, इसे सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रतिबंध आरोपित किए जाएंगे।

3.5. वैश्विक निर्धनता पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

हाल ही में, विश्व बैंक ने सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों पर वर्ष 2014-15 के लिए वैश्विक निगरानी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के कुछ निष्कर्ष निम्नलिखित हैं -

- विश्व बैंक द्वारा जारी नवीन अनुमान यह प्रदर्शित करते हैं कि दुनिया में निर्धनता घटी है। अब 10 में एक से भी कम लोग चरम निर्धनता में निवास कर रहे हैं।
- पिछले 25 वर्षों में 1.2 बिलियन से अधिक लोग वैश्विक निर्धनता रेखा से ऊपर उठे हैं। ऐसा मानव इतिहास में पहली बार हुआ है कि अफ्रीका के कुछ भागों को छोड़कर विश्व के अधिकतर भागों में सर्वाधिक बुरी निर्धनता नियंत्रण में दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व में वर्ष 2030 तक चरम निर्धनता समाप्त हो जाएगी।
- वर्ष 1990 से चरम निर्धनता में तीव्र गिरावट सर्वाधिक स्पष्ट रूप से वैश्विक वृद्धि से जुड़ी है यह वैश्विक वृद्धि अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं के उदारीकरण के उपरांत हुई ।
- स्पष्ट रूप से चीन की असाधारण आर्थिक सफलता वैश्विक निर्धनता में इतनी तीव्र गति से गिरावट आने का एक प्रमुख कारण है। इससे पहले किसी भी देश ने इतनी कम समयावधि में इतने अधिक लोगों को निर्धनता से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त नहीं की है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य:

- वर्ष 2008 और 2011 के बीच लगभग 140 मिलियन लोगों को पूर्ण निर्धनता से बाहर निकालते हुए भारत निर्धनता कम करने में

सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहा है।

- यह उल्लेखनीय उपलब्धि भी पर्याप्त नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 में विश्व के चरम निर्धन लोगों में से 30प्रतिशत लोग भारत के थे।
- श्रीलंका, नेपाल और यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी निर्धन लोगों की संख्या में कमी करने का बेहतर कार्य किया है, यह नीचे दिए गए चित्र से प्रदर्शित होता है।

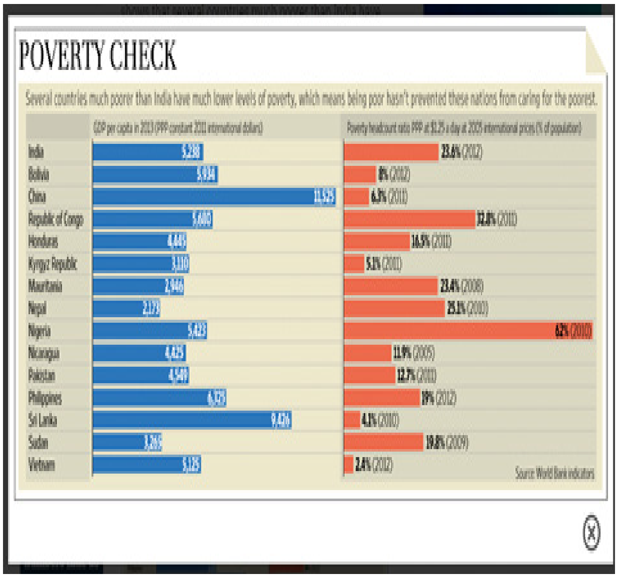

निर्धनता रेखा:

- बैंक प्रतिदिन 1.9 डॉलर की अद्यतित अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा का प्रयोग करता है, यह विभिन्न देशों में जीवन-यापन की लागत के मतभेदों के विषय में नई जानकारी को समाविष्ट करती है।
- नई रेखा, विश्व के सर्वाधिक गरीब देशों में पहले की रेखा की वास्तविक क्रय शक्ति (वर्ष 2005 के मूल्यों में 1.25 डॉलर प्रतिदिन) को बनाए रखती है।

चुनौतियाँ:

वर्ष 2030 तक बड़े पैमाने पर निर्धनता समाप्त करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तीन मुद्दों की और ध्यान दिये को संबोधित किए जाने की आवश्यकता है।

- धीमी आर्थिक वृद्धि।
- अधिकतर देशों में असमानता में वृद्धि।
- निर्धनता पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य और सामाजिक गतिशीलता इत्यादि सभी आयामों की दृष्टि से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

3.6. बेस इरोजन एंड प्रोफिट शिफ्टिंग (बी.ई.पी.एस.) परियोजना तथा भारत पर इसके प्रभाव

बेस इरोजन एंड प्रोजेक्ट शिफ्टिंग (बी.ई.पी.एस.) परियोजना तथा भारत पर इसके प्रभाव बेस इरोजन एंड प्रोफिट सिफ्टिंग (BEPS) कर योजना की रणनीतियों को सन्दर्भित करती है। ये रणनीतियाँ कर नियमों और बेमेलता का दुरुपयोग करती है। इस दौरान करारोपण हेतु लाभ को अदृश्य करने या जिस स्थान पर कम या कोई भी वास्तविक गतिविधि नहीं होती है किन्तु कर कम होते है, उस स्थान पर स्थानांतरित करती है जिससे कि बहुत अल्प या बिल्कुल भी कारपोरेट कर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बी.ई.पी.एस. को ट्रांसफर प्राइसिंग क्रियाविधि के प्रयोग से संभव किया जा सकता है। बी.ई.पी.एस. परियोजना ओ.ई.सी.डी. और 20 देशों (जी 20) के समूह द्वारा संचालित होती है और यह वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट की अनुक्रिया है और इसका प्रयोजन अन्य देशों की कीमत पर वृद्धि का समर्थन करने वाली नीतियों का उपयोग किए बिना संधारणीय और दीर्घावधिक आर्थिक वृद्धि की नींवों की स्थापना करना है।

पृष्ठभूमि :

यह अनुमान लगाया है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ प्राय: एक जटिल लेन-देन संरचना का प्रयोग करती है। इस विनिमय संरचना द्वारा वे अपने कारपोरेट कर के व्यय को कृत्रिम रुप से कम करती है। इस प्रक्रिया के दौरान कम कराधान वाले अधिकार/न्यायक्षेत्र में कंपनियाँ स्वयं को स्थानांतरित कर लेती है। ओ.ई.सी.डी. के अनुमानों के अनुसार, इस प्रकार की कर चोरी से प्रतिवर्ष 100-240 बिलियन डॉलर वैश्विक राजस्व की हानि हुई है, जो वैश्विक कॉरपोरेट आय कर राजस्वों के चार से 10 प्रतिशत के बराबर है।

हाल में की गई कार्रवाइयाँ:

हाल ही में ओ.ई.सी.डी. ने अपनी बेस इरोजन एंड प्रोफिट शिफ्टिंग (बी.ई.पी.एस.) परियोजना के अंतर्गत 15 कार्ययोजनाओं का अनावरण किया है। यह निसंदेह भारत तथा संपूर्ण विश्व में संचालित होने वाली अनेक कंपनियों के लिए नए और भयावह परिवर्तन करेगा।

बी.ई.पी.एस. परियोजना के अंतर्गत अनुमत 15 कार्य योजनाएँ व्यापारों और सरकारों दोनों के लिए ही पारदर्शिता बढ़ाने में सहयोग करेंगी। ये कार्य योजनाएँ देशों के बीच कर प्रशासन हेतु उभयनिष्ठ रूप से सहमत न्यूनतम मानकों का आरम्भ करेगी।

प्रभाव:

- कम्पनियों को विभिन्न कर अधिकार क्षेत्रों में अपने संचालन के लिए विभिन्न देशों के लिए विभिन्न रिपोर्टिंग मानकों का पालन करना पड़ेगा।
- जिन भारतीय कम्पनियों के बी.ई.पी.एस. की परिधि में आने की संभावना होगी, उन्हें नई शासन प्रणाली के बारे में अपनी जागरूकता बढ़ाने और वर्ष 2017 से प्रभावी होने की संभावना वाले नए विनियमों का अनुपालन करने हेतु तैयारी करने की आवश्यकता होगी।

VISION IAS

- उन्हें अपनी लेखा प्रणालियों को अपडेट करना होगा और विशेष रूप से विभिन्न देशों के अनुसार रिपोर्टिंग मानकों और ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों के संबंध में अनुपालन करने की क्रियाविधियों में सुधार करना होगा तथा आंकड़ों की रिपोर्टिंग पद्धति को भी अपडेट करना होगा।

3.7. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार

- नोबल पुरस्कार समिति ने अर्थशास्त्र में वर्ष 2015 का नोबेल पुरस्कार प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एंगस डीटन को उनके "उपभोग, निर्धनता और कल्याण" के विषय पर किए गए विश्लेषण के लिए प्रदान किया है।
- एंगस डीटन का जन्म वर्ष 1945 में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था। उन्हें अमेरिका और ब्रिटेन दोनों की नागरिकता प्राप्त है।

उनके कार्य के संबंध में:

उनका कार्य आय के आंकड़ों के स्थान पर घरेलू खपत सर्वेक्षणों पर निर्भर रहा है। उन्होंने व्यक्तिगत उपभोग निर्धारणों और संपूर्ण अर्थव्यवस्था हेतु परिणामों के बीच संबंधों पर जोर देकर, उनके कार्य ने आधुनिक व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र और विकास अर्थशास्त्र का रूपांतरण करने में सहायता की है। अपने कार्य में, उन्होंने तीन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है :

- उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं पर अपने व्ययों को किस प्रकार वितरित करते हैं?
- समाज की कितनी आय -व्यय की जाती है और कितनी आय की बचत की जाती है?
- हम कल्याण और निर्धनता का मापन सबसे अच्छे ढंग से किस प्रकार करते हैं?

आंकड़ों का महत्व:

एंगस डीटन ने बड़े सर्वेक्षणों में एकत्रित किए गए आंकड़ों की गुणवत्ता पर प्रश्न उठाए और सर्वेक्षणों में सुधार करने के तरीके सुझाए। उन्होंने इस बारे में भी गहनता से विचार किया -

- इन आंकड़ों को किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता
- मापन संबंधी दोषों को किस प्रकार कम किया जाए
- जिन आंकड़ों की मापन दोषों से ग्रस्त होने की संभावना है उनसे कोई व्यक्ति क्या निष्कर्ष निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता। उनके अनुसार-
- अच्छे आंकड़े अच्छे अर्थशास्त्र की मूलभूत आवश्यकता हैं।
- यह सरकार के सांख्यिकीय आंकड़ों को सत्यापित करने में सहयोग करते हैं, जिससे कि किसी देश में लोकतांत्रिक बहस विभिन्न विद्वानों की विभिन्न विवेचनाओं से सूचित की जा सके।
- लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए उच्च गुणवत्ता के, खुले, पारदर्शी और सेंसर न किए हुए आंकड़ों की आवश्यकता होती है।

भारत से संपर्क:

भारत डीटन की प्रयोगशालाओं में से एक रहा है। उनके कार्य ने भारत में वंचित जनसंख्या का चित्रांकन करने की पद्धति को बहुत प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए, उन्होंने यह इंगित किया कि किस प्रकार एन.एस.एस. (नेशनल सैंपल सर्वे) के 55वें (1999-2000) दौर में आंकड़ों के संग्रहण के समय उपभोग व्यय पर ध्यान न दिए जाने की असंगतियों जैसी मापन संबंधी कमियाँ थीं। अशुद्ध रूप से एकत्रित आंकड़ों के कारण खपत को वास्तविकता से अधिक और निर्धनता को वास्तविकता से कम तथा इनके विपरीत क्रम में अनुमानित किया गया। इसी प्रकार, मूल्य सूचकांकों और निर्धनता के मापन पर उनके द्वारा किया गया कार्य सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा खींची गयी निर्धनता रेखा का केन्द्र बिन्दु था।

भारत के लिए सबक:

- डीटन के कार्य से उत्पन्न होने वाला मुख्य संदेश यह है कि असमानताएँ अक्सर आर्थिक वृद्धि का परिणाम होती हैं।
- बहुत से लोगों को पीछे छोड़े बिना गरीबी और अस्वास्थ्य पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
- असमानता के संकटपूर्ण खतरे भी हैं। जो गरीबी की परिस्थितियों से बाहर निकल चुके हैं वे अपनी सम्पत्ति का उपयोग ऐसे लोगों को विकसित होने से बाधित करने के लिए करते हैं जो अभी भी अभावग्रस्त हैं।
- समुचित शिक्षा, उपलब्ध और प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता व्यवस्था ऐसी वस्तुएँ हैं जो हर किसी को लाभ प्रदान करती हैं। नवीन मध्यम वर्ग को ऐसे करों का भुगतान करके प्रसन्नता चाहिए जिससे अन्य लोगों को अपना जीवन सुधारने का अवसर प्राप्त हो।

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के विषय में:

- अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1968 में की गयी थी। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्थापित यह पुरुस्कार अर्थशास्त्र में आधिकारिक रूप से Sveriges Risk bank Prize के नाम से जाना जाता है। डायनामाइट टाईकून (tycon) नोबेल की वसीयत में निर्धारित पुरस्कारों के मूल समूह में अर्थशास्त्र का नोबल पुरूस्कार सम्मिलित नहीं था।

3.8. घरेलू प्राकृतिक गैस के मूल्यों का पुनर्निर्धारण

सरकार ने अक्टूबर 2015 और मार्च 2016 की अवधि के लिए घरेलू प्राकृतिक गैस के मूल्यों को घटाकर 3.82 प्रति मिलियन मीट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एम.एम.बी.टी.यू.) कर दिया है।

- नए सूत्र के अनुसार, हर 6 महीने पर मूल्यों को पुनर्निधारित किया

VISION IAS

जाएगा। यह निर्धारण अमेरिका, इंग्लैंड कनाडा और रूस के भारित औसत के आधार पर

- उर्वरक और विद्युत उत्पादन जैसे क्षेत्र, जो प्राथमिकता के आधार पर घरेलू गैस प्राप्त करते हैं, वे सस्ते निवेश से लाभान्वित होंगे।
- ये उपभोक्ता पक्ष को प्राप्त होने वाले लाभ हैं किन्तु भारत में तेल और गैस की खोज तथा उत्पादन की व्यापारिक संभावनाओं के विषय में चिन्ताएँ बढ़ती जा रही हैं। गैस का कम मूल्य इस क्षेत्र में निवेश को उत्साहहीन करने का कारण हैं। घरेलू गैस के कम मूल्य अपस्ट्रीम खोज को हतोत्साहित करता है और महंगे एल.एन.जी. आयातों पर निर्भरता बढ़ाता है।
- भारत अपनी तेल और गैस आवश्यकता का लगभग 80 प्रतिशत तक आयात करता है, जो भारत के कुल आयात का एक तिहाई भाग है।
- विगत वर्ष घरेलू गैस के मूल्यों को वैश्विक मूल्यों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन भारतीय समुद्रतट रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में खोज तथा उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा आयात पर निर्भरता को कम करना था।

गैस के मूल्य कम होने के कारण:

- अमेरिका में शेल गैस उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि,
- रूस के रूबल में गिरावट,
- कच्चे तेल के मूल्य में अचानक गिरावट,
- गैस के मूल्यों के लिए एक समान सूची

3.9. दालों के मूल्य में बढ़ोत्तरी

दालें भारतीय जनसंख्या के लिए प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इस वर्ष इनका मूल्य आसमान छू रहा है। सितम्बर-अक्टूबर में अरहर की दाल का मूल्य 132 रुपए प्रति किलोग्राम से 200 रुपए प्रति किग्रा के बीच रहा। पिछले पांच वर्षों में, अरहर दाल का खुदरा मूल्य 74-85 रुपए प्रति किग्रा के बीच था।

मूल्यों में बढ़ोत्तरी के कारण:

मानसून की कमी और बेमौसम वर्षा होने के कारण फसल वर्ष 2014-15 में घरेलू उत्पादन में 2 मिलियन टन (एम.टी.) से 17.20 मिट्रिक टन की कमी।

सरकार द्वारा की गयी पहलें:

सरकार ने विभिन्न नीतिगत उपाय अपनाए हैं-

- इन वस्तुओं के निर्यात को बाधित/प्रतिबंधित किया है। इन वस्तुओं को शून्य आयात शुल्क पर आयात की अनुमति दिया है।
- निजी व्यापार के भण्डारों को तत्काल समाप्त करने पर बल दिया है। इसके लिए बाध्यकारी भण्डारण सीमाओं के अधिरोपण हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम (ई.सी.ए.) का उपयोग किया है।
- वायदा कारोबार को निलंबित/प्रतिबंधित दिया है।
- दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया।
- राज्य के स्वामित्व की एम.एम.टी.सी. ने 5000 टन अरहर दाल का आयात किया है और 2000 टन चना आयात करने के लिए संशोधित निविदाएं आमंत्रित की है। सरकार इसकी आपूर्ति बढ़ाने तथा राज्यों को रियायती-मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए विदेश से अरहर दाल की खरीद करने के लिए नवीन निविदाएँ के आमंत्रण की योजना बना रही है।

क्या किया जाना चाहिए :

- व्यापार नीति में परिवर्तन – किसान और अधिक दालों का उत्पादन करे इसे प्रोत्साहित करने के लिए सभी निर्यात नियंत्रणों को समाप्त करना।
- मूल्य अस्थिरता से निबटने हेतु आपूर्ति अंतरों का बेहतर प्रबंधन – ई.सी.ए. (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के अधीन भण्डारण सीमाओं को समाप्त करना। यह तत्काल बिक्री के स्थान पर किसानों को भण्डारण के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह बफ़र स्टॉक सृजित करने में सहयोग करेगा और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस बफर स्टॉक का लाभ किसानों को प्राप्त होगा, न कि भण्डारण करने वालों को। इससे किसानों को और अधिक दालें उगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा ।
- सरकार द्वारा सरकारी खरीद :- गेहूँ और चावल के लिए सरकारी खरीद की व्यवस्था है किन्तु दालों और तिलहनों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अत: घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार को सरकारी खरीद के लिए उचित कार्यप्रणाली या क्रियाविधि की भी व्यवस्था करनी चाहिए।
- सब्सिडी – उर्वरकों, ऊर्जा और सिंचाई पर प्रदान की जाने वाली अधिकतर सब्सिडी गन्ना, गेहूँ और धान को प्राप्त होती हैं। इन सब्सिडी की मात्रा 10,000 रुपए/ हेक्टेयर से अधिक होती है।
- बफर स्टॉक का सृजन करना- दालों की लगभग 23 मिलियन टन घरेलू खपत है इसके लिए न्यूनतम दो से तीन मिलियन बफर स्टॉक की आवश्यकता है जिसे दालों के मूल्य में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए जारी किया जा सके।
- वस्तु विनिमयों की भूमिका – सुदृढ़ वस्तु विनिमय द्वारा उचित मूल्य निर्धारण को सुसाध्य किया जाना चाहिए। साथ ही स्पॉट प्राइसेस/प्रीमियम को भावी अस्थिरताओं को प्रदर्शित करने वाला होना चाहिए। ऐसा सेबी द्वारा किए जाने वाले विनियमनों के माध्यम से किया जा सकता है विनिमय लघु और दीर्घावधिक भावी मूल्यों के संदेशवाहक के रूप में कार्य कर सकता है।
- नवोन्मेषी समाधान- चावल, गेहूँ और अन्य दलहनों के साथ सोयाबीन के आटे को दालों के रूप में पुनर्निर्मित किया जा सकता है। हमारे पास सोयाबीन अधिक मात्रा में उपलब्ध है,

और सोयाबीन के आटे में 40 प्रतिशत से अधिक मात्रा प्रोटीन की पाई जाती है, जो अधिकतर अन्य दालों में पाए जाने वाले 20-25 प्रतिशत मात्रा की तुलना में अधिक होती है। ऐसा करने के लिए तकनीक उपलब्ध है और इसे भारतीय स्वाद के अनुरूप ढाला जा सकता है।

3.10. समाचारों में यह भी

3.10.1. वैश्विक भुगतान रैंकिंग में चीन के युआन ने येन को पीछे छोड़ा:

- चीन के युयान ने जापानी येन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की भुगतान मुद्राओं में चौथा स्थान प्राप्त कर लिया है। अगस्त के मूल्य के आधार पर विश्व भुगतान में युआ न की भागीदारी 2.79 प्रतिशत थी जबकि येन की भागीदारी 2.76 प्रतिशत थी।

3.10.2. आर.बी.आई. ने गृह ऋणों पर 90 प्रतिशत ऋण अनुपात (loan to value ratio) की अनुमति दी

भारतीय रिवर्ज बैंक (RBI) ने किसी सम्पत्ति को खरीदने के लिए अग्रिम दी जाने वाली राशि की मात्रा को बढ़ा दिया है और साथ ही कुछ विशेष वर्गों के गृह ऋणों से संबंधित जोखिम भारों को भी कम कर दिया है।

नए प्रावधान:

- आर.बी.आई. ने 30 लाख रुपए या उससे कम के गृह ऋणों के लिए 90 प्रतिशत मूल्य के अनुसार ऋण अनुपात (loan to value ratio) की अनुमति दे दी है। पहले 90 प्रतिशत एल.टी.वी. की अनुमति केवल 20 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए थी।
- यदि एल.टी.वी. 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत के बीच हो, तो इस प्रकार के ऋणों से संबंधित जोखिम भार 50 प्रतिशत होगा। यदि 30 लाख रुपए के ऋण के लिए एल.टी.वी. 80 प्रतिशत से कम हो तो, जोखिम भार कम होकर 35 प्रतिशत हो जाता है।

निर्णय के प्रभाव:

- वर्तमान में कम बिक्रियों और बढ़ती मालसूची से रियल एस्टेट सेक्टर लंबी मंदी के दौर से उबरने के लिए संघर्षरत्त है। यह मंदी बड़ी आर्थिक गिरावट के बाद से बनी हुई है।
- यह कदम संभवत: उधार लेने वालों को अधिक ऋण उपलब्ध कराएगा और संघर्षरत्त रियल एस्टेट बाजार को बेहतर बनाएगा।

3.10.3. तिरुपति में मोबाइल विनिर्माण सुविधा

- भारत में मोबाइल हैंडसेट विनिर्माण परितंत्र को बढावा देना, केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित फास्ट ट्रैक टास्क फोर्स (एफ.टी.टी.एफ.) द्वारा की गई पहल का हिस्सा।
- फॉक्सकॉन ने पहले ही शाओमी, जिओनी जैसे ब्रांडों के लिए आंध्रप्रदेश में परिचालन आरम्भ कर दिए हैं।
- अब चार भारतीय विनिर्माण कंपनियाँ माइक्रोमैक्स, सेलकोन, कार्बन और लावा, ये अपनी इकाइयों की स्थापना करने के लिए आगे आई हैं।
- यह सुविधा केन्द्र 60 एकड़ भूमि में फैला होगा। आशा है कि यह एक वर्ष में 10,000 से अधिक रोजगारों का सृजन करेगा और वर्ष 2019 तक अखिल भारत स्तर पर 15 लाख रोजगारों का सृजन करने के लक्ष्य में न्यूनतम 5 प्रतिशत का योगदान करेगा।

3.10.4. अमरावती-भूमि अधिग्रहण मॉडल

भूमि अधिग्रहण के लिए यूनिक "पूलिंग" मॉडल –

- एकमुश्त भुगतान के स्थान पर किसान को 30 प्रतिशत विकसित भूमि प्राप्त होगी। किसान द्वारा दी गई प्रत्येक 4,840 वर्ग गज भूमि के लिए, उसे 1,250 वर्ग गज का आवासीय भूखण्ड और 200 वर्ग गज का एक अन्य वाणिज्यिक भूखण्ड प्राप्त होगा।
- विकसित भूमि का मूल्य भूमि स्वामित्व की हानि की क्षतिपूर्ति करेगा।
- इसके साथ ही, किसानों को अपनी भूमि के त्याग के लिए 10 वर्ष तक प्रति वर्ष प्रति एकड़ 50,000 रुपए प्राप्त होंगे, यह राशि कृषि से होने वाली वार्षिक आय की क्षतिपूर्ति करेगी।
- यह मॉडल किसानों के लिए निष्पक्ष और सहभागितापूर्ण माना जा रहा है और इसकी सफलता को अन्यत्र दोहराया जा सकता है।

VISION IAS

ALL INDIA IAS TEST SERIES 2015
- General Studies
- Philosophy
- Sociology
- Public Administration
- Geography
- Essay
- Psychology

All India Rank, Performance Analysis, Flexible & Expert Discussion
Starts : 5th Sep

GENERAL STUDIES ADVANCED BATCH 2015
For Civil Services Mains Examination 2015
Starts : 7th Sep

ETHICS MODULE
- By renowned faculty and senior bureaucrats
- 25 Classes
- Regular Batch

Starts : 15th Sep

PHILOSOPHY
Foundation/Advance Course
@ JAIPUR Center
- Includes comprehensive & updated study material
- Classes on Philosophy by Anoop Kumar Singh:

Starts : 7th Sep

 ©Vision IAS

सामाजिक मुद्दे

4.1 सतत विकास लक्ष्य (SDG) एवं शिशु

- सतत विकास लक्ष्य - सतत विकास लक्ष्य 17 प्रमुख उद्देश्यों और 169 लक्ष्यों पर आधारित कार्यक्रमों का समूह हैं । इन उद्देश्यों और लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास सम्मेलन में सदस्य देशों के द्वारा स्वीकार किया गया।
- ये लक्ष्य अगले 15 वर्षों के अंदर वर्ष 2030 तक प्राप्त कर लिए जाएंगे।
- इन लक्ष्यों का उद्देश्य सतत विकास को सुनिश्चित करना है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की अपेक्षा इनके स्वरुप अधिक व्यापक हैं।

4.1.2 शिशुओं से संबंधित सतत विकास लक्ष्य (SDG)

भूख के शून्य मामले लक्ष्य - २

- सभी शिशुओं के लिए पोषक तत्वों से भरपूर पोषाहार उपलब्ध कराकर।
- भूख अथवा उचित पोषण के अभाव में होने वाली मौते को समाप्त करना।
- पाँच वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों में अपूर्ण शारीरिक विकास जैसी कुपोषण के कारण होने वाली समस्याओं को पूरी तरह समाप्त करना।
- किशोरियों के लिए आवश्यक पोषण की व्यवस्था की जाएगी।

अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण लक्ष्य - ३

- पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की रोग आदि के कारण असामयिक मृत्यु को रोकना।
- नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को 12 प्रति हजार पर सीमित करना जबकि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को 25 प्रति हजार बच्चों पर सीमित करना।

गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा लक्ष्य - 4

- प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सभी के लिए समानतापरक, गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना। प्रदान की जाने वाली शिक्षा प्रांसगिक और पूर्णतः परिणाम आधारित होगी।
- सभी बालकों का समग्र विकास हो सके, इसके लिए उचित देखभाल और पूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे संतुलित परिवेश में विकास के माध्यम से उन्हें प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार किया जा सकेगा।
- बच्चों, विकलांगों के लिए लैंगिक रुप से संवेदनशील शिक्षा सुविधाओं की स्थापना और उन्नयन किया जाएगा।
- एक ऐसे सशक्त परिवेश का निर्माण किया जाएगा, जहाँ सभी व्यक्ति सुरक्षित वातावरण में ज्ञान प्राप्त कर सके।
- सभी व्यक्तियों की, शिक्षा के सभी स्तरों पर पहुँच सुनिश्चित की जाएगी। संकटग्रस्त परिस्थितियों में निवास करने वाले बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी।

लैंगिक समानता - लक्ष्य - 5

- बाल विवाह कन्या भ्रूण हत्या एवं महिला जननांग अंगभंग जैसी विकृत परम्पराओं को पूरी तरह समाप्त करना।

गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक विकास

- बाल श्रम के सर्वाधिक विकृत रुपों का निषेध और इन्हें पूर्ण रुप से समाप्त करना। हाल के दिनों में बालकों का प्रयोग सैन्य लड़ाकों के रुप में करने के मामले सामने आए हैं, बाल्यवस्था के इस प्रकार के दुरुपयोग पर रोक लगाना।
- सतत विकास लक्ष्यों के अन्तर्गत बालश्रम के सभी रुपों का 2025 तक उन्मूलन कर दिया जाएगा।

सतत शहर एवं समुदाय

- शहरों में पर्यावरणीय अनुकूलन का ध्यान रखते हुए विकास की जा रही यातायात व्यवस्था में बालकों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
- सभी लोगों के लिए सुरक्षित और हरे भरे सार्वजनिक स्थानों का विकास करना।

शांति एवं न्याय की स्थापना एवं सशक्त संस्थाएँ

- हिंसा एवं इससे होने वाली मृत्यु दरों में कमी लाना।
- बालकों के साथ दुर्व्यवहार, दुर्व्यापार (trafficking) और सभी प्रकार की हिंसा तथा उत्पीडन को समाप्त करना सतत विकास लक्ष्यों में शामिल है।

> **सिविल सेवा - 2013**
>
> स्वास्थ्य से जुड़े सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की पहचान कीजिए। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को प्राप्त सफलता पर चर्चा कीजिए?

4.2 बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ

जागरूकता अभियान की पहल

- बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं अभियान का उद्देश्य 10 करोड़ मोबाइल उपयोगकर्ताओं के मध्य जागरुकता का संचार करना है।
- निजी कम्पनी सेलटिक अपनी विशिष्ट मोबाइल संदेश प्रौद्योगिकी का प्रयोग संदेश सम्प्रेषण में करती है। कंपनी के द्वारा भेजे गए संदेशों की प्रकृति संवाद (Interactive) के रूप में होती हैं।
- मोबाइल प्रयोक्ता इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसी संस्था या व्यक्ति से संवाद स्थापित कर सकते हैं।
- यह योजना से संबंधित समस्त सूचनाओं को सहजतापूर्वक सभी व्यक्तियों को उपलब्ध करा सकता है।

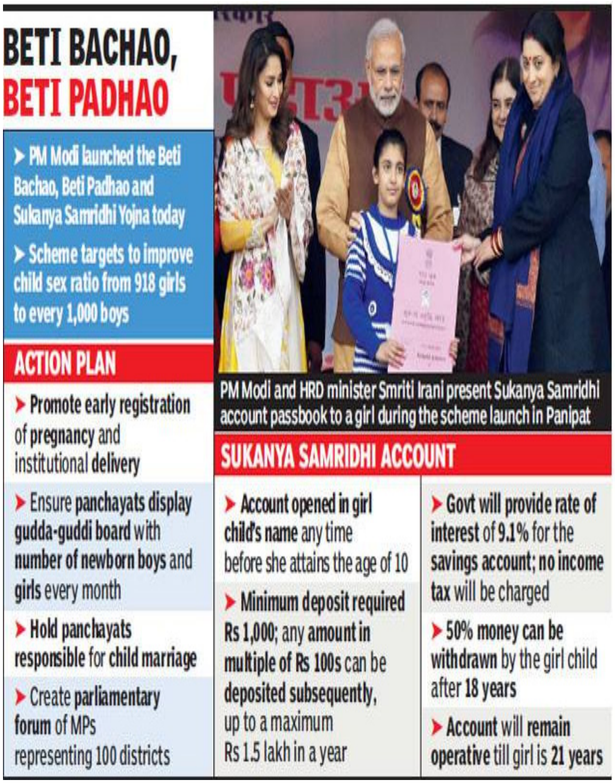

- यह प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ताओं तक, सूचना उनके स्थानीय परिदृश्य में, स्वभाषा में उपलब्ध कराएगी।

बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ

- यह लोगों को बालिका शिक्षा के महत्व के संबंध में जागरुक करेगी तथा इसके माध्यम से लैंगिक समानता स्थापित करने में सहायता करेगी।
- यह विसंगतिपूर्ण है कि भारत के कुछ राज्यों को छोड़कर प्रत्येक क्षेत्र में शिशु लिंगानुपात घटता गया है। 2011 की निरंतर जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात 918 प्रति हजार है।
- यह क्रार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रुप से क्रियान्वित किया जाएगा।
- योजना गिरते हुए शिशु लिंगानुपात की समस्या के समाधान पर केन्द्रित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समस्या के विविध पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। कार्यक्रम जहाँ एक ओर लैंगिक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर भ्रूण के लिंग परीक्षण जैसी समस्या पर ध्यान देगा वहीं दूसरी ओर यह बालिकाओं के पूर्ण सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए बालिका शिक्षा जैसे विषयों पर भी ध्यान देगा।

> **सिविल सेवा 2008**
>
> घटता हुआ लिंगानुपात भारत की सामाजिक विकास प्रक्रिया के भविष्य के सन्दर्भ में खतरनाक संकेत है चर्चा कीजिए।

4.3. बच्चों को गोद लेने के सन्दर्भ में सरकार के दिशा निर्देश

2015 में जारी किए गए दिशा निर्देश की विशेषताए

- इन दिशा निर्देशों की आवश्यकता विभिन्न धर्मो के अनुरुप अलग-अलग गोद लेने संबंधी अप्रगतिशील कानूनों के संदर्भ में पड़ी है। प्राय: ये कानून बालकों के प्रति अनुचित व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। ये कानून समान नागरिक संहिता के लागू होने के मार्ग में बाधक भी हैं।
- बच्चें को गोद लेने के आंकाक्षी माता-पिता बच्चों अथवा भावी अभिभावक शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक रुप से स्थिर दशा वाले होना चाहिए। अभिभावकों को बच्चों का दायित्व संभालने में वित्तीय रुप से सशक्त होना चाहिए। जीवन के लिए संकटप्रद कोई गंभीर रोग नहीं होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति अथवा पहले से ही स्वयं की (biological child) संतान होना गोद लेने के मार्ग में कोई बाधा नहीं मानी जाएगी। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि केवल एकल पुरुष सदस्य को किसी बच्चों को गोद लेने का अधिकार नहीं होगा।
- इस संबंध में आनलाइन पंजीकरण जैसी सुस्पष्ट और पारदर्शी व्यवस्था की जाएगी।
- बच्चों को गोद लेने के आंकाक्षी दंपति, गोद लेने के लिए आवश्यक गृह सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रक्रिया के लिए इच्छानुसार किसी एजेंसी तथा राज्य का चयन कर सकेंगे।
- किसी दंपति अथवा एकल सदस्य के लिए स्वीकृत आयु सीमा बालक की आयु के सापेक्ष निर्धारित की जाएगी। किंतु किसी दंपत्ति (couple) के मामले में यह संयुक्त रुप से 110 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जबकि एकल महिला की आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बालक और गोद लेने वाले अभिभावक (दंपत्ति की स्थिति में पृथक दोनों ही सदस्यों) की आयु में अंतर 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
- गोद लेने के आकांक्षी (पीएपी) दंपत्तियों के सामने किसी बालक को प्रस्तुत करने से पूर्व उसे वैधानिक रुप से बाल कल्याण समिति के द्वारा स्वतंत्र घोषित किया जाना आवश्यक होगा।

स्वास्थ्य

4.4 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति

- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था अब पूर्णरुपेण संस्थागत देखभाल पर निर्भर नहीं रहेगी।
- संस्थागत मानसिक देखभाल व्यवस्था की विसंगतियाँ अमेरिकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में देखी जा सकती हैं। जहाँ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता वाले लोगों को उनकी देखभाल

VISION IAS

के बंदीगृह जैसी परिस्थितियों में रखा जाता है।

- खराब मानसिक स्वास्थ्य वाले व्यक्तियों को सामान्य सामाजिक जीवन में शामिल करने के लाभ तो हैं किंतु इसमें अनेक चुनौतियाँ व्याप्त हैं।
- सामाजिक चुनौतियाँ - विभेद, अलगाव (exclusion) और दुर्व्यवहार (abuse)
- समाज में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से पीडित लोगों को सामान्य सदस्यों के द्वारा भिन्न और पृथक व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के अंदर उसके अन्य व्यक्तियों से भिन्न होने का भाव भर दिया जाता है।
- ये चुनौतियाँ सामाजिक जीवन की पृष्ठभूमि में उत्पन्न होती है और यहीं उनका बेहतर समाधान किया जा सकता है। लोगों मे सहिष्णुता की भावना उत्पन्न किया जाना चाहिए। सामाजिक स्वास्थ्य पीडित व्यक्ति, समाज के अभिन्न अंग है उन्हें उनकी अक्षमताओं के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। मानवीय संवेदनाओं को जागृत कर एक ऐसे परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए, जहाँ मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से पीड़ित व्यक्ति भी जीवन के लिए आवश्यक सर्वोत्तम दशाएँ प्राप्त कर सके।

भारत की मानसिक स्वास्थ्य नीति

- 10 अक्टूबर 2014 को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई। इस नीति के माध्यम से सबके लिए मानसिक देखभाल व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
- नीति, भारत के सभी निवासियों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न होने से टोकने तथा मानसिक रुप से अस्वस्थ लोगों को पुनः उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने में सहायता करने का प्रयास करती है। इस नीति के माध्यम से मानसिक रुप से अस्वस्थ लोगों को बोझ समझे जाने की सामाजिक भावना को बोझ समझे जाने की सामाजिक भावना को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे लोगों के, सामाजिक रुप से पृथक्कीकरण और अलगाव की परिस्थितियों को समाप्त करने का प्रसास किया जाएगा।
- मानसिक स्वास्थ्य से ग्रस्त लोगों को आजीवन गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखाभाल व्यवस्था उपलब्ध कराकर उनके सामाजिक एकीकरण का प्रयास किया जाएगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नीति सम्पूर्ण सुविधाओं को विधिक रुप से प्राधिकृत (Rights-based) व्यवस्था के रुप में उपलब्ध कराने का दृष्टिकोण समाहित रखती है।

उद्देश्य

- लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित की जाएगी।
- लोगो के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवा से संबंधित आधारभूत सुविधाओं की स्थापना की जाएगी।
- मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को उत्पन्न करने वाले कारकों और परिस्थितियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा।
- समस्या से पीडित व्यक्तियों के द्वारा आत्महत्या करने अथवा इसका प्रयास करने जैसे मामलों को रोकना।
- लोगों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधित अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा तथा मानसिक स्वास्थ्य पीडितों को शारीरिक अथवा किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचने से रोकने का प्रयास किया जाएगा।
- मानसिक स्वास्थ्य पीड़ितों को बोझ समझने की भावना को दूर किया जाएगा।
- मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित मानव संसाधन का विकास किया जाएगा।

4.5. मिशन इन्द्रधनुष

सरकार द्वारा मिशन इन्द्रधनुष के द्वितीय चरण का प्रारंभ

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मिशन इन्द्रधनुष के द्वितीय चरण का प्रारंभ किया गया। इस चरण में 352 जिलों का चयन किया गया है। 33 जिलों का चयन पूर्वोत्तर राज्यों में से किया गया है जबकि 40 ऐसे जिलों को चुना गया है जहाँ टीकाकरण अभियान के दौरान ऐसे बच्चों की संख्या ज्यादा है जिनका टीकाकरण नहीं हो पाया है ।

- इस चरण का उद्देश्य 90 प्रतिशत से अधिक टीकाकरण लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। जिन रोगों के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत टीका प्रदान किया जाएगा ये निम्नलिखित हैं -

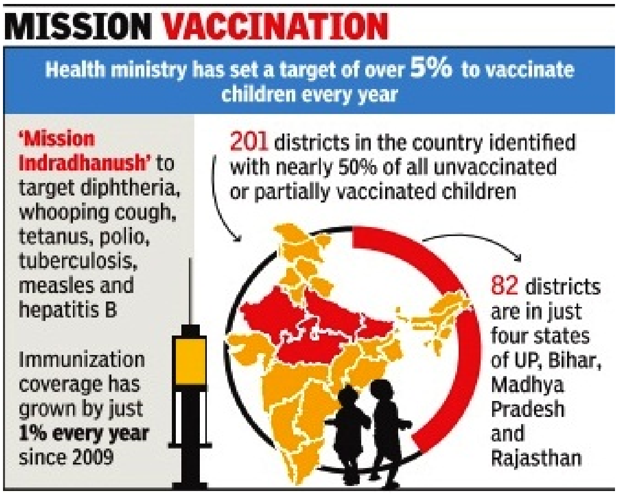

- डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियों, क्षय रोग, हेपेटाइटिस बी, खसरा, टिटनेस आदिं।

- इन रोगों के अतिरिक्त, जापानी एनसेफलाइटिस तथा हीमोफिलस इन्फलुएन्जा जैसे रोगों के लिए भी कुछ जिलों में टीके की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

इन्द्रधनुष अभियान की प्रथम चरण की उपलब्धियाँ -

- गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दो करोड़ से अधिक टीके प्रदान किए गए।
- 75.5 लाख बच्चों का टीकाकरण किया गया।
- 20 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को टिटनेस का टीका प्रदान किया गया।
- दस्त (diarrhoea) की समस्या से निपटने के लिए जिंक की गोलियाँ और ओ.आर.एस. के पैकेट वितरित किए गए।

4.6 प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

एम्स (AIIMS) के समान तीन और संस्थान स्थापित किए जाएंगे।

- केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने महाराष्ट्र में नागपुर, आन्ध्रप्रदेश में मंगलागिरी और पश्चिम बंगाल के कल्याणी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की भांति संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है।
- मंत्रिमंडल के अनुसार एम्स जैसे संस्थानों की कुल संख्या ग्यारह तक पहुँचाई जाएगी।
- इन संस्थाओं की स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत की जाएगी।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) - मुख्य विशेषताएं

- योजना का मुख्य उद्देश्य देश के विविध भागों के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में जो अंतर है उसे समाप्त करता है। यह विशेष रुप से विकास की मुख्य धारा में पिछड़े क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास है।
- योजना को मार्च 2006 में स्वीकृत किया गया था।
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रथम चरण के दो मुख्य घटक हैं। पहला एम्स की भांति छ: नए संस्थानों की स्थापना दूसरा पहले से संचालित 13 शासकीय चिकित्सा शिक्षण संस्थानों को उन्नत करके एम्स के स्तर का बनाना।
- योजना के दूसरे चरण के अन्तर्गत एम्स (AIIMS) की भांति दो अन्य संस्थान स्थापित किए जायेंगे तथा छह संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत कई अन्य शासकीय चिकित्सा शिक्षण संस्थानों (Medical College) का उन्नयन किया जाएगा।
- आशा की जाती है कि स्वास्थ्य सेवा के तीनों चरणों को सफलतापूर्वक संचालित किए जाने के पश्चात प्रत्येक नागरिक के लिए सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएँ सहजता के साथ उपलब्ध होंगी।

4.7 मलेरिया के विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से संघर्ष

सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से मलेरिया पर नियंत्रण

- मंगलुरु नगर निगम के द्वारा निवारण किया गया अपने आप में प्रथम विशिष्ट कार्यक्रम है।
- इस कार्यक्रम में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित एक साफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। यह साफ्टवेयर राष्ट्रीय वाहक जनित (Vector Borne) रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित दिशा निर्देशों के अनुरुप विकसित किया गया है। विभिन्न रोगियों के रक्त नमूनों के परीक्षण से संबंधित समस्त आंकड़ों को परीक्षण प्रयोगशालाओं, आदि को अनिवार्य रुप से कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित संस्था को उपलब्ध कराना होगा।
- अब तक नगर निकाय को रोग संक्रमण आदि के आंकड़ें रक्त नमूना परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा अस्पतालों से प्राप्त होने में कम से कम एक सप्ताह लग जाता था। अथवा एक माह तक का समय लग जाता था। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस अंनराल को पूरा करने में सहायता प्राप्त होगी
- बहु उद्देश्यों के लिए कार्य करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ता इन आंकड़ों का प्रयोग कर सकेंगे। तत्पश्चात इस रोग से संबंधित जिन घरों से मामले प्रकाश में आए हैं उन घरों में ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता संपर्क करेंगे।

4.8 संक्रमण पर नियंत्रण

- अस्पतालों में रोगी की देखभाल प्रक्रियाओं के माध्यम से रोग संक्रमण के कई मामले, हाल ही में तेलंगाना सरकार की जानकारी में आए हैं। निजी उद्यमों द्वारा संचालित अस्पतालों की भाँति, शासकीय चिकित्सालयों में स्वच्छता संबंधी मानकों के उच्च स्तर का पालन नहीं किया जाता।
- शासकीय अस्पतालों को, अस्पताल में स्वच्छता आदि कारकों के कारण होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए एक समिति का गठन करना चाहिए।
- इस कार्य के लिए विशेष संक्रमण नियंत्रण अधिकारी (ICO) की नियुक्ति की जाएगी। एक माइक्रोबायोलाजिस्ट (सूक्ष्म जीवों से संबंधित) तथा एपीडेमियोलाजिस्ट (गंभीर संक्रामक रोग अध्ययन शाखा) इस कार्य में विशेष संक्रमण नियंत्रण अधिकारी की सहायता करेंगे।
- अस्पताल में जैविक अपशिष्ट के उपचार और प्रबंधन के लिए एक

समिति गठित की जाएगी। समिति अस्पताल में अपशिष्ठ पदार्थों के प्रंबधन संबंधी सर्वश्रेष्ठ प्रणाली स्थापित करेगी।

- अस्पताल एवं स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन बोर्ड (नेशनल एक्रीडीशन बोर्ड NABH) यह संगठन स्वास्थ्य देखभाल संगठनों की गुणवत्ता और प्रदत्त सेवाओं के स्तर को प्रमाणित करता है।
- प्रमाणन बोर्ड स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अनेक गतिविधियों का संचालन करता है। जिसमें ये संगठन स्वैच्छिक रुप से भागीदारी करते हैं।
- स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्थापित प्रमाणन बोर्ड को सरकार, उद्योग और उपभोक्ताओं का पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है किंतु अपने कार्यों एवं गतिविधियों के संदर्भ में यह पूर्णत: स्वायत्त है

4.9 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की सफलता एवं प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए आयोजित किए गए सर्वे में से स्पष्ट होता है कि योजना ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकीय सुविधाओं के अभाव को दूर करने में पूरी तरह असफल रही है।

रिर्पोट में उद्‌घाटित तथ्य

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत यद्यपि नामांकन की दर उच्च रही है किंतु स्वास्थ्य सेवाओं पर लोगों को खर्च का अनुपात बढ़ा है। वर्ष 2004-05 और वर्ष 2011-12 के बीच लोगों को अस्पताल में भर्ती आदि सुविधाओं पर खर्च की दर बढ़ी है।
- संसाधनों का अत्यधिक अपव्यय चिंता का विषय बन चुका है।
- रिर्पोट यह स्पष्ट करती है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित अनेक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की रुपरेखा में ही गंभीर कमियां हैं।

BITTER PILL

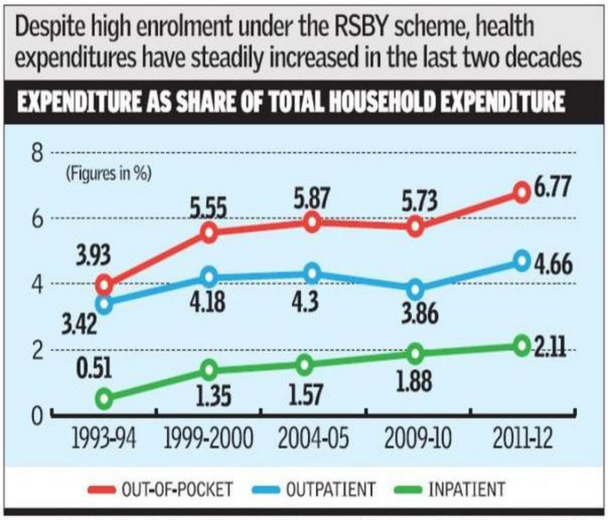

Source: Estimated from Unit Level Records of Respective Consumer Expenditure Rounds, NSSO

- इस संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि योजनाएं स्वास्थ्य सेवाओं की प्राप्ति के लिए निर्धारित त्रि-स्तरीय संरचना के अंतर्गत तीसरे और दूसरे स्तर की अस्पताल सेवाओं पर अत्यधिक केन्द्रित हैं। जबकि प्राथमिक स्तर उपेक्षित है।
- रिर्पोट से पता चलता है कि स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ पहले से ही समर्थ लोगों के द्वारा ही उठाया जा रहा है जबकि समाज के हाशिए पर उपस्थित वंचित वर्ग तक, इसके लाभ अब तक नहीं पहुंच पाए हैं।

सरकार ने योजना में परिवर्तन प्रस्तावित किया

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) को सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से व्यापक और समावेशी बनाने के लिए योजना की रुपरेखा में व्यापक परिवर्तन किया जाएगा।
- संशोधित योजना, स्वास्थ्य बीमा संबंधी अनेक संशोधित बिखरी हुई योजनाओं को एक व्यापक कार्यक्रम के तहत एकीकृत करेगी। समस्त योजनाओं के एकीकरण के माध्यम से योजना का लाभ अधिकाधिक जरुरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा।
- ऐसे राज्य जो गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को द्वितीयक या तृतीयक अर्थात कस्बा एवं जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान करना चाहते हैं। वे योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा अपनी जारी योजना का उन्नयनकारी योजना अथवा योजना को और अधिक व्यापक बनाने वाली योजना के रुप में, योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- योजना का महत्वपूर्ण आधार इसका सूचना प्रौद्योगिकी आधारित मंच का प्रयोग करना है।
- स्वास्थ्य संबंधी आकड़ों का सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विशाल संग्रह किया जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी आकड़ों का लाभ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से किसी भी रुप में संबंधित व्यक्ति चाहे वह चिकित्सक हो, संस्थान हो अथवा स्वास्थ्य सेवा प्राप्तकर्ता व्यक्ति इसका लाभ उठा सकेंगे।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना गरीबी रेखा से नीचे के 8-10 करोड़ व्यक्तियों को सहायता प्रदान करेगी। तथा इस योजना के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि को आवश्यकतानुसार चिकित्सा हेतु बढ़ाया भी जा सकेगा। ध्यातव्य है कि प्रारंभ से योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की गई बाद में इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया।
- बेहतर गुणवत्ता, पहले से ज्यादा व्यापकता और समाज के निचले स्तर तक के व्यक्तियों तक पहुंच योजना की मुख्य पहचान है। इसके साथ ही योजना प्रभावशाली कदमों के माध्यम से रोग के प्रसार की परिस्थितियों पर नियंत्रण स्थापित करेगी।
- चूकि एक निश्चित आयुसीमा के बाद लोगों की मधुमेह और हृदयाघात जैसी बीमारियों से ग्रस्त होने की अधिक संभावना होती

है अत: योजना इस समूह के लिए प्रत्येक तीन वर्ष में हृदय रोगों और मधुमेह जैसी बीमारियों की मुफ्त जाँच की सुविधा देती है।

4.10. राष्ट्रीय आरोग्य निधि

चर्चा में क्यों-?

सरकार ने राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि की है। इसे दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया है। योजना विशेष रुप से आपात शल्य चिकित्सा की आवश्यकता वाले लोगों के लिए लाभप्रद होगी।

- राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी। आरोग्य निधि की स्थापना का उद्देश्य जीवन के लिए गंभीर संकट उत्पन्न करने वाले रोगों जैसे हृदय रोग, गुर्दे, यकृत, कैंसर आदि से ग्रस्त रोगियों की सहायता के लिए स्थापित की गई थी।
- यह रोगियों को उच्च स्तरीय निजी और शासकीय चिकित्सा संस्थानों में उपचार कराने में सक्षम बनाती है।
- स्वीकृत सीमा से अधिक वित्तीय राशि की आवश्यकता की स्थिति में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी।

4.11. सामुदायिक स्वास्थ्य में महाविद्यालयी पाठ्यक्रम

- ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और सशक्तीकरण के लिए, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में 'स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम' की रुपरेखा तैयार की गई है। यह कार्यक्रम राज्य विश्वविद्यालयों में प्रारंभ किया जाएगा। इसके माध्यम से ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों एवं विशेषज्ञों के अभाव को दूर किया जा सकेगा।
- इस प्रकार के पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले व्यक्ति उप स्वास्थ्य केंद्रों पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के (Community Health Officer) के रुप में नियुक्त किए जाएंगे।
- यह पाठ्य क्रम सामुदायिक 'स्वास्थ्य में विज्ञान स्नातक बी.एस. सी. B.sc (Community Health Course) के रुप में जाना जाएगा। राज्य विश्विद्यालयों के माध्यम से लागू होने वाला त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम होगा। पाठ्यक्रम के अंतर्गत सामान्य प्रसव, नवजात शिशु स्वास्थ्य, दस्त, न्युमोनिया, टीकाकरण क्षयरोग उपचार आदि बीमारियों की चिकित्सा और रोकथाम संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किये जायेंगे।
- बुखार और सामान्य त्वचारोगों का उपचार करने कें सक्षम बनाने के माध्यम से यह कार्यक्रम अब तक न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाओं से भी वंचित रह गए लोगों तक इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

भारतीय चिकित्सा संघ (Indian Medical Association) के द्वारा पाठ्यक्रम की आलोचना

- एलोपैथिक चिकित्सा से संबंधित सबसे बड़े गैर सरकारी संगठन, भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) ने कार्यक्रम की आलोचना की है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सा अधिकारी के अंतर्गत कार्य करते हैं। संस्था के अनुसार इस स्तर पर इससे अधिक प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है।
- स्वास्थ्य उपकेन्द्र के स्तर पर, मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य कर्मी आशा (ASHA) ही सर्वाधिक उपयुक्त है।
- योजना की प्रस्तावित रुपरेखा यथार्थ वास्तविकताओं पर आधारित नहीं है। और इसकी संकल्पना ही त्रुटिपूर्ण है।
- नव प्रशिक्षित विज्ञान स्नातकों पर शिशु स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील क्षेत्र का उत्तरदायित्व सौपना अनुचित है। संभव है कि इससे समूचे परिदृय में और अधिक विसंगतियां उत्पन्न हो जाएं।

4.12. मधुमेह रोग की वैश्विक स्थिति पर रिपोर्ट 2015

- रिपोर्ट का प्रकाशन वाशिंगटन डी सी स्थित संस्था अर्थव्यवस्था, नीति तथा रोग परिदृश्य से संबंधित केन्द्र (Centre for Disease Dynamics, Economics - Policy) के द्वारा किया गया। संस्था वैश्विक स्तर पर मधुमेह रोग से उत्पन्न चुनौती पर अपना ध्यान केन्द्रित करती है।
- रिपोर्ट में यह गंभीर तथ्य उद्घाटित किया गया है कि मधुमेह के उपचार के लिए प्रयोग की जा रही एण्टीबायोटिक दवाओं की प्रभावशीलता घटती जा रही है। चाहे प्रारंभिक रुप से प्रदान की जाने वाली एण्टीबायोटिक दवाएं हो चाहे अंतिम रुप से दोनों की ही प्रभावशीलता घटती जा रही है।
- रोग के उपचार के लिए विश्वभर में अलग-अलग एण्टीबायोटिक औषधियां प्रयोग की जाती हैं। यह स्वाभाविक है क्योंकि दुनियाभर में मधुमेह अलग-अलग रुपों में प्रभावी है।

एण्टीबायोटिक्स क्या हैं ?

- एण्टीबायोटिक अथवा प्रतिजैविक दवाएं जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए प्रदान की जाती हैं।
- वर्ष 1940 में इनकी खोज के पश्चात एण्टीबायोटिक औषधिया आधुनिक स्वास्थ्य चिकित्सा प्रणाली में इसको प्रधानता हैं। सामान्य बीमारियों से लेकर गंभीर रोगों तक के उपचार में इनका प्रयोग बढ़ा है। शल्य चिकित्सा का तो एक बड़ा आधार एण्टीबायोटिक औषधिया है।

एण्टीबायोटिक औषधियों के प्रति प्रतिरोधकता का विकास कैसे होता है ?

- एण्टीबायोटिक औषधियों के प्रति प्रतिरोधकता इन औषधियों के प्रयोग के कारण ही उत्पन्न होती है। किसी रोग के उपचार के लिए हम जितना ही अधिक एण्टीबायोटिक औषधियों का प्रयोग

VISION IAS

करते हैं, रोग का जीवाणु उतना ही अधिक दवा के प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर लेता है। उदाहरण के लिए एस्चेरिया कोली (E.Coli) नामक बैक्टीरिया ने इसके उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली एण्टीबायोटिक औषधि सेफलोस्पोरिन (Cephalosporins) के प्रति प्रतिरोधकता विकसित कर ली है। फलस्वरुप इस जीवाणु के कारण होने वाले रोग का उपचार और अधिक कठिन हो जाएगा।

- एण्टीबायोटिक औषधियों के अविवेकपूर्ण उपयोग अर्थात किस में किस एण्टीबायोटिक औषधि का प्रयोग होना चाहिए, बिना इसके निर्धारण, के, औषधि के प्रयोग ने सामान्य रुप से उपचार में की जा सकने वाली बीमारियों को भी गंभीर बना दिया है। यही कारण है कि स्वास्थ्य पर लोगों के खर्च में निरंतर वृद्धि होती जा रही है तथा समाज के संसाधनों का अपव्यय हो रहा है।

सिविल सेवा 2014

क्या एण्टीबायोटिक दवाओं का बिना विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह के, प्रयोग करने की प्रवृत्ति ने एण्टीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधकता विकसित करने में सर्वाधिक योगदान दिया है। इस परिस्थिति पर नियंत्रण एवं निरीक्षण के, कौन से संभव समाधान उपलब्ध हैं ? इस विषय से संबद्ध विभिन्न मुद्दों का आलोचनात्मक परीक्षण करें?

मानव संसाधन

4.13. मानव संसाधन भारत में स्कूली शिक्षा

सरकारी स्कूलों का खराब प्रदर्शन

यह एक तथ्य है कि सरकारी विद्यालयों में समाज के सर्वाधिक साधनहीन और गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं।

- उच्च और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के बच्चे निजी विद्यालयों में ही प्रवेश लेते हैं। भारत में लम्बे समय तक सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में शासकीय विद्यालयों में ही शिक्षा प्राप्त करते रहे हैं। समृद्ध वर्ग के लोग शिक्षक और शिक्षा से संबद्ध कर्मचारियों को उत्तरदायी बनाए रखने में बड़ी भूमिका अदा करते थे।

आवश्यक कदम

- राज्य सरकारों को जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय की तर्ज पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। इन विद्यालयों की स्थापना से शिक्षा व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
- शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतन के स्थिर और परिवर्ती के रुप में दो भाग होने चाहिए। वेतन का परिवर्तनशील भाग शिक्षकों के प्रदर्शन से निर्धारित होना चाहिए।

सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग और शिक्षा पर प्रभाव

ओ.इ.सी.डी. रिपोर्ट (OECD)

- रिपोर्ट के अनुसार विद्यालय में कम्प्यूटर की उपलब्धता मात्र से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकती।
- दक्षिण कोरिया जापान तथा सिंगापुर आदि कुछ देशों में कक्षाओं में कम्प्यूटर का प्रयोग सीमित रुप में ही किया जाता है किंतु छात्रों ने निरंतर बेहतर अंक प्राप्त किए हैं।
- इन देशों में स्कूल प्रबंधन की व्यवस्था उत्तम है।

भारतीय परिदृश्य

- भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए वर्ष 1990 से कम्प्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है।
- उच्च गुणवत्ता प्राप्ति के लिए कम्प्यूटर को कम समय में बेहतर परिणाम देने वाला माध्यम समझा गया।
- उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मुफ्त लैपटाप बांटे गए।
- कम्प्यूटर युक्त कक्षाओं में, छात्रों को इन्टरनेट पर उपलब्ध विविध और व्यापक सामग्री से किस सामग्री का चयन किया जाए यह बताना महत्वपूर्ण है। इस कार्य के लिए और अधिक प्रशिक्षित अध्यापक चाहिए।
- डिजिटल वातावरण छात्र और शिक्षक के मध्य किसी विषय के अध्ययन हेतु और अधिक सक्रिय भागीदारी की मांग करता है। सूचना प्रौद्योगिकी की विशिष्ट प्रकृति, इसका लाभ उठाने के लिए इसकी संरचना में व्याप्त साधन, यह आवश्यकता उत्पन्न करते हैं कि प्रयोगकर्ता इनके प्रयोग में पारंगत हो।
- इसके अतिरिक्त बालकों की इन्टरनेट जैसे माध्यम तक सहजता से पहुंच होने से संज्ञानात्मक (cognitive) और संवेगात्मक (emotional) समस्याएं भी जन्म लेती हैं। बच्चो को डिजिटल तकनीकी के माध्यम से शिक्षा अत्यधिक सतर्कता पूर्वक दी जानी चाहिए।

आगे की दिशा

- स्पष्ट रुप से यह देखा जा सकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए डिजिटल तकनीकी के प्रयोग पर पूर्णरुपेण निर्भर रहने की अपेक्षा विद्यालय व्यवस्था के बेहतर प्रबंधन और कुशल रणनीतियों की आवश्यकता है।
- पाठ्यक्रम नीतियों और परीक्षा प्रणालियों में तर्कसंगत सुधार किए जाने की आवश्यकता है। ताकि इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरुप शिक्षा प्रदान की जा सके।
- सूचना प्रौद्योगिकी के साथ उच्च कोटि के शिक्षक, उचित मार्गदर्शन और इसके प्रयोग के संबंध में जागरुकता सम्मिलित रुप से ही बेहतर परिणाम प्रदान कर सकते हैं।

4.14. मानव दुर्व्यापार (Human Trafficking)

VISION IAS

- संयुक्त राष्ट्र की मादक पदार्थों और अपराध से संबंधित संस्था की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में एक वर्ष में 1.5 लाख मानव दुर्व्यापार के मामले प्रकाश में आए हैं।
- गृहमंत्रालय मानव दुर्व्यापार में सम्मिलित समस्त लोगों से संबधित आंकड़ों का संग्रह (Database) तैयार कराएगा।
- गृहमंत्रालय राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एन. आइ. ए.) की भांति मानव दुर्व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए एक पृथक संस्था की स्थापना करेगा। इस संस्था का क्षेत्राधिकार पूरे देश में होगा।
- प्रारंभ में इस संस्था के लिए धन की व्यवस्था 'निर्भया कोष' में से की जाएगी।

4.15 बंधुआ मजदूरी का दुष्चक्र

- यद्यपि बंधुआ मजदूरी को वर्ष 1976 में कानून निर्माण के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था किंतु आधुनिक कृषि में यह नए रुप में उभरी है। अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक क्षेत्र के विकास से भी, इस पंरपरा को नए रुपों में स्थान मिला है।
- वरिष्ठ पत्रकार सिवाजी गणेशन के नेतृत्व में गठित कमेटी ने कर्नाटक सरकार को सौपी अपनी रिर्पोट में बंधुआ मजदूरी के अब भी, नए रुप में बने रहने की जानकारी दी है।
- कृषि क्षेत्र में मजदूर अब शारीरिक रुप से कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है किंतु ऊंची व्याजदरों पर लिए गए ऋण को चुकाने के लिए उसे ऋण दाता की इच्छानुसार कार्य करना होता है।
- रिर्पोट के अनुसार जहाँ पहले बंधुआ मजदूरी कृषि क्षेत्र तक सीमित थी वहीं अब यह काफी एवं चाय के बागानों ,कारपेट उद्योग, ईट भठ्ठा निर्माण उद्योग, बीड़ी उद्योग में दिखाई पड़ रही है।

समितियों के द्वारा प्रस्तुत तथ्य

- बंधुआ मजदूरी में चारित्रिक परिवर्तन आया है।
- खर्चीली विवाह पंरपराएं, चिकित्सा खर्च, घोर निर्धनता रोजगार के अवसरों में कमी बंधुआ मजदूरी की जड़ों में निहित प्रमुख कारण हैं
- जिला और स्थानीय प्रशासन प्राय: इस मुद्दे पर तटस्थ रहता है।
- अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के सदस्य समस्या से सर्वाधिक ग्रस्त बंधुआ मजदूरी से संबंधित मामलों के निपटान में अनावश्यक विलंब।
- समय-समय पर बंधुआ मजदूरी के मामलों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण नहीं किए गए
- सतर्कता समितिया सक्रिय नहीं
- ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही न करना
- प्राय: पुनर्वास की प्रक्रिया असंतोष जनक ही रही है।

ग़रीबी और अलगाव

4.16. विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार ग़रीबी आकलन

- विश्व बैंक की हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि संभव है कि भारत अपने यहाँ गरीबों की कुल संख्या का आकलन आवश्यकता से अधिक कर रहा है। विश्व बैंक के अनुसार गरीबों की संख्या का निर्धारण उपभोग व्यय के आंकड़ो को संग्रहित करने के तरीकों पर निर्भर करता है।
- रिपोर्ट के अनुसार यदि आंकड़ों का संग्रह संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि (Modified Mixed Reference Period-MMRP) के आधार पर किया जाए तो ग़रीबों के प्रतिशत में बदलाव हो सकता है भारत में आकड़ों के संग्रह के लिए समान संदर्भ अवधि (Uniform Reference Period -URP) का प्रयोग किया जाता है।
- विश्व बैंक के अनुसार नई पद्धति के अनुसार भारत में ग़रीबों की संख्या, इसकी कुल जनसंख्या का 12.4 प्रतिशत है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में पूरी तरह गरीब उन्हें माना जाना चाहिए जिनकी प्रतिमाह आय 3,170 रुपए है।

विश्व बैंक द्वारा वैश्विक स्तर पर ग़रीबी रेखा का पुनर्निर्धारण

- विश्व बैंक के द्वारा वैश्विक ग़रीबी रेखा का पुनर्निधारण किया गया। जिन लोगों की प्रतिदिन आय 1.90 डालर से कम है उन्हें ग़रीब माना जायेगा। दृष्टव्य है कि पहले 1.25 डालर से कम प्रतिदिन आय वालों को ग़रीब माना जाता था।

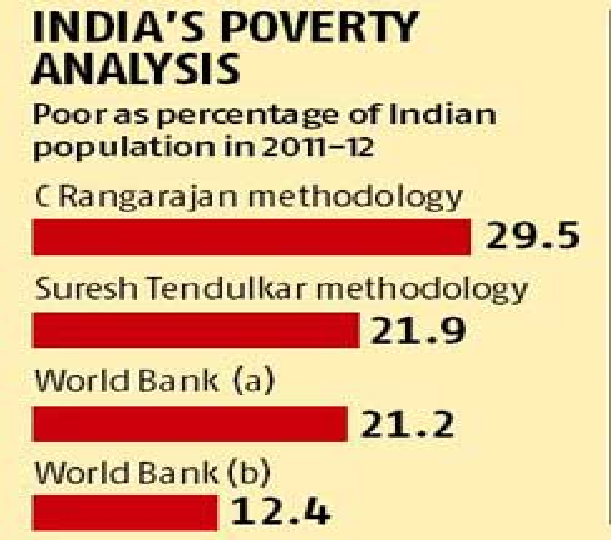

- नवीनतम प्राप्त क्रयशक्ति समता (PPP) आकड़ों के निर्धारण के लिए स्थानीय मुद्रा के स्थान पर अमेरिकी डालर का प्रयोग किया है।
- वर्ष 2012 के आधार मूल्यों पर प्राप्त शीर्ष आंकलन (Head Line Estimate) के अनुसार भारत में लगभग 90 करोड़ लोग ग़रीबी रेखा के नीचे हैं। ग़रीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 12.8 प्रतिशत है।
- वर्ष 2015 में जारी किए गए बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक (MPI)

VISION IAS

 ©Vision IAS

के अनुसार विश्व भर में 1.6 बिलियन लोग बहुआयामी ग़रीबी से ग्रस्त हैं। दक्षिण एशिया में बहुआयामी ग़रीबी से ग्रस्त सर्वाधिक संख्या निवास करती है। जबकि इसका सर्वाधिक प्रचंड रुप अफ्रीका के उपसहारा क्षेत्रों में है।

समान संदर्भ दर (Uniform Reference Period -URP) क्या है।

- संदर्भ दर पद्धति के अंतर्गत पिछले 30 दिनों में किए गए खाद्य और गैरखाद्य वस्तुओं के उपभोग व्यय के आकड़े संगृहित किए जाते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा वर्ष 1950 से इस पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है।

संशोधित मिश्रित संदर्भ (Modified Mixed Reference Period-(MMRP) क्या है ?

- संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि पद्धति के अंतर्गत खाद्य पदार्थो पर हुए उपभोग व्यय के आंकड़े पिछले 7 दिनों में एकत्रित किए जाते हैं। और कम प्रयोग किए जाने वाले गैर खाद्य वस्तुओं पर उपभोग व्यय के आंकड़ें पिछले एक वर्षों में इन पर किए गए उपभोग व्यय के आधार पर एकत्रित किए जाते हैं। इस समान संदर्भ अवधि के साथ-साथ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान के अनुसार वर्ष 2009-10 में प्रथम बार प्रयुक्त किया गया। मिश्रित संदर्भ अवधि पद्धति उपभोग व्यय संबंधी प्रवृत्तियों का अधिक परिशुद्ध विश्लेषण करता है।

मिश्रित संदर्भ अवधि (MMRP) समान संदर्भ अवधि (URP) की अपेक्षा श्रेष्ठ क्यों है?

- मिश्रित संदर्भ अवधि (MMRP) के अंतर्गत आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए आंकड़ा संग्रह की निश्चित तिथि से पिछले सात दिनों के उपभोग व्यय के आकड़ें ही एकत्रित किए जाते हैं। यही कारण है मिश्रित संदर्भ अवधि के अंतर्गत प्राप्त आंकड़ें समान संदर्भ अवधि (URP) की अपेक्षा दस से बारह प्रतिशत अधिक है।
- उपभोग व्यय के ये उच्च आंकड़ें तथा ग़रीबी रेखा के आस-पास जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होने से समग्र रुप से ग़रीबों की संख्या में कमी आएगी

वैश्विक ग़रीबी पर गठित आयोग

वैश्विक ग़रीबी को पता लगाने और इसके आकलन के तरीकों के निर्धारण के लिए आयोग का गठन किया गया है। आयोग ग़रीबी की समस्या से कैसे निपटा जाए, इसके समाधान सुझाएगा। आयोग के द्वारा वर्ष 2016 के अप्रैल माह तक सुझाव दिए जाने की संभावना है !

सतत विकास लक्ष्य और गरीबी

- सितम्बर माह में अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत विश्वभर में ग़रीबी के सभी रूपों के अंत करने का उद्देश्य रखा गया है।
- विश्व बैंक समूह ने वर्ष 2030 तक ग़रीबों की कुल संख्या को विश्व की कुल जनसंख्या के तीन प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है।

4.17 भारत मे पोषण की निगरानी

- भारत जैसे देशों में पोषण अथवा भोजन एक सांस्कृतिक पहलू है। अत: पोषक तत्वों का सर्वेक्षण, लोगों के आहार संबंधी आदतों की जानकारी करेगा । लोगों के आहार में किन पोषक तत्वों की कमी है तथा विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के आहार में प्रचलित किन पोषक तत्वों को प्राथमिकता दी जा सकती है । दिया जा सकता है, इसका निर्धारण करने में भी सर्वेक्षण के माध्यम से सहायता मिलेगी।
- भारत में विश्व की तुलना में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चों की संख्या है। यह गंभीर आपात स्थिति है। आहार और पोषण संबंधी सर्वेक्षण सटीक उद्देश्य निर्धारित करने में सहायता करेगा।
- एकत्रित किए गए आंकड़ें इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों का निर्धारण करेंगे।
- जब तक इस कार्य के लिए पूरी तरह समर्पित संख्या का निर्माण नहीं किया जाता है तब तक सरकार के द्वारा कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए किए गए प्रयास न तो सांस्कृतिक रुप से प्रभावी होंगे नहीं स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान का हिस्सा बन पाएंगे।
- इस संबंध में देशभर में पोषण निगरानी केंद्रों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है।

चर्चा में क्यों ?

- स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो (NNMB) को समाप्त कर दिया गया है।
- ब्यूरो आदिवासी समुदायों, गर्भवती महिलाओं, किशोरियों तथा बुजुर्गों के आहार में पोषक तत्वों के अभाव का पता लगाने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण आयोजित करता था ।
- यह एक मात्र संगठन था जो लोगों के द्वारा आहार में लिए जाने वाले वास्तविक तत्वों का पता लगाता था। ब्यूरो यह कार्य राज्यों में व्यक्ति और समुदाय दोनों के स्तर पर संपन्न करता था। उपयोग और आंकड़े विभिन्न आयु समूहों और शारीरिक संरचनाओं के अनुरुप एकत्रित करता था।

सिविल सेवा, 2009

अंतिम राष्ट्रीय पारिवारिक स्वाथ्य सर्वेक्षणों (NFHS) के अनुसार अनेक मानकों के आधार पर भारत में पोषण की विसंगतिपूर्ण तस्वीर सामने आती है। समस्या के प्रमुख आयामों को रेखांकित करें।

सबके लिए आवास अभियान के अंतर्गत

VISION IAS

4.18 सस्ते आवास अभियान प्रथम परियोजना को स्वीकृति

- केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) सस्ते आवास अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरु की गई परियोजना को प्रांरभ करने की मंजूरी प्रदान की । योजना लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने के अभियान का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्यारह शहरों में लोगों के लिए सस्ते आवास के निर्माण का लक्ष्य रखा है। योजना का लाभ निम्न आय वर्ग तथा समाज के कमज़ोर वर्गों को दिया जाएगा।
- 35 प्रतिशत आवासों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (EWS) के लिए सुरक्षित रखने की योजना है|

4.19 भारत और वैश्विक भूख सूचकांक

वैश्विक भूख सूचकांक

- अंतर्राष्ट्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान (IFPRI) के द्वारा वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया जाता है। यह भूख को नियंत्रित करने के कार्यक्रमों के सफलता अथवा विफलता के आकलन का पैमाना है। वैश्विक भूख सूचकांक (G.H.I), विश्व में भूख की पृष्ठ भूमि में कौन से कारण निहित हैं इसका पता लगाता है।

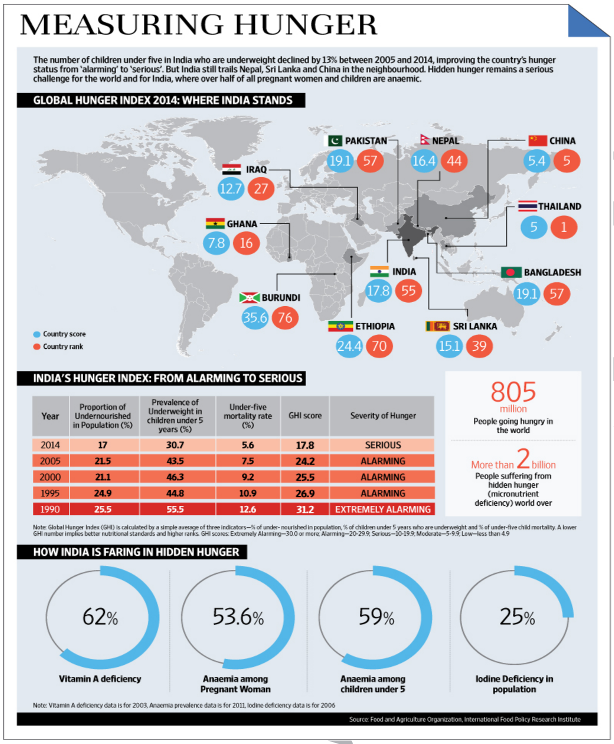

Year	Proportion of Undernourished in Population (%)	Prevalence of Underweight in children under 5 years (%)	Under-five mortality rate (%)	GHI score	Severity of Hunger
2014	17	30.7	5.6	17.8	SERIOUS
2005	21.5	43.5	7.5	24.2	ALARMING
2000	21.1	46.3	9.2	25.5	ALARMING
1995	24.9	44.8	10.9	26.9	ALARMING
1990	25.5	55.5	12.6	31.2	EXTREMELY ALARMING

- यह विभिन्न देशों और क्षेत्रों के बीच भूख की स्थिति में अंतर को प्रदर्शित कर, भूख में कमी लाने के प्रयास को प्रेरित करता है।
- विश्व भूख सूचकांक (G.H.I), 100 बिंदुओ के आधार पर बने पैमाने पर देशों को रैंकिंग (Ranking) प्रदान करता है। शून्य (Zero) सबसे अच्छी स्थिति है (भूख की अनुपस्थिति) तथा 100 सर्वाधिक बुरी स्थिति। यद्यपि में किसी भी देश को सबसे ख़राब और सबसे अच्छी स्थिति नहीं प्रदान की गई है।
- वैश्विक भूख सूचकांक (GHI) का उद्देश्य भूख के बहुआयामी चरित्र को प्रदर्शित करना है। अत: यह चार मुख्य घटकों पर निर्मित है।

1. अल्पपोषण (Under Nourishment) : अल्पोषितों का कुल जनसंख्या से अनुपात उन लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है, जिन्हें आवश्यकता से कम कैलोरी पदार्थ प्राप्त होती हैं ।
2. बालकों के लम्बाई की अपेक्षा अपर्याप्त भार (Wasting) : पांच वर्ष से कम आयु के अपर्याप्त भार वाले शिशुओं का, पर्याप्त भार वाले शिशुओं की कुल संख्या के अनुपात में कम है। यह गंभीर कुपोषण को प्रदर्शित करता है !
3. अपर्याप्त वृद्धि वाले बालक (Child Stunting): यह पांच वर्ष से कम आयु के अपर्याप्त वृद्धि वाले शिशुओं का अनुपात है (इन बालकों का अपने आयुसमूह के अनुसार कम लम्बाई होने की स्थिति है।
4 . शिशु मृत्यु दर (Child Mortality) यह पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर है।

- वैश्विक भूख सूचकांक के संदर्भ में भारत 63 से 55 वें स्थान पर आ गया है। अर्थात भारत की स्थिति में 8 स्थानों का सुधार हुआ है। किंतु अधिक शिशु मृत्यु दर तथा अल्पपोषण की समस्या सामाजिक संदर्भ में अभी भी खतरनाक संकेत दे रही है।

कुपोषण के विरुद्ध संघर्ष का महत्व !

- कुपोषण स्त्रियों, पुरुषों एवं बच्चों सभी को प्रभावित करता है।
- जीवन के आंरभिक काल में कुपोषण के प्रभाव परिलक्षित नहीं होते हैं। आयु में वृद्धि के साथ आम जीवन में इनके प्रभाव दिखने लगते हैं। निम्न कार्य उत्पादकता, उच्च मधुमेह आदि रोगों के लक्षण दिखने लगते हैं। कुपोषण के शिकार बच्चों में कम आयु में ही उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोगों के होने की सम्भावना बढ़ जाती हैं ।
- कुपोषण का प्रभाव राष्ट्र की संपदा पर भी पड़ता है। राष्ट्र को विविध रुप में इसकी अत्यधिक कीमत चुकानी पड़ती है। किन्तु नागरिकों के पोषण पर किया गया निवेश कई रुप में लाभप्रद है ।
- पोषण प्रदान करने वाले पदार्थो पर व्यय किया गया एक-एक रुपया राष्ट्र के श्रम बल की उत्पादकता को कई गुना बढ़ाता है।

भारत में भूख के कारण

- कुल उत्पादित सब्जियों का 40 प्रतिशत तथा कुल प्राप्त फलों का 20 प्रतिशत आपूर्ति श्रंखला के अभाव में सड़ जाते हैं। बाज़ार में ये उत्पाद समय पर नहीं पहुंच पाते हैं।
- ग़रीबी रेखा से नीचे के परिवार अपनी आय का 70 प्रतिशत खाद्य

पदार्थों पर खर्च करते हैं।

- ग़रीबी रेखा से ऊपर के परिवार अपनी आय का 70 प्रतिशत खाद्य पदार्थों पर खर्च करते हैं
- शहरी श्रमिक वर्ग अपनी कुल आय का 30 प्रशित खाद्य पदार्थों पर खर्च करते हैं।
- वर्ष 2013 में कृषि का हिस्सा कुल जी डी पी (GDP) में 13.7 प्रतिशत था।
- भारत में 50 प्रतिशत लोगों को कृषि से रोजगार प्राप्त होता है।

वैश्विक तथ्य

- विश्व के सर्वाधिक ग़रीब 64 प्रतिशत लोग नाइजीरिया, कांगो, भारत, बांग्लादेश और चीन आदि पांच देशों में रहते हैं।
- अस्सी करोड़ लोगों के पास पूरी दुनिया में पर्याप्त भोजन नहीं है।
- भूख से होने वाली मौंते एड्स, मलेरिया और क्षय रोग जैसी बीमारियों से संयुक्त रुप से होने वाली मौंतों से अधिक है।
- विश्व में हर नौ में से एक आदमी बिना खाए रात में सो जाता है।

भारत से संबंधित तथ्य

- भारत की कुल जनसंख्या का (1/6) भाग अल्पपोषित है।
- भारत में हर 4 में से एक बालक कुपोषित है।
- 19 करोड़ लोग भारत में रोज भूखे रह जाते हैं।
- 3000 बच्चों की मौत असंतुलित और खराब आहार के कारण होती है।
- भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कुल संख्या का 30.7 प्रतिशत अल्पभार वाले हैं।
- विश्व में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की मृत्यु का 24 प्रतिशत भारत में होती हैं।
- 2 वर्ष से पूर्व के 58 प्रतिशत बच्चों अपर्याप्त वृद्धि की समस्या से ग्रस्त हैं।
- विश्व में नवजात शिशुओं की होने वाली मौत में 30 प्रतिशत भारत में होती हैं।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक

4.20. दलितों के विरुद्ध अपराध

खबर में क्यों ?

- हाल ही में फ़रीदाबाद में एक दलित परिवार के दो बच्चों की हत्या की ख़बर देश में सुर्ख़ियों में रही थी।
- हरियाणा अक्सर जातिगत हिंसा से संबंधित घटनाओं के लिए सुर्खियों में रहता है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार से वर्ष 2014 में हरियाणा में दलितों के खिलाफ अपराध के 830 मामले दर्ज किये गए थे। वर्ष 2013 में यह आंकड़ा 493 था और वर्ष 2012 में 252 मामले दर्ज किये गए थे।
- हालांकि दलितों के खिलाफ हिंसा के मामलों में हरियाणा अकेला दोषी नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं।

सामाजिक कारण

- सामाजिक और आर्थिक रूप से अग्रणी उच्च जातियों के लोगों की दलितों के साथ सत्ता और संसाधनों को साझा करने की अनिच्छा ही ऐसे संघर्षों की जड़ हैं ।
- दलित सशक्तीकरण: वैधानिक हस्तक्षेप के साथ-साथ शिक्षा, रोज़गार और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण से ग्रामीण परिदृश्य में परिवर्तन हो रहा है। राजनीतिक सत्ता पर अब पुरानी सत्तारूढ़ जातियों का एकाधिकार नहीं रहा। हालांकि इस सत्ता हस्तांतरण का पारंपरिक कुलीन जातिवर्ग द्वारा विरोध किया जाता है क्योंकि यह सार्वजनिक धन के वितरण को प्रभावित करता है और पुराने सामाजिक पदानुक्रम को विचलित कर देता है।
- समाजशास्त्रियों के अनुसार दलितों के आर्थिक स्थिति (material status) में आ रहे सुधार से उनके खिलाफ अत्याचार में वृद्धि हुई है।
- क्योंकि दलित स्वतंत्रता और प्रभाव, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में, उच्च जातियों को सहन नहीं होता।
- ऑनर किलिंग जैसी परंपराओं के प्रतिगामी पहलुओं पर सवाल उठाने से नेता अक्सर हिचकते रहे हैं।
- हालांकि आरक्षण नीति के कारण दलितों के बीच एक मध्यम-वर्ग के उदय ने इन मुद्दों को राजनीतिक रूप से संवेदनशील बना दिया है।
- भारत की जनसँख्या में 16 प्रतिशत लोग दलित हैं, और दलितों का एक दबाव-गुट के रूप में उभरने से ऐसी किसी भी घटना से राजनीतिक हो-हल्ला होता है।

कानूनी सुरक्षा

- दलितों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए दो महत्वपूर्ण कानून हैं:
- सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- इन कानूनों के बावजूद दलितों के खिलाफ हिंसा में कोई कमी नहीं आई है। दलितों के उत्थान और उन्हें सशक्त बनाने के लिए दशकों से चले आ रहे आरक्षण और समर्पित कानूनों के बाद भी दलितों के खिलाफ हिंसा, समाज में दलितों की भयावह स्थिति दर्शाती है।

VISION IAS

निष्कर्ष:

- दलितों के आपस में संगठित होकर और अत्याचार निवारण जैसे कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ने से, दलितों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की सूचना पुलिस को अब ज़्यादा दी जाने लगी है।
- इस परिदृश्य में पुलिस को तत्परता के साथ कार्य करना चाहिए। विशेषकर उन मामलों में जिनमें दलितों को गरिमा के साथ जीने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है।
- साथ ही पुलिस के निष्पक्षता से काम करने से और कानून के कड़े कार्यान्वयन से दलितों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा।
- इसके अलावा समाज में समतावादी विचारों को अधिक प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने की आवश्यकता है।
- समतावादी चेतना को मज़बूत बनाने से लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया तेज़ और सुलभ होगी। सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के साथ नागरिक समाज (Civil Society) को इसके लिए कदम उठाने होंगे ।

4.21. राष्ट्रीय जनजातीय सलाहकार परिषद

- सरकार ने आदिवासी कल्याण योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए एक राष्ट्रीय जनजातीय सलाहकार परिषद गठित करने का फैसला किया है।
- परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और हर वर्ष एक या दो बार परिषद् की बैठक होगी।

महिलायें

4.22. महिला सशक्तिकरण कि पहल

मोबाइल में आपात (panic) बटन:

- सरकार मोबाइल फोन में आपात (panic) बटन लगाने की संभावनायें तलाश रही है।
- इसे जीपीएस (GPS) से जोड़ा जाएगा।
- आपात बटन दबाने से कुछ निश्चित मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस (SMS) जायेगा और जीपीएस (GPS) के द्वारा स्थान की जानकारी मिलेगी !
- वर्तमान मोबाइल में जो आपातकालीन प्रतिक्रिया एप रहती हैं उन्हें ज़रूरत पड़ने पर तुरंत उपयोग करना कठिन होता है जबकि फोन पर मौजूद बटन का उपयोग बहुत सरल होता है और तुरंत उपयोग किया जा सकता है।
- अन्य उपकरणों की सीमाएं: एसओएस (SOS) सुविधाओं वाले विशेष कंगन, अंगूठी, हार, आदि की पहुंच और सामर्थ्य जैसी कुछ सीमाएं होती हैं। साथ ही महिलाओं को इन उपकरणों को हमेशा साथ रखना असुविधाजनक होता है।

4.23. सतत विकास लक्ष्य (SDG) और महिलायें

सतत विकास लक्ष्य

- सतत विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में अपनाये गए 17 लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक, यानी अगले पंद्रह वर्षों में, सभी सदस्य देशों द्वारा पूरा किया जाना है।
- ये लक्ष्य सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की तुलना में अधिक व्यापक हैं और इनसे सतत विकास का लक्ष्य पूरा होगा।

महिलाओं से संबंधित सतत विकास लक्ष्य

लक्ष्य 2: भूख की समाप्ति

- किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और वृद्ध व्यक्तियों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना।

लक्ष्य 3: अच्छा स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन

- वैश्विक मातृत्व मृत्यु दर की प्रति 100,000 जीवित जन्म पर 70 से कम करना।
- परिवार नियोजन, जागरूकता और शिक्षा के साथ यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की सार्वभौमिक पहुँच।
- राष्ट्रीय रणनीतियों और कार्यक्रमों में प्रजनन स्वास्थ्य को शामिल करना।

लक्ष्य 4: शिक्षा की गुणवत्ता

- महिलाओं और पुरुषों, दोनों के लिए सस्ती और गुणवत्ता पूर्ण तकनीकी, व्यावसायिक और तृतीयक शिक्षा सुनिश्चित करना।
- ऐसी शिक्षा सुविधाओं का विकास करना जो कि सभी के लिए सुरक्षित, अहिंसक, समावेशी और प्रभावी शिक्षण वातावरण प्रदान करे।

लक्ष्य 5: लैंगिक समानता

- महिलाओं और लड़कियों के ख़िलाफ़ सभी प्रकार के भेदभाव का अंत।
- मानव तस्करी, यौन शोषण और अन्य प्रकार के शोषण सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के सभी रूपों को समाप्त करना।
- बाल विवाह, बलात विवाह और मादा जननांगच्छेदन जैसी सभी हानिकारक प्रथाओं को ख़त्म करना।
- राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने के लिए और जीवन के सभी स्तरों पर नेतृत्व के लिए महिलाओं की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना।
- आर्थिक संसाधनों पर समान अधिकार के साथ ही जमीन और अन्य संपत्ति, वित्तीय सेवाओं, पैतृक और प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण के लिए समान अधिकार देना।
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साथ अन्य तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना।
- महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए

VISION IAS

समर्थ नीतियों और प्रवर्तनीय कानून को मज़बूत बनाना।

लक्ष्य 6: स्वच्छ जल और साफ-सफाई

- महिलाओं और लड़कियों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देते हुए सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना और खुले में शौच करने की प्रवृत्ति को ख़त्म करना।

लक्ष्य 8: संतोषजनक काम और आर्थिक विकास

- सभी महिलाओं और पुरुषों को पूर्ण और उत्पादक रोज़गार प्रदान करना।
- समान कार्य के लिए समान वेतन।
- श्रम अधिकारों की रक्षा करना और सभी श्रमिकों को सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना।

लक्ष्य 10: असमानताओं को कम करना

- आयु, लिंग, विकलांगता, जाति, धर्म, या आर्थिक या अन्य स्थिति पर ध्यान दिए बिना सभी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेशी विकास को बढ़ावा देना।

लक्ष्य 11: सतत (Sustainable) शहर और समुदाय

- सतत परिवहन व्यवस्था के निर्माण में महिलाओं की आवश्यकताओ का ध्यान रखना।
- सुरक्षित, समावेशी और सुलभ सार्वजनिक स्थलों के लिए सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना।

लक्ष्य 13: जलवायु परिवर्तन

- महिलाओं पर केंद्रित जलवायु परिवर्तन से संबंधित योजना और प्रबंधन के लिए क्षमता में वृद्धि।

लक्ष्य 16: शांतिपूर्ण और समावेशी संस्थान

- सभी प्रकार की हिंसा और मृत्यु संबंधित दर को कम करना।
- यातना, दुरुपयोग, शोषण, तस्करी और बच्चों के खिलाफ हर प्रकार की हिंसा का अंत।

4.24. महिलाओं के विरुद्ध अपराध

बाल अपराधियों के लिए कठोर सज़ा

तथ्य और आंकडें:

- वर्ष 2014 में दिल्ली में बलात्कार की 2096 घटनाएं दर्ज हुई थीं। यह संख्या वर्ष 2013 में दर्ज हुई घटनाओं से ज्यादा है। परन्तु पिछले दो वर्षों की तुलना में बलात्कार की घटनाओं की वृद्धि दर में गिरावट आई है।
- वर्ष 2012 पीड़ितों में से 1008 (आधे के आस-पास) 18 वर्ष से कम आयु के थे।
- वर्ष 2013 में नाबालिग आरोपी सिर्फ दो फीसदी थे और वर्ष 2014 में और भी कम।

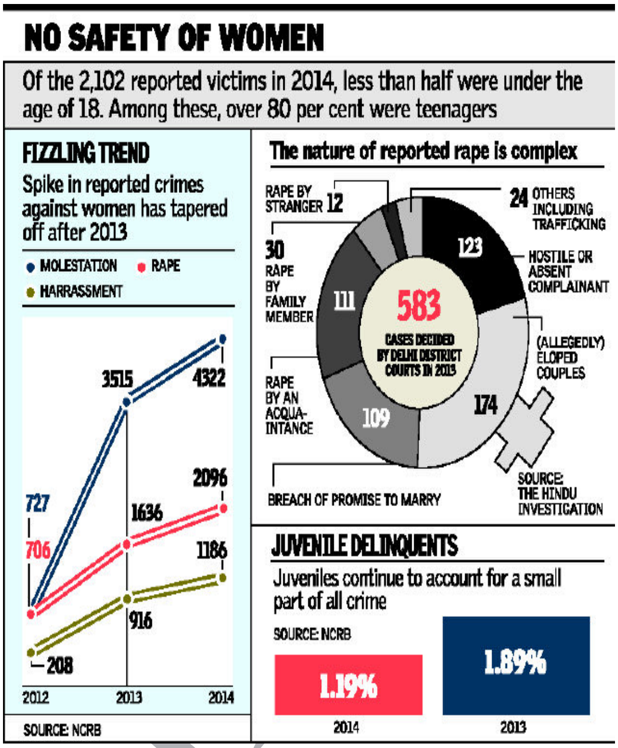

- दिल्ली के ज़िला न्यायालयों के 2013 के फैसलों की जांच से पता चला है कि करीब एक तिहाई मामलों में युवा जोड़ों के खिलाफ अपराध उनके माता-पिता और परिवार वालों द्वारा ही किया गया है। इनमें से अधिकाँश जोड़े अंतर्जातीय संबंधों वाले थे और घर से भाग गए थे।
- कानूनी कार्रवाई में पाया गया कि कई मामलों में एफ.आई.आर. (FIR) दर्ज कराते समय लड़की को नाबालिग बताया जाता है। इस कारण उसके पुरुष-साथी पर अपहरण और बलात्कार के आरोप लगते हैं।

दंड विधि संशोधन 2012:

- यौन उत्पीड़न के मामले में न्यूनतम दंड को दस वर्ष किया गया।
- इससे न्यूनतम दंड तय करना का विवेकाधीन अधिकार न्यायाधीशों से छिन गया। इस अधिकार को वे महिला के साथी के दंड कम करने में उपयोग करते थे जिसके साथ वह प्यार करती हो, शादी की हो या जिसके साथ बच्चा हो।

कठोर दंड के संभावित प्रभाव:

- बालिग होने की उम्र अगर 15 वर्ष की जायेगी तो एक 17 वर्षीय लड़की के साथ सहमति से यौन संबंध बनाने पर एक 15 वर्षीय लड़के को मौत की सज़ा भी हो सकती है।
- अधिकतर बाल अपराधी अत्यंत ग़रीब परिवारों से होते हैं। बाल अपराधियों की सामाजिक- आर्थिक स्थिति की अनदेखी से देश का सबसे उपेक्षित समूह मुख्यधारा जीवन से और दूर हो जाएगा।
- बच्चों को जेल भेजने से वे सलाखों के पीछे विकसित होने वाले

VISION

आपराधिक नेटवर्क के संपर्क में आ जायेंगे। इससे वे आजीवन अपराध की गिरफ़्त में रहेंगे और एक ऐसे समुदाय का हिस्सा बन जायेंगे जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता।

- इसके अलावा दंड विधि में इस उम्र को कम करने से यौन सहमति की उम्र, नशा करने की उम्र और ड्राइविंग के लिए उम्र को भी कम करने की माँग उठेगी।

अपराधीकरण के विकल्प:

- निवारक उपाय: कार्यरत माता-पिता को बेहतर शिशुपालन सहायता सड़कों पर बेहतर रौशनी और सामुदायिक केन्द्रों की स्थापना।
- **पुलिस प्रशासन:**
- यौन उत्पीड़न के मामलों को दर्ज करने की प्रणाली में सुधार।
- इन संवेदनशील मुद्दों को रिश्वतखोरी से मुक्त करना।
- महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को दर्ज करने के लिए विशेष पुलिस-थानों की स्थापना।
- न्यायपालिका: नाबालिग को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होने वाले मानसिक आघात के प्रति न्यायाधीशों को अधिक संवेदनशील होना चाहिए।
- बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए सरकार को सुरक्षा कानूनों में अप्रत्यक्ष कारको (Proximity clause) से संबंधित प्रावधान लाना चाहिए।
- बाल अपराधी: क्रूर वयस्क अपराधियों के बीच कैद खाने में रखने के बजाय प्राथमिक आवश्यक बाल अपराधियों की प्राथमिक आवश्यकता शिक्षा और सुधार है।
- सुधार सुविधाएं: नाबालिग़ द्वारा किये गए पहले अपराध को संशोधनीय माना जाना चाहिए और किशोरगृहों में सुधार करना चाहिए।

निष्कर्ष

- मौत की सज़ा पर अपनी रिपोर्ट में विधि आयोग ने उल्लेख किया है कि समाज को अपराध के शिकार लोगों के परिवारों की मदद करनी चाहिए और मौत की सजा को एकमात्र और उचित सजा के रूप में नहीं देखना चाहिए।
- इसके अलावा बाल अपराध को एक विशेष वर्ग में रखने के व्यावहारिक कारण हैं और बाल अपराधियों पर दंडात्मक शक्ति उपयोग नहीं करना चाहिए।
- प्रतिकार और सुधार के बीच सही संतुलन बनाने के लिए सरकार विशेषज्ञों की राय की मदद से दुर्लभतम मामलों में कठोर आपराधिक कार्रवाई पर विचार कर सकती है। ऐसा उन मामलों में होना चाहिए जब अपराधी वास्तव में सुधारने के योग्य न हो और समाज के लिए एक स्थायी ख़तरा बन जाए।

4.25. सशस्त्र बलों में महिलाऐं

युद्ध भूमिका में महिलाऐं

- रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू वर्ग में महिलाओं को शामिल करने को मंजूरी दे दी है।
- भारतीय वायुसेना ने मंत्रालय से इसके लिए एक औपचारिक अनुरोध किया था। आशा की जाती है कि जून 2017 तक महिलाऐं वायु सेना को लड़ाकू पायलट की सेवाएँ देने लगेंगी।
- मुख्यालय समेकित रक्षा स्टाफ द्वारा वर्ष 2006 में और त्रि-सेवा उच्च स्तरीय समिति द्वारा वर्ष 2011 में किये पर अध्ययन पर आधारित सिफारिशों में लड़ाकू भूमिका में महिलाओं को शामिल करने से मना कर दिया था।

सशस्त्र बलों में महिलाओं की वर्तमान स्थिति

- भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के विभिन्न पाठ्यक्रमों में महिलाओं को अनुमति है लेकिन अब तक युद्ध की भूमिका में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध था।
- इस निर्णय से महिलाओं को भारतीय वायुसेना की सभी शाखाओं में शामिल होने की पात्रता मिल गयी है।
- भारतीय वायुसेना के बाद भारतीय नौसेना ने भी विभिन्न शाखाओं में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति देने का निर्णय लिया है, लेकिन ढांचागत जरूरतों को पूरा होने तक उन्हें समुद्र में नहीं उतारा जायेगा।
- सितंबर 2015 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन को मंजूरी दी थी और महिलाओं की प्रगति को रोकने के लिए नौसेना और रक्षा मंत्रालय की खिंचाई की थी।

दूसरे देशों के सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका:

- आस्ट्रेलिया ने वर्ष 2013 में युद्ध की भूमिका में महिलाओं को अनुमति दी।
- जर्मनी में यह अनुमति वर्ष 2001 में ही दे दी गयी थी।
- इसराइल में वर्ष 1995 से ही महिलायें लड़ाकू भूमिकाओं में सेवा देती रही हैं।
- पाकिस्तान ने वर्ष 2013 में लड़ाकू विमानों के पायलट की भूमिका में महिलाओं को शामिल किया।
- अमेरिका ने वर्ष 2013 में लड़ाकू भूमिका में महिलाओं को सीमित करने वाले एक नियम को रद्द कर दिया था और जनवरी 2016 से इसका कार्यान्वयन शुरु होने की संभावना है।

4.26. लिंगानुपात

- हाल में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पंजीकृत जन्मों का लिंगानुपात वर्ष 2011 में 909 था, वर्ष 2012 में 908 हुआ और वर्ष 2013 में और गिर कर 898 हो गया।
- ये आंकड़े सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के हैं और दशकीय जनगणना से अलग हैं।

सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली:

- सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली में आधिकारिक तौर पर पंजीकृत जन्म और मृत्यु आंकडें शामिल हैं।
- सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा प्रशासित है।
- जन्म और मृत्यु का पंजीकरण 21 दिनों में करवाना अनिवार्य है।
- हालांकि इन घटनाओं का सरकारी पंजीकरण निरपेक्ष नहीं है परन्तु अब इसमें देशभर में सुधार हो रहा है।
- वर्ष 2013 में महारजिस्ट्रार कार्यालय के अनुसार सभी जन्म घटनाओं के 85.5 फीसदी का पंजीकरण हुआ था।
- बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत कम पंजीकरण हुए हैं। बिहार में जन्म और मृत्यु की घटनाओं का केवल 57 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में केवल 69 प्रतिशत पंजीकरण हुआ।

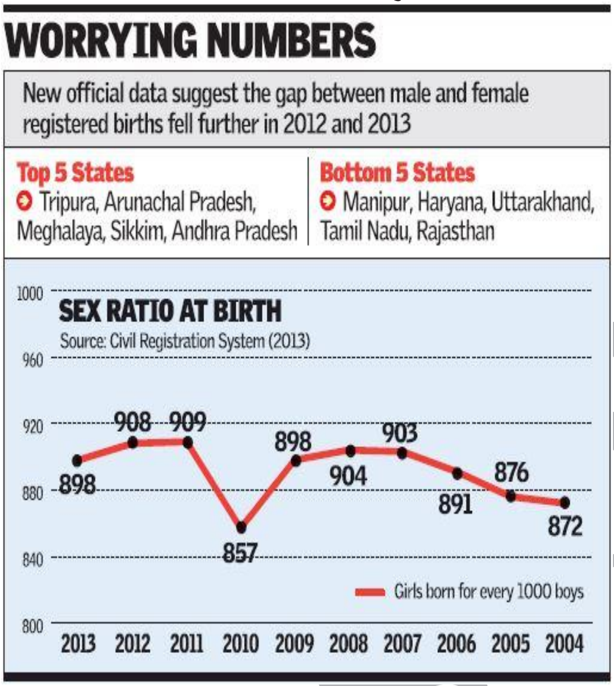

नए आंकड़ों का विश्लेषण:

- जनगणना विशेषज्ञों के अनुसार सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के आंकड़े सटीक नही होते क्योंकि यह पंजीकृत जन्म घटनाओं की ही गणना करता है। लड़कों की तुलना में लड़कियों के जन्म का आधिकारिक तौर पर पंजीकृत होने की संभावना कम होती है, इसलिए सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के आंकड़ों से निकला लिंगानुपात वास्तविकता से कम होता है।
- महारजिस्ट्रार कार्यालय की सैंपल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली विश्वसनीय मानी जाती है क्योंकि यह जन्म और मृत्यु पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिनिधि नमूने का चयन करती है। जबकि सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली स्थानीय अधिकारियों पर निर्भर है।
- फिर भी सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के नए आंकड़ों से सरकार को सचेत होना चाहिए क्योंकि भ्रूण हत्या के विरुद्ध बनाये गए कानूनों का सफल कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है।

4.27. भारत में किराये की कोख (Surrogacy)

- सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पेशकस की है कि सरकार सरोगेट मां के अधिकारों की रक्षा करने के लिए वाणिज्यिक किराया कोख (सरोगेसी) का समर्थन नहीं करती।
- एक हलफ़नामे में सरकार ने कहा कि बांझ विवाहित भारतीय जोड़ों के लिए जरूरतमंद सरोगेसी को पूरी तरह से जांच के बाद अनुमति दी जाएगी।
- स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार अनुसंधान के लिए मानव भ्रूण का आयात प्रतिबंधित है। इसका अर्थ है कि अब विदेशी लोग भारत में सरोगेसी सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते।
- इससे पहले वाणिज्य मंत्रालय की वर्ष 2013 की अधिसूचना के अनुसार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद मानव भ्रूण को आयात किया जा सकता था; लेकिन बाद में इस अधिसूचना को वापस ले लिया गया।
- स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने सुझाव दिया है कि सरोगेसी की सुविधा केवल बांझ शादीशुदा भारतीय जोड़ों के लिए होनी चाहिए, विदेशियों के लिए नहीं।
- ये प्रावधान सहायता प्राप्त जनन प्रौद्योगिकी (नियमन) विधेयक 2014 का हिस्सा होंगे।

सरोगेसी क्या है?

- जब कोई दूसरी महिला किसी जोड़े के लिए एक बच्चे को जन्म देती है, उसे सरोगेसी कहते हैं और जन्म देने वाली औरत सरोगेट माँ कहलाती है। ऐसे मामलों में जोड़ा बच्चा पैदा करने में किन्ही कारणों से असमर्थ होता है, इसलिए सरोगेट माँ उनके लिए बच्चा पैदा करती है।
- यह ऐसे जोड़ों के लिए बच्चा पाने के लिए उचित विकल्प के रूप में उभर रहा है।
- वाणिज्यिक किराया कोख (सरोगेसी) में सरोगेट माँ पैसों के लिए बच्चे को जन्म देती है और उसे एक निश्चित शुल्क का भुगतान किया जाता है; जबकि परोपकारी सरोगेसी में सरोगेट माँ को सिर्फ खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भारत में सरोगेसी का वर्तमान परिदृश्य:

VISION IAS

पृष्ठभूमि:

- सर्वोच्च न्यायालय में वाणिज्यिक सरोगेसी के खिलाफ एक जनहित याचिका लंबित है। इसमें दावा किया गया है कि विदेशी जोड़ों द्वारा ग़रीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों की भारतीय महिलाओं का शोषण किया जा रहा है।
- अक्टूबर 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने मानव भ्रूण के व्यापार पर चिंता व्यक्त की थी और सरकार को वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया था। न्यायालय ने सरकार से 14 प्रश्न पूछे थे। सरकार ने हलफनामें में इन सवालों के जवाब दिए थे।
- गृह मंत्रालय भी जल्द ही इस मामले में हलफनामा दायर करने वाला है इस मामले में गृह मंत्रालय की भूमिका सरोगेसी के लिए विदेशियों को चिकित्सा वीज़ा देने की है, जिस पर जनहित याचिका में प्रतिबंध लगाने की मांग की गयी है।
- 24 नवंबर को न्यायालय में मामले की सुनवाई होगी।

- वाणिज्यिक सरोगेसी वर्ष 2002 से भारत में कानूनन वैध है।
- वैश्विक स्तर पर भारत सरोगेसी के लिए एक पसंदीदा गंतव्य माना जाता है और इसे "प्रजनन पर्यटन" के रूप में जाना जाता है।
- भारत में सरोगेसी की लागत अपेक्षाकृत कम है और कानूनी वातावरण भी अनुकूल है।
- वर्तमान में सहायताप्राप्त जनन प्रौद्योगिकी के क्लीनिक दिशा-निर्देश और जोड़े और सरोगेट माँ के बीच सरोगेसी अनुबंध ही इस क्षेत्र में मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं।
- वर्ष 2008 में जापान के एक जोड़े के मामले में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारत में वाणिज्यिक सरोगेसी की अनुमति है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को सरोगेसी के लिए एक उचित कानून पारित करने के लिए कहा था।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए संसद में सहायताप्राप्त जनन प्रौद्योगिकी बिल अधिनियमित किया गया था, जो अभी तक लंबित है।
- सरोगेट माँ का शोषण और बच्चों की खरीद-फरोख्त चिंता के प्रमुख विषय हैं जिनका निवारण कानून को करना है।

कानून के अभाव में शोषण

- शोषण को रोकने के लिए व्यापक कानून के अभाव में कुछ मामलों में गर्भावस्था की जटिलताओं और प्रसवोत्तर देखभाल की अनुपलब्धता के कारण सरोगेट माँ की मृत्यु हो जाती है।
- गरीब अनपढ़ सरोगेट माँ और जोड़ों के बीच अनुबंध को इस प्रकार बनाया जाता है कि चिकित्सीय, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक जोखिम सरोगेट माँ पर आ जाता है और जोड़ा किसी भी उत्तरदायित्व से मुक्त रहता है।
- सफलता सुनिश्चित करने के लिए किराए की कोख में एक से अधिक भ्रूण प्रत्यारोपित किए जाते हैं।
- कुछ मामलों में बच्चे कुछ विकलांगता के साथ पैदा हुए हैं या अनियोजित जुड़वां बच्चे पैदा हुए हैं। ऐसे मामलों में जोड़ा इन बच्चों को अपनाने से इनकार कर देता है।

सरोगेसी विधि आयोग की रिपोर्ट

भारतीय विधि आयोग ने सरोगेसी, माँ और जोड़े के उत्तरदायित्व और जनन प्रौद्योगिकी क्लीनिक के विनियमन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

- आयोग ने दृढ़ता से वाणिज्यिक किराया कोख (सरोगेसी) का विरोध किया है।
- आयोग ने कहा कि बच्चा चाहने वाले जोड़े में से एक व्यक्ति अंडे का दाता होना चाहिए क्योंकि जैविक संबंधों से ही एक बच्चे के साथ प्यार और स्नेह उत्पन्न होता है।
- क़ानून में यह स्पष्ट होना चाहिए कि गोद लेने या और कोई घोषणा के बिना भी पैदा हुए बच्चे को जोड़े का वैध बच्चा माना जायेगा।
- दाता की गोपनीयता के साथ ही सरोगेट माँ के अधिकार की रक्षा भी की जानी चाहिए।
- लिंग-चयनात्मक सरोगेसी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
- गर्भपात के मामलों को गर्भ के चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 द्वारा नियमित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

सरोगेसी पर पर पूर्ण प्रतिबंध एक स्वागत योग्य कदम है। सरोगेसी का मतलब बच्चों की ख़रीद फरोख्त है और नियमन से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती। महिलाओं की गरीबी पर पनपने वाले इस तंत्र को समाप्त करना जरुरी है और साथ ही सरकार को ग़रीबी ख़त्म करने के लिए भी कदम उठाने चाहिए।

संघ लोक सेवा आयोग - मुख्य परीक्षा 2012

सहायता प्राप्त जनन प्रौद्योगिकी के सन्दर्भ में, भारत वाणिज्यिक रूप से किराये पर कोख लेने (सरोगेसी) के एक केन्द्र के रुप में उभर कर आया है। भारत में किराया कोख का नियंत्रण करने के लिए नियमन-निर्माण करने में कौन-कौन से जैविक, विधिक एवं नैतिक मुद्दे विचार करने योग्य हैं?

ALL INDIA IAS TEST SERIES 2015
General Studies, Philosophy, Sociology, Public Administration, Geography, Essay, Psychology
All India Rank, Performance Analysis, Flexible & Expert Discussion
Starts : 5th Sep

GENERAL STUDIES ADVANCED BATCH 2015
For Civil Services Mains Examination 2015
Starts : 7th Sep

ETHICS MODULE
By renowned faculty and senior bureaucrats
25 Classes
Regular Batch
Starts : 15th Sep

PHILOSOPHY
Foundation/Advance Course @ JAIPUR Center
Includes comprehensive & updated study material
Classes on Philosophy by Anoop Kumar Singh:
Starts : 7th Sep

VISION IAS

विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी

5.1. आईएनएस अस्त्रधारिणी

यह पूर्णत: भारत में ही डिजाइन और निर्मित पहला टॉरपैडो रिकवरी पोत है।

विशेषताएं

- इस पोत के बेड़े की अद्भुत आकृति इसकी ऊर्जा आवश्यकता को काफी कम कर देता है जिससे यह पोत 15 समुद्री मील की अधिकतम रफ़्तार को प्राप्त कर सकता है।
- यह खुले सागर में काम करने में सक्षम और यात्री परिवहन के लिए भी उपयुक्त है।

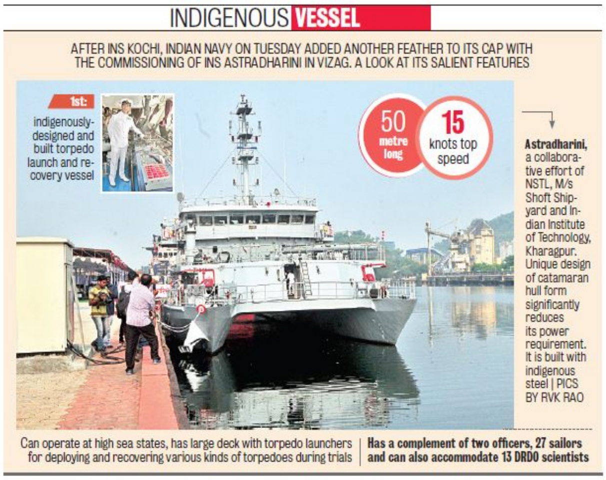

- यह अस्त्रवाहिनी पोत का उन्नत संस्करण है।

महत्व

- भारतीय नौसेना को लंबे समय से ऐसे जहाज की आवश्यकता थी।
- आईएनएस अस्त्रधारिणी से हमारे वैज्ञानिकों की कुशलता और विनिर्माण तकनीक की क्षमता परिलक्षित होती है। इसका निर्माण 'मेक इन इंडिया' अभियान को भी बढ़ावा देगा।
- आईएनएस अस्त्रधारिणी के निर्माण से स्वदेशीकरण के प्रयासों को भी गति मिलेगी। साथ ही नौसैनिक हथियारों के विकास में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी।

5.2. दुनिया का सबसे ऊँचाई पर स्थित अनुसंधान केंद्र

ऊंचाई: 17600 फुट

स्थान: लद्दाख में पेंगोंग झील के पास चांगला में।

उद्देश्य

- यह अनुसंधान केंद्र ने आने वाली पीढ़ियों के लिये दुर्लभ और लुप्तप्राय औषधीय पौधों के सरंक्षण में एक प्राकृतिक शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) के रूप में काम करेगा।
- यह केंद्र ऊँचे ठंडे इलाकों में खाद्य, कृषि और जैव चिकित्सा विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करेगा जिसके द्वारा ठंडे रेगिस्तान में तैनात सैनिकों की मदद की जा सकेगी।
- इस केंद्र में चलते-फिरते ग्रीनहाउस के डिजाइन, परीक्षण, सत्यापन और प्रदर्शन जैसी वैज्ञानिक गतिविधियाँ प्रस्तावित हैं। साथ ही दूरस्थ सैन्य चौकियों में ताजा भोजन के लिए मिट्टी-रहित खेती की सूक्ष्म प्रौद्योगिकी पर भी अनुसंधान किया जायेगा।

जलवायु की स्थिति

इस क्षेत्र में तीव्र ठंड के महीनों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है जिसका प्रभाव उच्च पवन वेग और पराबैंगनी विकिरण के अतिरिक्त कम वायुमंडलीय दाब और आर्द्रता के कारण और बढ जाता है।

5.3. मेक इन इंडिया - हल्के सैन्य हेलिकॉप्टर

- भारतीय सेना के पास जल्द ही तीन प्रकार के हल्के सैन्य हेलिकॉप्टर होंगे। जिन्हें 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत निर्मित किया जाएगा।
- 200, KA-226 हेलिकॉप्टर के लिए रूसी सरकार के साथ सौदा किया गया है। किसी अन्य दो प्रकार के हेलिकॉप्टरों का चयन किया जाना बाकी है।

कारण

- भारतीय सेना की तत्काल जरुरत की पूर्ति के लिए 800 से भी अधिक हल्के हेलिकॉप्टरों की आवश्यकता है।
- हालांकि चीता/चेतक हेलिकॉप्टर अपनी सेवा के अंतिम चरण में हैं।

प्रगति

- रूसी सौदे में अभी तक संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है क्योंकि रूस ने अभी तक हेलिकॉप्टरों की तकनीकी विशिष्टताओं और भारत में उसके उत्पादन की योजनाओं को साझा नहीं किया है।

5.4. निर्भय मिसाइल

विशेषताएं:

- यह स्वदेश निर्मित, सतह-से-सतह पर मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल (प्रक्षेपास्त्र) है।
- यह बहुत कम ऊँचाई पर भी उड़ सकती है तथा अपनी तकनीकि विशिष्टताओं के कारण यह रडार की पकड़ से बच सकती है।
- यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है।
- यह 1000 किलोमीटर की दूरी तक जाने में सक्षम है, जिससे भारत दुश्मन के सुदूर आंतरिक क्षेत्रों तक हमला कर सकता है।
- भारत ने अलग-अलग क्षमता की बैलिस्टिक मिसाइल और सामरिक मिसाइलें बनायीं हैं, लेकिन क्रूज मिसाइल के निर्माण में महारत हासिल करना बाकी है।

खबर में क्यों

हाल ही में यह मिसाइल परीक्षण के दौरान अपने लक्ष्य से भटक गयी थी।

5.5. लून (LOON) परियोजना

- लून परियोजना के तहत अंतरिक्ष में गुब्बारों का एक नेटवर्क बनाया जायेगा। इसके द्वारा ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को इंटरनेट के जरिये जोड़ा जायेगा। यह नेटवर्क प्रसारण (कवरेज) की कमी को पूरा करेगा और आपदाओं के दौरान और बाद में लोगों को ऑनलाइन आने में मदद करगा।
- इस पहल को पहले ही ब्राजील, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में प्रयोग में लाया गया है।
- लगभग 1000 इंटरनेट गुब्बारे पहले से ही दुनिया भर में तैनात किये गये है। जो कि लगभग 20 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और उनमें से कुछ धरती का 20 बार चक्कर लगा चुके हैं।

महत्व

- इस योजना का उद्देश्य दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा प्रदान करना है।

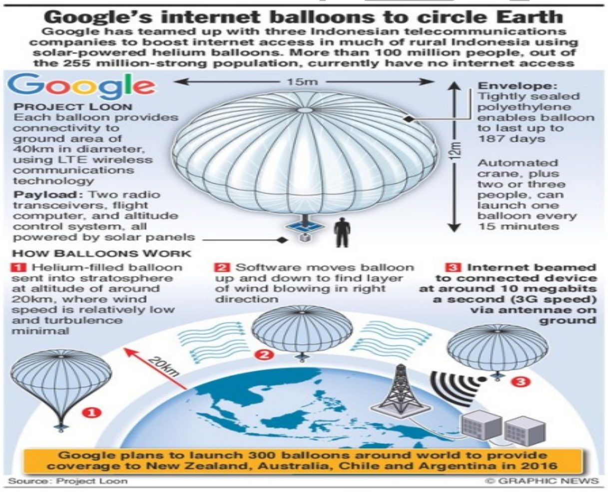

- यह प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा प्रदान करेगी।
- दुनिया की दो-तिहाई आबादी को अभी तक इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस परियोजना से संपर्क सुविधा में वृद्धि होगी।
- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन में दावा किया गया है कि इंटरनेट क्षेत्र में 10 प्रतिशत की वृद्धि से एक देश के सकल घरेलू उत्पाद में 1.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो सकती है।

5.6. सुनामी पूर्व-चेतावनी प्रणाली

- भारतीय सुनामी पूर्व-चेतावनी प्रणाली पर भारत और द्वीपीय क्षेत्रों के लिए सुनामी चेतावनी जारी करने की जिम्मेदारी है। यह प्रणाली ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ हिंद महासागर के तटीय देशों के लिए सुनामी चेतावनी उपलब्ध कराती है।
- यह प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा प्रबंधित है जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है।

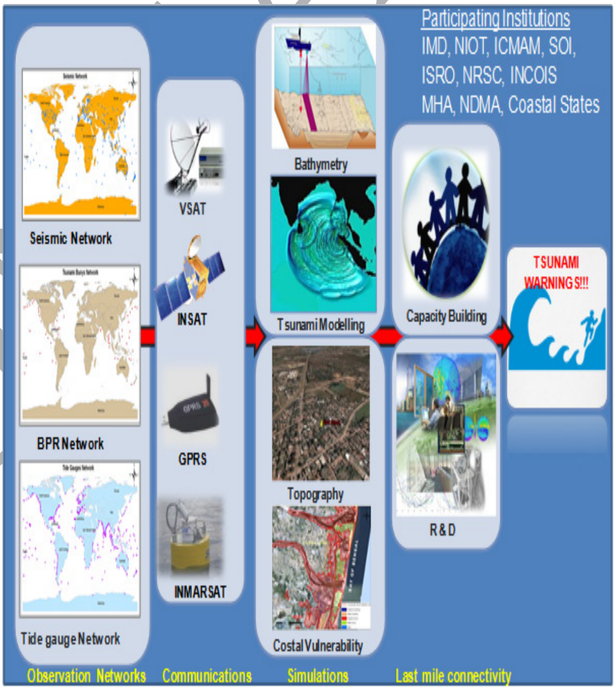

विशेषताएं

- यह चेतावनी केंद्र हिंद महासागर में कोई बड़ा भूकंप आने के 10 मिनट के भीतर सुनामी चेतावनी जारी करने में सक्षम है। इस प्रकार हमें अंडमान एवं निकोबार के आसपास के इलाकों में लगभग 10 से 20 मिनट का और मुख्य भू-भाग में कुछ घंटों पहले सतर्कता उपाय करने के लिए समय मिल जाता है।
- यह केंद्र भूकंप मापदंडों का वास्तविक-समय निर्धारण करता है।
- यह चेतावनी केंद्र 24 x 7 क्रियाशील रहते हुए सुनामी पैदा करने वाले भूकंप का पता लगाएगा और मानक संचालन प्रक्रिया

(Standard Operating Procedure) का पालन करते हुए उचित समय पर चेतावनी जारी करेगा।

- यह चेतावनी केंद्र एक साथ कई माध्यमों (फैक्स, फोन, ईमेल, एसएमएस आदि) से विभिन्न हितधारकों के लिए सुनामी चेतावनी जारी करता है।

5.7. प्रकाश संश्लेषण से बिजली उत्पादन

- कनाडा के शोधकर्ताओं ने सूक्ष्म प्रकाश संश्लेषक सेल तकनीक विकसित की है जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण और नीली-हरी शैवाल के श्वसन से विद्युत् उत्पादन किया जा सकता है।

तकनीक

- पौधों की कोशिकाओं में होने वाले प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण की एक श्रृंखला होती है।
- इस तकनीक में इन्ही इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल कर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है।
- इस प्रकाश संश्लेषक ऊर्जा सेल में एक एनोड (धनात्मक आवेशित प्लेट), कैथोड (ऋणात्मक आवेशित प्लेट) और प्रोटॉन विनिमय झिल्ली होती है।

विशेषताएं

- यह एक नई और मापनीय तकनीक है।
- यह स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने का किफायती तरीका बन सकता है।
- यह भविष्य में मानव जाति के लिए कार्बन-रहित ऊर्जा का स्रोत है।

अन्य ख़बरें

5.8. सफ़ेद मक्खी से परेशानी

- उत्तर भारत में सफ़ेद मक्खी संक्रमण से इस वर्ष बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान हुआ है।
- उत्तर भारत में 250 से अधिक संकरित बीटी कपास हैं। इनमें से 90 प्रतिशत से अधिक सफ़ेद मक्खी और पर्ण कुंचन से शीघ्र प्रभावित होती हैं।

कारण और प्रसार:

- अनियमित एवं कम वर्षा के कारण से किसानों ने ताजे वानस्पतिक उपज के लिए अत्यधिक सिंचाई और यूरिया का प्रयोग किया जिससे सफ़ेद मक्खी के तेजी से विस्तार हुआ ।
- कीटनाशकों के अधिक छिड़काव से यह समस्या और बदतर हो गयी।
- इसके अलावा देर से बुवाई लगातार सूखा और बदली और गर्मी इसके अन्य कारण रहे हैं।
- सही समय पर बुवाई वाली फसलें कम प्रभावित हैं, क्योंकि सफेद मक्खियाँ उनकी परिपक्व पत्तियों को कम पसंद करती हैं।
- सफेद मक्खी का प्रकोप महाराष्ट्र में नहीं देखा गया था। यद्यपि तेलंगाना में कुछ घटनाएं हुईं पर यह पंजाब में हुई घटनाओं जैसी गंभीर नहीं थीं।

सफ़ेद मक्खी क्या है?

- सफ़ेद मक्खी एक छोटा सा (1-2 मिमी) सफेद रंग का कपास को प्रभावित करने का कीट है। इसके अलावा यह उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सब्जियों और अन्य फसलों को भी प्रभावित करता है।
- सफ़ेद मक्खी जैविक पोषक तत्वों को ले जाने वाले फ्लोयम या जीवित ऊतकों से रस चूस लेती है जो पत्तियों के पीलेपन एवं संकुचन का कारण होती है।

नियंत्रण के उपाय:

- सबसे अच्छा तरीका यह है कि स्वाभाविक रूप से सफ़ेद मक्खी को नियंत्रित करने वाली लाभप्रद कीड़ों को प्रभावित न करने वाली कृषि विधियाँ अपनायी जाएँ।
- इसलिए संश्लेषित पायरेथ्रोइड जैसे अन्य कीटनाशकों को उपयोग बड़ी मात्रा में नहीं करना चाहिए।
- उचित होगा कि प्रारंभ में पानी के छिड़काव के बाद साबुन का, नीम के तेल, अरंडी के तेल, मछली के तेल और राल का छिड़काव किया जाए।

अंतरिक्ष

5.9. गगन

यह वैश्विक स्थायीकरण प्रणाली ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम-(जीपीएस) द्वारा सहायता प्राप्त एक भू-संवर्धित नौसंचालन प्रणाली है, जिसका उद्देश्य सटीक नौसंचालन सेवाएं प्रदान करना है।

दायरा: बंगाल की खाड़ी, दक्षिण-पूर्व एशिया, हिंद महासागर, मध्य-पूर्व एशिया और अफ्रीका

 ©Vision IAS

विशेषताएं

- गगन दो संवर्धित उपग्रहों और 15 भू-आधारित केन्द्रों की मदद से जीपीएस (GPS) उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों को संवर्धित कर प्रसारित करता है।
- यह प्रणाली आंकड़ों में स्थित किसी भी विसंगति को ठीक करके विमान पायलटों को सटीक मार्ग, विमान उतारने (Landing) का मार्गदर्शन और समयोचित सूचना देता है।
- अप्रैल 2015 में इसके उपयोग को मंजूरी मिली थी।
- 770 करोड़ रुपये वाली गगन प्रणाली की स्थापना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) ने संयुक्त रूप से की है।

महत्व

- यह पायलटों को 3 मीटर की सटीकता वाली जानकारी देगा जिससे भारतीय हवाई क्षेत्र में विमान चलाना और आसान हो जायेगा।
- यह मंगलौर और लेह जैसे कठिन मौसम और दुर्गम क्षेत्रों वाले हवाई अड्डों में भी विमान उतारने को आसान बनाएगा।
- इसके सटीक मार्गदर्शन से छोटे मार्गों की पहचान और सुरक्षित विमान उतारने की विधि (landing) से ईंधन लागत कम हो जाएगी।
- देश भर में हवाई यातायात, हवाई अड्डे में भीड़-भाड़ और सुरक्षा के सुधार में मदद मिलेगी।
- इस प्रणाली के पूरी तरह से स्थापित होने हो जाने के बाद भारत अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसे देशों के समूह में शामिल हो जायेगा, जिनके पास पहले से इस तरह की नौसंचालन प्रणाली है।

खबर में क्यों: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण वाणिज्यिक विमान कम्पनियों एवं सामान्य विमान उड़ानों में गगन के उपयोग को बढाने के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों और कार्यक्रमों पर विचार कर रहा है।

संघ लोक सेवा आयोग- मुख्य परीक्षा 2009
गगन प्रोजेक्ट

5.10. किसान योजना (अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भू-सूचना के उपयोग के साथ फसल बीमा)

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत फसल की उपज के आंकड़े एकत्र करने के लिए उपग्रह और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए उपग्रहों और मानवरहित यानों का उपयोग किया जाएगा।
- मानवरहित यानों और उपग्रहों द्वारा एकत्रित आंकड़ों का पारंपरिक तरीके से फसल काटने के बाद प्राप्त आंकड़ों के साथ मिलान किया जाएगा, जिससे विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त किए जा सकेगें।
- इससे पहले सही समय पर और सही आंकड़े प्राप्त करने में कठिनाई होती थी, जिसकी वजह से किसानों को मुआवजे के भुगतान में देरी होती थी।
- प्रारंभ में किसान कार्यक्रम को हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में प्रायोगिक तौर पर लाया जायेगा।
- किसानों की मदद के लिए मोबाइल एप: ओलों से फसलों को होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए इसरो द्वारा एक मोबाइल फोन एप जारी किया गया है।
- इस एप के उपयोग से किसान फसल क्षति की तस्वीरें तुरंत संबंधित अधिकारियों को भेज सकते हैं, जिससे उन्हें तत्काल राहत मिल सकेगी। यह किसानों को सहायता पहुंचने में होने वाली लालफीताशाही के कारण होने वाली देरी को कम करेगा।
- इस तरह के मोबाइल एप की आवश्यकता: ओलावृष्टि से खड़ी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। परंतु ओलावृष्टि के आंकड़े एकत्र करने के लिए कोई व्यापक पद्धति नहीं थी।

5.11. सड़क संपत्ति प्रबंधन प्रणाली

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के लिए एक सड़क संपत्ति प्रबंधन प्रणाली विकसित कर रहा है। यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है।
- इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों का उपग्रह द्वारा मानचित्रण किया जाएगा। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसरो के साथ करार करने की योजना बना रहा है।
- इसरो की गगन और भुवन उपग्रह प्रणालियाँ और मानव रहित यान का उपयोग सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के एक 360 डिग्री मानचित्रण तैयार करने के लिए किया जाएगा। मानचित्रण के इस लक्ष्य को वर्ष 2017 तक पूर्ण करने की योजना है।

महत्व:

यह निम्न में मदद करेगा:

- सड़क परियोजनाओं की सटीक और वैज्ञानिक योजना
- सड़कों का रख-रखाव
- सड़क परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी
- सड़क सुरक्षा उपायों का क्रियान्वयन
- राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास

5.12. ट्राई का प्रस्ताव: सभी मोबाइल फोन में जीपीएस (Global Positioning System) अनिवार्य

ट्राई के प्रस्ताव के पीछे कारण

- इससे किसी भी आपात स्थिति में फोन करने वाले के सटीक स्थान पता लगाने में मदद मिलेगी।
- ट्राई ने सार्वजनिक सुरक्षा आंसरिंग केंद्र आधारित एकीकृत आपात संचार और प्रतिक्रिया प्रणाली के कार्यान्वयन का भी प्रस्ताव रखा

VISION IAS

है। इसकी सेवा एक आपातकालीन नंबर 112 के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी। पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस आदि के लिए भी इस एकीकृत नंबर का उपयोग किया जा सकेगा।

- सभी मोबाइल फ़ोन में जीपीएस (GPS) अनिवार्य करने से एकीकृत आपात संचार और प्रतिक्रिया प्रणाली में मदद मिलेगी ।
- सभी मोबाइल फ़ोन में जीपीएस लगाना बहुत महँगा नहीं होगा और जब इसे अनिवार्य कर दिया जायेगा तो बड़े पैमाने पर निर्माण से यह और सस्ता हो जायेगा।

सरकार की प्रतिक्रिया:

- पहले इस प्रस्ताव को दूरसंचार विभाग द्वारा यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया था कि कम लागत के मोबाइल फ़ोन में जीपीएस काम नहीं करता और सभी मोबाइल फोन में जीपीएस लगाने से होने वाले प्रभाव का आंकलन करके ही इस मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहिए।
- लेकिन ट्राई सभी हैंडसेट में जीपीएस (GPS) अनिवार्य बनाने के अपने प्रस्ताव पर अडिग है।

5.13. नासा की अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली (NASA'S SPACE LAUNCH SYSTEM-SLS)

- इसके लिए अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का निर्माण किया गया है।
- इस प्रणाली के प्रक्षेपण यान को समय के साथ और उन्नत किया जायेगा। इस प्रणाली का प्रारंभिक संस्करण पृथ्वी की निचली कक्षा तक 70 मीट्रिक टन भार ले जाने में सक्षम है। इसके अगले संस्करण की भार क्षमता 130 मीट्रिक टन होगी।
- अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली का पहला मिशन जिसे एक्सप्लोरेशन (EXPLORATION) मिशन 1 नाम दिया गया है, एक मानवरहित ओरियन अंतरिक्ष यान होगा, वर्ष 2017 में प्रक्षेपित किया जायेगा। इसका उद्देश्य रॉकेट और अंतरिक्ष यान की एकीकृत प्रणाली के प्रदर्शन को दर्शाना है। इसके बाद मानव यान भी भेजा जायेगा।
- अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली का दूसरा मिशन जिसे एक्सप्लोरेशन मिशन 2 नाम दिया गया है, का प्रक्षेपण वर्ष 2021 में प्रस्तावित है जिसमें करीब चार अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों का भेजा जायेगा।
- इसका उपयोग मंगल ग्रह पर खोज के लिए भी किया जाएगा।

5.14. 2015 का रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार

- रसायन शास्त्र में वर्ष 2015 का नोबेल पुरस्कार टॉमस लिनडाह्ल, पॉल मोडरिच और अजीज संकार को दिया गया है। उन्होंने बताया कि कैसे कोशिकायें क्षतिग्रस्त डीएनए (DNA) को ठीक करती हैं और आनुवंशिक जानकारी को सुरक्षित रखती हैं।
- उन्होंने जांच में पाया कि आणविक प्रणालियों का एक समूह लगातार डीएनए पर नजर रखता है और उसे ठीक करता है।

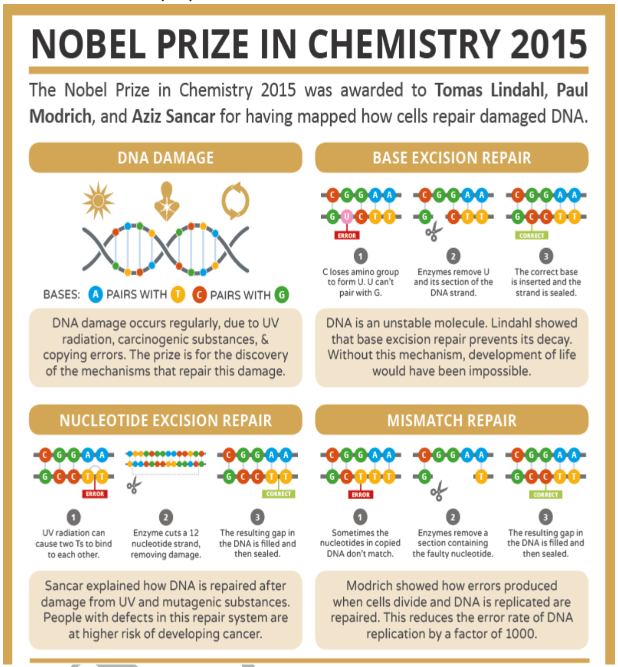

- अजीज संकार ने उस तंत्र का पता लगाया है जिसके उपयोग से कोशिकाएं डीएनए में पराबैंगनी विकिरण से होने वाली क्षति को ठीक करती हैं। इस तंत्र में दोष के साथ पैदा हुए लोग अगर सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते हैं तो उन्हें त्वचा का कैंसर हो जाता है।
- पॉल मोडरिच ने बताया कि कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए में होने वाली खामियों को कोशिकाएं किस प्रकार ठीक करती हैं। इस प्रक्रिया में जन्मजात दोष पेट के कैंसर का एक वंशानुगत कारण बनता है।

महत्व:

- उनके कार्य से ज्ञात हुआ कि एक जीवित कोशिका किस प्रकार काम करती है। इस अध्ययन के निष्कर्षों को कैंसर के नए उपचार के विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

डीएनए (DNA) हर रोज क्यों और कैसे बदलता है?

- बाह्य कारण: हमारा डीएनए रोज़ ही पराबैंगनी विकिरणों, मुक्त मूलको और अन्य कैंसरकारी पदार्थों से क्षतिग्रस्त होता है ।
- आंतरिक कारण: एक डीएनए अणु स्वाभाविक रूप से अस्थिर होता है। कोशिका के जीनोम में रोज़ हजारों सहज परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा मानव शरीर में रोज़ लाखों बार होने वाले कोशिका के विभाजन के दौरान भी डीएनए में दोष पैदा हो सकता है।

5.15. 2015 का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार

- भौतिकी में 2015 का नोबेल पुरस्कार तकाकी कजिता (जापान) और आर्थर बी मैकडोनाल्ड (कनाडा) को संयुक्त रूप से दिया गया है। इन्होंनें न्यूट्रिनो के दोलनों की खोज की है जिससे पता

चलता है कि न्यूट्रिनो का द्रव्यमान है।

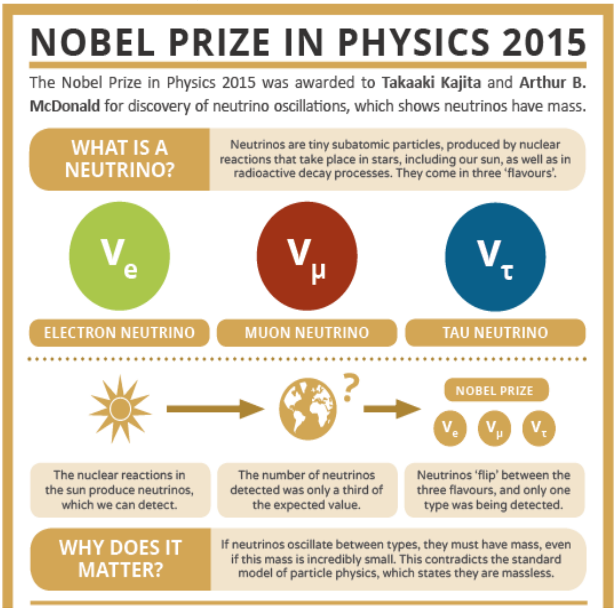

वे इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे?

- उन्होंने अवलोकन किया कि धरती की ओर आते हुए न्यूट्रिनो एक परिवर्तन से गुजरते हैं, जिस प्रक्रिया को न्यूट्रिनो दोलन कहा जाता है। अगर न्यूट्रिनो में द्रव्यमान न हो तो यह प्रक्रिया न्यूट्रिनो में नहीं हो सकती।

इस खोज का प्रभाव

- इस खोज ने पदार्थों के आंतरिक क्रियाकलाप के बारे में दुनिया की समझ को बदल दिया है और यह ब्रह्मांड के बारे में हमारे दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
- नोबेल पुरस्कार दुनिया भर में न्यूट्रिनो पर अनुसंधान करने वालों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है।

न्यूट्रिनो

- न्यूट्रिनो एक आवेशरहित उपपरमाणिक प्राथमिक कण है जो रेडियो सक्रिय तत्वों के पतन द्वारा उत्पन्न होते हैं।
- न्यूट्रिनो एक प्राथमिक कण है जिसमें आवेश नहीं होता।
- न्यूट्रिनो तीन प्रकार के होते हैं – इलेक्ट्रोन न्यूट्रिनो, मुओन (muon) न्युट्रीनो और टाऊ (tau) न्यूट्रिनो।
- न्यूट्रिनो को कई तरीकों से बनाया जा सकता है जैसे परमाणु रिएक्टरों में, सूर्य में होने वाली नाभिकीय अभिक्रियाओं से और अन्य प्रकार के रेडियोधर्मी क्षय के द्वारा।

न्यूट्रिनो के बारे में कुछ अनिर्णीत सवाल:

- तीनों प्रकार के न्यूट्रिनो के द्रव्यमान का पदानुक्रम अभी भी अज्ञात है।
- क्या न्यूट्रिनो का कोई प्रति-कण होता है, जो स्वयं से अलग है या प्रत्येक न्यूट्रिनो स्वयं का प्रति-कण है?

5.16. कॉल ड्रॉप मुद्दा: पिछले कुछ महीनों में कॉल ड्रॉप की समस्या बिगड़ती हुई

कारण:

- अपर्याप्त स्पेक्ट्रम इस समस्या की जड़ है - भारत में दूरसंचार कंपनियों के पास 12 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है जबकि वैश्विक औसत 40 मेगाहर्ट्ज है।
- यह सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम की जमाखोरी की वजह से है - उदाहरण के लिए, इस साल की नीलामी में केंद्र ने रक्षा मंत्रालय द्वारा खाली किया गया सारा स्पेक्ट्रम नीलाम नहीं किया।
- केंद्र ने हाल ही में स्पेक्ट्रम के बंटवारे के लिए एक नीति को मंजूरी दी है, परन्तु नियम काफी जटिल हैं एवं बदलाव आना बहुत कठिन है।
- नगर पालिका/निगम ने कई शहरों में विभिन्न कारणों से लगभग 10000 मोबाइल टावर हटा दिए हैं।
- इन टॉवरों की स्थापना पर एक सहज राष्ट्रीय नीति की कमी भी एक बड़ी समस्या है।

सरकार के कदम और समाधान

- मोबाइल फोन टॉवरों की कमी को पूरा करना चाहिए – देश में वर्तमान में करीब 550000 टॉवर हैं तथा लगभग 100000 टॉवरों की और जरूरत है।
- सरकार टॉवरों को सरकारी इमारतों के ऊपर लगाने पर सहमत हो गयी है।
- टॉवर स्थापित करने में होने वाली कठिनाइयों का समाधान निकाल लिया गया है।
- ट्राई ने कॉल ड्रॉप सहित ख़राब गुणवत्ता की मोबाइल सेवा देने पर दूरसंचार आपरेटरों पर लगने वाला जुर्माना 2 लाख तक बढ़ा दिया है।

5.17. चिकित्सा शास्त्र में नोबेल पुरस्कार

- 2015 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार सातोशी ओमुरा, विलियम सी कैम्पबेल और युयु टू को दिया गया है।
- मलेरिया और श्लीपद (फ़ीलपाँव) जैसे परजीवी रोगों के खिलाफ असाधारण प्रभावी उपचार के लिए यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है।

योगदान

- कैम्पबेल और ओमुरा को यह पुरस्कार गोलकृमि परजीवी की वजह से होने वाले संक्रमण के उपचार की खोज के लिए मिला।
- युयु टू ने मलेरिया के उपचार के लिए यह पुरस्कार अपने नाम किया। चीन की सांस्कृतिक क्रांति के दौरान एक गुप्त सैन्य परियोजना पर काम करते हुए युयु टू ने मलेरिया के लिए सबसे

VISION IAS

प्रभावी उपचार में से एक की खोज की।

भारत के लिए सबक: पारंपरिक ज्ञान प्रणाली

- युयु टू ने पारंपरिक हर्बल औषधि से मलेरिया की उपचार पद्धति का विकास किया। इससे भारत को लोक चिकित्सा की अपनी समृद्ध विरासत को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक तौर-तरीकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- हमारे पास पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का एक विशाल खजाना है और ये वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में दर्ज हैं।

5.18. फ्लाइट (Flyte) - तैरता प्रकाश

- फ्लाइट: वायरलेस विद्युत् संचरण निकोला टेस्ला के समय से ही जारी है। स्वीडिश इंजीनियरों ने चुंबकीय उत्तोलन को टेस्ला की प्रौद्योगिकी से जोड़ कर तैरता प्रकाश बनाया है जिसे फ्लाइट बोला जाता है।
- वायरलेस पावर मॉड्यूल करीब 5 वोल्ट बिजली संचारित करता है और पूरी तरह से सुरक्षित और हानिरहित है।
- फ्लाइट में किसी भी प्रकार की बैटरी की जरूरत नहीं होती। यह प्रेरण के माध्यम से हवा में प्रकाश को फैलाता है।
- इसका आधार बलूत, ऐश वृक्ष या अखरोट की लकड़ी से बना होता है। इसमें प्रयुक्त प्रकाश बल्ब एल.ई.डी. (Light Emission Diode) का उपयोग करता है जो उर्जा की खपत करता है और करीब 50000 घंटे तक प्रकाश देने में सक्षम हैं।

Flyte is a levitating lightbulb powered through the air.

- बल्ब को चालू या बंद करने के लिए लकड़ी के आधार की सतह को छूना होता है जिसमे कैपेसिटिव टच सेंसर लगा होता है।

आंतरिक सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था

6.1. जासूस कैम्प (शिविर) योजना

योजना का तात्कालिक कारण

- 2013 में लद्दाख क्षेत्र के देपसांग घाटी में चीन की पीपुलस लिबरेशन आर्मी (PLA) के 21 दिनों तक सामना करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम तथा अरूणाचल प्रदेश के तवांग के 50 स्थानों पर कैमरा लगाया जाए।
- परिसर/रेंज - 20 - 25 कि.मी.

COUNTERING A THREAT

India plans to lay an intricate surveillance network along the areas bordering China

EYEING LIVE FEED The initial proposal is to install 50 high-resolution surveillance cameras, well within Indian territory, to capture live feed within a range of 20 km

OBJECTIVE The proposed surveillance system is also aimed at capturing night imagery and border incursions

TEST RUN The pilot project at Thakung, a border post most prone to Chinese transgressions, has failed to give results

"Somehow, the Chinese know the exact movement of our troops. Whenever our men go for patrolling along the border, the Chinese come to know about it — A GOVT. OFFICIAL

- असफलता के कारण - इन स्थानों का वातावरण अनुकूल नहीं है क्योंकि उच्च पवन वेग तथा बर्फबारी के कारण प्रतिबिम्ब (Image) अस्पष्ट प्राप्त होते हैं ।

6.2. पुलिस नागरिक पोर्टल

- ओडिसा सरकार ने पुलिस नागरिक पोर्टल को प्रारम्भ किया है।
- राज्य के सभी 531 पुलिस थानों को इस आनलाईन पोर्टल से जोड़ दिया गया है।
- यह तकनीकी की जानकारी रखने वाले लोगों को अपने आरोपों (complaints) को आनलाइन दर्ज कराने में सहायक होगा।
- इस पोर्टल की सहायता से घर बैठा नागरिक माऊस की एक क्लिक से बहुत सी सेवायें प्राप्त कर सकता है। इसके लिए किसी पुलिस थाने जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रणाली द्वारा उपलब्ध सेवा

- चरित्र प्रमाण पत्र का जारी होना।
- रैली और प्रदर्शनी की अनुमति लेना।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) का नकल जारी होना।
- भूमि अनुबंध के सत्यता की जाँच, कर्मचारी के सत्यता की जाँच तथा गायब व्यक्ति के रिपोर्ट का पंजीकरण करना।
- लोग इस पोर्टल पर अपने द्वारा पंजीकृत या दर्ज किये गये आरोपों की प्रगति को जान सकते हैं।
- प्रतियोगिता एवं कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति।

महत्व

- तीव्र वितरण (delivery) प्रणाली समाज को लाभ पहुँचायेगी और पुलिस की छवि को सुधारेगी।
- यह पुलिस को नागरिकों के साथ एक प्रभावशाली एवं व्यवस्थित संचार स्थापित करने में मदद करेगा।

इस प्रकार के अन्य पहल

अपराध और अपराधी का पीछा करने का नेटवर्क और प्रणाली

(Crime and Criminal Tracking Network and System (CCTNS)

- यह नागरिक पुलिस के जाँच अधिकारियों को ऐसे यन्त्र, तकनीक और सूचनायें उपलब्ध कराता है जिससे अपराध और अपराधियों की पहचान और अधिक सरल एवं सहज हो जाती है।
- यह अन्य क्षेत्रों में भी पुलिस की कार्य प्रणाली को सुधारती है। जैसे कानून एवं व्यवस्था इत्यादि ।
- यह पुलिस थानों, जिलों, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्यालयों तथा अन्य पुलिस एजेन्सियों के बीच अपराध और अपराधी की सूचनाओं के हस्तान्तरण को आसान बनाता है।
- यह न्यायालयों में चलने वाले केसों की प्रगति की जानकारी रखता है।
- यह पुलिस थानों की स्वतन्त्र कार्यप्रणाली द्वारा ,पुलिस की कार्य शैली को और अधिक निष्पक्ष तथा नागरिकों के लिए मित्रतापूर्ण बनाता है।
- आई सी टी के प्रभावशाली प्रयोग द्वारा नागरिक केन्द्रित सेवाओं के वितरण को सुधारेगी।

पोलनेट (POLNET) उपग्रह आधारित पुलिस दूर संचार प्रणाली :

- पोलनेट (POLNET) देश की पुलिस दूर संचार व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए उपग्रह आधारित विस्तृत क्षेत्रीय नेटवर्क है।
- पोलनेट विभिन्न प्रकार की नवीनतम (very small Aperture Terminals) तकनीकी जैसे TDM/ TDMA, SCPC/DAMA और DVB-S का एकीकरण है।
- यह लगभग 1000 VSATs का विशाल नेटवर्क है। (VSATs को प्रत्येक राज्य की राजधानी, जिला मुख्यालय और केन्द्रीय

VISION IAS

अर्द्धसैनिक बलों के चुने हुए स्थानों पर स्थापति किया जायेगा)

- वर्तमान में पोलनेट 961 VSAT को उपलब्ध कराता है। इसके केन्द्रीय भाग दिल्ली में 11 मीटर एन्टीना के स्थापित है जिसमें VSAT नेटवर्क की सहायता के लिए सभी आवश्यक आन्तरिक तथा बाह्य यन्त्र लगे हैं। इसके द्वारा लगभग 1500 स्थानों पर आवाज (Voice), आकड़े (Data) तथा फैक्स (Fax) सुविधा उपलब्ध है।
- आनलाइन लेन देन/ विनिमय प्रक्रिया के लिए पोलनेट सम्पर्क सुविधा भी उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा NCRB कम्प्यूटरों को SCRB और DCRB) कम्प्यूटरों से जोड़ा जाता है जो राज्य या जिला मुख्यालयों को उपलब्ध है।

6.3. इंटरनेट निगरानी

यह क्या है ? - कम्प्यूटर क्रिया कलाप तथा हार्डड्राइव में संग्रहीत आकड़ों का ,कम्प्यूटर नेटवर्क जैसे इंटरनेट पर स्थानान्तरण की देख-रेख करना ही कम्प्यूटर और नेटवर्क निगरानी कहलाता है। देख-रेख प्राय: छुपाकर किया जाता है तथा इसे सरकारें, निगमों अपराधिक संगठनों या व्यक्तियों द्वारा कराया जा सकता है।

पक्ष में तर्क

- इंटरनेट युग के आगमन ने संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रता के सदुपयोग तथा दुरुपयोग के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करायें हैं। इस दौरान व्यक्ति अपनी पहचान छुपा लेता है। इसीलिये इंटरनेट शासन एवं निगरानी की सख्त आवश्यकता है।
- किसी व्यक्ति के निजी जीवन की जासूसी करना सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का दुरूपयोग नहीं होता है।
- सरकार के अनुसार केन्द्रीय देख-रेख प्रणाली (Central Monitoring System) वास्तविक सन्देशों का सूक्ष्म परीक्षण तथा उनका भेद खोलना नहीं है। यह सिर्फ कॉल्स और भेजे गये इमेल्स के नमूनों का कम्प्यूटर विश्लेषण है। यह किसी व्यक्ति के सन्देशों या वार्तालापों के विषय वस्तु की वास्तविक जासूसी नहीं है।
- इंटरनेट निगरानी खतरनाक आतंकवादी आक्रमणों को विफल करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।
- यह कानून-व्यवस्था एजेन्सियों के लिए केस के हल में सहायक होती हैं क्योंकि फोन, ईमेल और अन्य इंटरनेट वेबसाइटों (Internet Websites) पर अनेक आवश्यक जानकारी/ सूचनायें होती है।

आलोचनायें

- भारतीय संविधान निजता का अधिकार स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं करता है। 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने राजा गोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य केस में कहा कि निजता का अधिकार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अधिकार में ही समाहित है।
- केन्द्रीय देख-रेख प्रणाली का कोई संवैधानिक व्याख्या नहीं है।

भारत तथा इंटरनेट निगरानी

भारत की साइबर सुरक्षा नीति 2013 में शुरू की गई। यह दो उद्देश्यों को पूरा करती है। एक तरफ यह सुरक्षा देता है और इस प्रकार देश की रणनीतिक सम्पत्तियों तथा आनलाइन इंटेलीजेंस से सम्बंधित अवसंरचना को मजबूत करता है। दूसरी तरफ यह नागरिकों, कम्पनियों और लोक सेवाओं के आनलाइन लेन-देन पर सुरक्षा की आशा प्रदान करता है।

भारत की केन्द्रीय देख-रेख प्रणाली सरकार को देश के अन्दर सभी फोन और आनलाइन संचार की देख-रेख के लिए सम्पूर्ण शक्ति प्रदान करता है।

- इंटरनेट निगरानी स्वयं सरकार के लिए भी एक परेशानी है।
- NSA भारतीय सरकारी अधिकारियो और चुने हुए प्रतिनिधियों के वार्तालाप को रिकार्ड करता है चाहे यह फोन काल्स हो, ई-मेल हो, चैट (Chat) या स्काईप वीडियों ही क्यों न हो। भारत इलेक्ट्रानिक जासूसी का संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के लिए पाँचवा सबसे बड़ा लक्ष्य है।
- इंटरनेट निगरानी का जासूसी और राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है।
- इंटरनेट निगरानी आलोचना, प्रकटन, व्हिसलब्लोइंग तथा रचनात्मक कार्यो पर रोक द्वारा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को प्रभावित कर सकता है।
- वैश्विक आन लाईन स्वतन्त्रता लगातार पाँचवें वर्ष गिरी है क्योंकि अधिकतर सरकारें सरकार विरोधी लोगो के ब्लाग (blogs) या सामाजिक मिडिया (Social Media) पर सख्त हो गयी है तथा इलेक्ट्रानिक निगरानी को और अधिक बढ़ा दिया है।
- भारत की साइबर सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव, क्रियान्यवन और देख-रेख की शक्ति कुछ एंजेन्सियों के पास केन्द्रित है। ये एजेन्सियाँ, नागरिक समाज और उद्योग को कौन सी भूमिका अदा करती हैं अभी तक निश्चित नहीं किया जा सका है।
- निजता शक्तिशाली लोगों की बुराइयों से हमे बचाती हैं। यह विलासिता नहीं है बल्कि यह मानव के रूप में हमारे विकास का आन्तरिक भाग है।
- किसी की निजता का हनन/अतिक्रमण मानसिक तथा दुख का कारण बनता है जो शारीरिक चोट से प्राप्त दर्द से भी अधिक कष्टकारी होता है।

सुझाव

- यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि साइबर सुरक्षा नीति सरकार की विशाल और अनियन्त्रित जासूसी तन्त्र के लिए निजी सूचनाओं

के बहाव के संस्थानीकरण की स्थिति में न पहुंचे।

- सरकार का उद्देश्य अब भारत की नेटवर्क से जुड़े समाज और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा की ओर निर्देशित होना चाहिए।
- सुरक्षा मानकों का लोकतन्त्र की रक्षा करने में नागरिक स्वतन्त्रता जैसे व्यक्तिगत निजता और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता जो कि लोकतन्त्र निर्माण के मूलभूत तत्व है, को वास्तव में विकृति/पतन की स्थिति में ला सकता है। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतन्त्रता के बीच उचित समन्वय की आवश्यकता है।

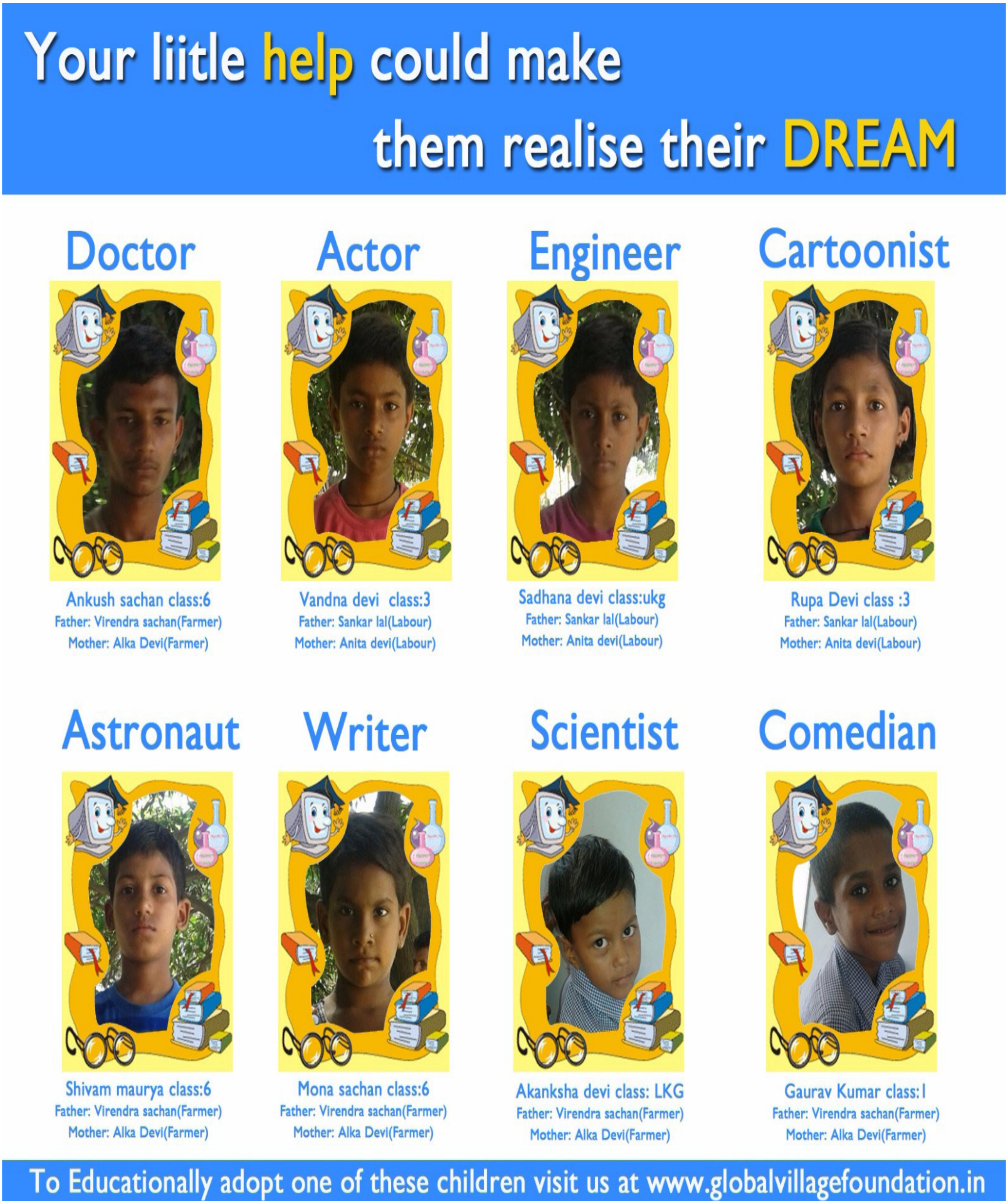

पारिस्थितिकी और पर्यावरण

7.1 जन दायित्व बीमा अधिनियम, 1991

- जन दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के अंतर्गत दुर्घटना की दृष्टि से खतरनाक इकाइयों का बीमा करवाना आवश्यक किया गया है, जोकि ज्वलनशील माने गए लगभग 179 रसायनों तथा यौगिकों का प्रयोग करती है।यह बीमा किसी रासायनिक दुर्घटना के होने पर उत्पन्न आपदा से निपटने के लिए आवश्यक मौद्रिक प्रबंधन की व्यवस्था का कार्य करेगा।
- इस बीमा द्वारा मिली क्षतिपूर्ति राशि को आपदा से प्रभावित होने वाले उन लोगों को दिया जाएगा, जोकि संबंधित कंपनी के कर्मचारियों के अतिरिक्त होंगें । इस अधिनियम के माध्यम से 'पर्यावरण राहत कोष' का निर्माण किया गया तथा उपरोक्त वर्णित समस्त इकाइयों को इस कोष में अभिदान देना पड़ता है।

चर्चा में क्यों:

पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जन दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के उचित व बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिये। केंद्रीय मंत्रालय ने समस्त राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा केंद्रशासित प्रदेशों की प्रदूषण समितियों को निर्देशित किया है कि किसी भी कंपनी को लाइसेंस प्रदान करने या लाइसेंस के नवीनीकरण करने से पूर्व जन दायित्व बीमा प्रावधान की कसौटी पर उन्हें परख लेना चाहिए ।

7.2 जलवायु परिवर्तन: अंटार्कटिक हिमचादर पर प्रभाव

- जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल(आई.पी.सी.सी.) के अनुसार इस सदी में सामुद्रिक जलस्तर में 5 सेमी. का उत्थान हो जाएगा।
- पिघलते हुए ग्लेशियरों के नए प्रारूपों पर नासा की रिपोर्ट अगले 50 वर्षों में तटीय नगरों के निर्जन होने का अंदेशा जताती है। एक अन्य शोध के अनुसार यदि तापमान के वर्तमान स्तर में 1.5 से 2 प्रतिशत की भी वृद्धि हुई तो अंटार्कटिक की हिमचादरों का प्रलंयकारी विनाश होगा। अंटार्कटिका की हिमचादर का विनाश होने से समुद्रिक जलस्तर में सैंकड़ों नहीं अपितु हजारों वर्षों के लिए उत्थान हो जाएगा। हालांकि नई और परिमार्जित व्यवस्था पर आधारित यह रिपोर्ट आई.पी.सी.सी. की खोज से साम्यता नहीं रखता है।

कारण

- मानव जनित (ताप प्रदूषणकारी तत्वों के कारण) उत्पन्न भूमंडलीय तापन का लगभग 93 प्रतिशत हिस्सा अंतत: सागर में समाहित हो जाता है, और यह गर्म समुद्रीय जल अंटार्कटिका हिमचादर के गतिशील किनारों से टकराता है इससे हिमचादर पिघल रही हैं अगर इसी रफ्तार से हिम चट्टानों का पिघलना जारी रहा तो एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2100 तक जलस्तर 40 सेमी. तक बढ़ जाएगा।

7.3 हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन

- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना(एन.ए.पी.सी.सी.) के अंतर्गत रेखांकित आठ योजनाओं में एक ग्रीन इडिया भी है।

लक्ष्य

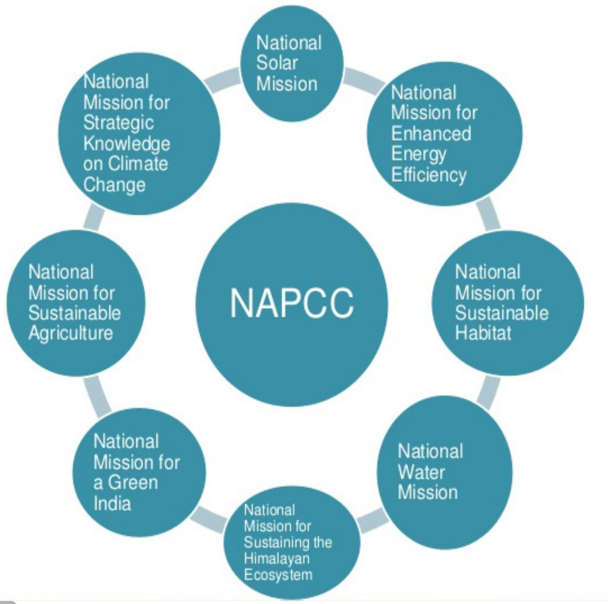

- देश में वन्य भूमि के विस्तार को 50 लाख हैक्टेयर तक बढ़ाना तथा अन्य 50 लाख हैक्टेयर वन्य तथा गैर वन्य भूमि की गुणवत्ता में सुधार करना। 30 लाख परिवारों की वन आधारित आजीविका में वृद्धि करना।कार्बन प्रच्छादन तथा भंडारण जैसी सेवाओं के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता बढ़ाना ।जैव विविधता का संरक्षण करना आदि।

प्रमुख विषेशताएं

- ग्रीन मिशन एक संपूर्तावादी दृष्टिकोण के साथ कार्य करने के उद्देश्य से प्रभाव में लाया गया है इसके अंतर्गत बहुआयामी पारिस्थितिकी सेवाओं को प्रमुखता दी जाएगी, जैसे- जैव विविधता, जल,जैवभार, मैंग्रोव संरक्षण, आर्द्र भूमि, संकटाग्रस्त प्राकृतिक आवासों आदि के संरक्षण के लिए के इस मिशन के अंतर्गत कार्य किया जाएगा।
- इस मिशन में एकीकृत परस्पर क्षेत्रीय दृष्टिकोण को अपनाया गया है, यह मिशन सार्वजनिक के साथ-साथ निजी भूमि पर भी लागू किया जाएग। जिसमें योजना बनाने, निर्णय लेने, लागू करने तथा इसकी निगरानी करने में स्थानीय समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

VISION

- वनों का प्रभाव खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, जैवविविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन की रोकथाम तथा वनों पर निर्भर समुदायों की आजीविका पर पड़ता है।यह मिशन वातावरण सुधार की प्रक्रिया में वनों के महत्व को स्वीकार करता है।
- इस मिशन में विकेंद्रीकृत भागदारी प्रक्रिया को अपनाया गया है इसमें जमीनी स्तर के संगठनों तथा स्थानीय समुदायों के द्वारा योजना निर्माण, निर्णय प्रक्रिया, कार्यक्रम के क्रियान्वयन तथा इसकी निगरानी का कार्य किया जाएगा।

मिशन को लागू करने वाली संस्थाएं

- राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वायत्तशासी संस्था समावेशी संचालन परिषद के साथ इस मिशन के संचालन का कार्य करेगी। राज्य तथा जिला स्तर पर इसे लागू करने के लिए राज्य वन सुधार संस्था तथा जिला वन सुधार संस्थाओं को कार्य सौंपा जाएगा। ग्राम स्तर पर ग्राम सभाएं तथा शहरों में वार्ड समितियाँ नगर पालिका समितियों व वन विभाग के सहयोग से इस मिशन का कार्य करेगें ।
- इस मिशन की निगरानी 4 स्तरों पर की जाएगी: जिसमें प्रमुखत: स्थानीय समुदायों तथा कर्मचारियों द्वारा स्वत: निगरानी,रिमोट सेंसिग, तथा किसी अन्य तीसरी संस्था से निगरानी करवाना शामिल हैं।

चर्चा में क्यों

वर्तमान में इस मिशन में चार राज्यों यथा – मिजोरम, मणिपुर, झारखण्ड तथा केरल के द्वारा बनाई गई योजना को ग्रीन इंडिया मिशन की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति ने स्वीकार कर लिया है।

7.4 जलवायु परिवर्तन पर संदेश देती साइंस एक्सप्रेस

वातावरण परिवर्तन पर अजब विशेषत: बच्चों तथा युवाओं को जागरुक करने के उद्देश्य से यह स्पेशल साइंस एक्सप्रेस चलाई जा रही है।इस बार इस एक्सप्रेस को जलवायु परिवर्तन पर अगले वर्ष दिसंबर माह में पेरिस में होने वाली वैश्विक पर्यावरण बैठक के प्रकाश में चलाया जा रहा है।

एक्सप्रेस की प्रमुख विशेषताएं

इस ट्रेन में वातावरण पर जागरुकता के उद्देश्य से अनुकूलन, जलवायु परिवर्तन पर रोकथाम,जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए भारतीय कार्यवाही जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते, प्रकृति का संरक्षण, भारत में हो रहे शोध, विज्ञान प्रयोगशालाएं, जैव-तकनीकि प्रयोग आदि को प्रदर्शित किया जाएगा।

साइंस एक्सप्रेस पिछले आठ वर्षों से सफलता पूर्वक चल रही है, पिछले वर्ष इसका मूल विषय जैव विविधता थी।

7.5 अमेरिका-चीन पर्यावरण समझौता

- अमेरिका ने इस समझौते में अपनी हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में 26 से 28 प्रतिशत की कमी करते हुए इसे वर्ष 2025 तक 2005 के स्तर तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। चीन ने कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में वर्ष 2030 तक कमी लाने तथा अपनी कुल उर्जा क्षमताओं का 20 प्रतिशत हिस्सा गैर-जीवाश्म ईंधन से पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- अमेरिका तथा चीन दोनों मिलकर समस्त वैश्विक हरित गृह गैसों के एक- तिहाई हिस्से का उत्सर्जन करते हैं। यह समझौता वातावरण सुधार पर वैश्विक आम सहमति बनाने तथा अगले वर्ष दिसंबर में पेरिस में होने वाले सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर नये समझौते का मार्ग तैयार करेगा।

7.6 अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची

- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ(आई. यू.सी.एन.) की वर्ष 2015 की लाल सूची के अनुसार भारत में 180 पक्षी प्रजातियां संकट में हैं, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 173 थी।
- पांच प्रजातियां संकट मुक्त सूची से बढकर संकट सन्निकट सूची में शामिल हो गई हैं, जोकि प्रजातियों पर बढ़ते खतरे का परिचायक है। इन प्रजातियों में उत्तरी लैपविंग घास के मैदानों की पक्षी तथा चार अन्य आद्र भूमि की पक्षी प्रजातियां शामिल हैं, जिनके नाम रेड नॉट, कर्ल्यु सैंडपाइपर, यूरेशियाई ऑस्ट्रीकैचर तथा बार टेल्ड गॉडविट है।
- दो अन्य आद्र भूमि की पक्षी प्रजातियां हॉर्न्ड ग्रैब तथा कॉमन पोचार्ड संकट मुक्त प्रजाति सूची से निकलकर असुरक्षित प्रजाति सूची में पहुंच गई हैं। जबकि शीत ऋतु में भारत आने वाला स्टेप गिद्द इस सूची में संकट मुक्त से संकटग्रस्त अवस्था में पहुंच गया है। आई.यू.सी.एन. की लाल सूची में संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या प्रत्येक आंकलन के बाद बढ़ रही है, जोकि गहन चिंता का विषय है।
- लाल सूची में संकटग्रस्त प्रजातियों की बढ़ती संख्या का कारण
- घास के मैदानों, आद्र भूमियों तथा वनों का ह्रास। पशुओं को दिये जाने वाली डाइक्लोफैन्स जैसी दवाओं से गिद्ध आदि प्रजातियों पर संकट आ गया है, जो कि मृत पशुओं को खाकर पर्यावरण की स्वच्छता में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते है।

7.7 कार्बन कर

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख के अनुसार कार्बन उत्सर्जन पर कर लगाने का समय आ गया है, जबकि ऊर्जा के लिए दिए जा रहे अनुदानों को अब खत्म कर देना चाहिए। इस वर्ष उर्जा अनुदान के रूप में 5.3 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर प्रदान किए गए जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 6.5 प्रतिशत हिस्सा है।

कार्बन कर के लाभ

- यह प्रदूषण को हतोत्साहित करेगा। कार्बन कर , हरित गृह गैसों

VISION IAS

को कम करने का आर्थिक रूप से उचित तरीका प्रस्तुत करेगा । यह कर धनी राष्ट्रों द्वारा निर्धन राष्ट्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर दिए जाने के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करेगा। पिछले वर्ष धनी राष्ट्र लक्ष्य से 38 अरब डॉलर पीछे रह गए थे।

आलोचना

- कार्बन कर के लगाए जाने से उद्योगों व अन्य प्रतिष्ठानों के अन्यत्र स्थान पर जाने की संभावना बढ़ेगी, जिससे स्थानीय लोगों के रोजगार पर संकट आने की संभावना बढ़ेगी। इस कर के द्वारा उत्पादन लागत बढ़ेगी जिससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। कार्बनिक पदार्थों से विधुत उत्पादन में लगी बड़ी शक्तियां जैसे अमेरिका, रूस तथा चीन आदि इस कर का विरोध कर रहे हैं।

भारत और कार्बन कर

- भारत ने सर्वप्रथम वर्ष 2010 में आयात व उत्पादन दोनों स्थिति में 50 रुपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से कोयले पर कर लगाया था, 2014 में इसे 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया। यह कर बाद में बढ़ाकर 100 रुपये प्रति टन तथा फिर 2015-16 के बजट में 200 प्रति टन कर दिया गया। यह कर भारत को कार्बन डॉइ ऑक्साइड के स्तर को घटाने के अपने स्वैच्छिक लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान करेगा।

7.8 जलवायु परिवर्तन : अतिसंवेदनशील चाय उद्योग पर प्रभाव

चाय उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक

- चाय उत्पादक क्षेत्रों की सागर तल से ऊंचाई,वर्षण, तापमान, मृदा की नमी,प्रकाश की उपलब्धता तथा तीव्रता, आद्रता,आवास की उपलब्धता,छाया तथा कार्बन डॉइ ऑक्साइड की सांद्रता आदि कारक चाय की खेती को प्रभावित करते हैं।
- चाय वर्षा सिंचित बारह मासी फसल है|

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव

- असम में सदैव जलवायु जोखिम की स्थिति बनी रहती है, जोकि प्रति वर्ष मानसूनी वर्षा से ब्रह्मपुत्र नदी में आने वाली बाढ़, मृदा जल भराव से लेकर शीत ऋतु में होने वाला वर्षण तथा मौसमी सूखे की मार से प्रभावित रहता है।
- क्षेत्रीय प्रचलन के विश्लेषण से यह तथ्य उभर कर सामने आ रहा है कि उत्तरीपूर्वी राज्यों विशेषत: असम में औसत माध्य तापमान बढ़ता जा रहा है, जबकि औसत माध्य वर्षण में कमी आ रही है। ऐसे कारक चाय की फसल को प्रभावित करते हैं, जिससे इस पर निर्भर समुदायों (उत्पादकों, श्रमिकों, व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं) की आजीविका प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है।
- पारंपरिक रूप से चाय की खेती वर्षा की भरपूर उपलब्धता पर निर्भर रही है, लेकिन वर्षा की अनिश्चितताओं के कारण अब सिंचाई के साधनों का भी प्रयोग किया जा रहा है। चाय की गुणवत्ता में भी परिवर्तन आया है तथा चाय के पौधों पर कीटों का प्रकोप बढ़ा है।

सुझाव

- चाय के बागानों को मौसम के साथ स्वयं को अनुकूलित करने के लिए तैयार करना चाहिए, ताकि चाय उद्योग मौसम की अनिश्चितता के नकारात्मक प्रभाव का सामना प्रभावी रूप से कर पाए। इस दिशा में टाटा अनुसंधान संस्थान तथा साउथंपटन विश्विद्यालय के द्वारा संयुक्त रूप से परियोजना प्रारंभ की गई है।

7.9 हरित बॉंड बाजार

- हरित बॉंड तरल वित्तीय संसाधन तथा स्थिर आय प्रवाह है, जोकि वातावरण संरक्षण, अनुकूलन तथा अन्य पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं। विश्व बैंक वर्ष 2008 से अब तक 18 प्रकार की मुद्राओं में कुल 8.5 अरब डॉलर मूल्य के हरित बॉंड जारी कर चुका है तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम 3.7 अरब डॉलर के बॉंड जारी कर चुका है।
- हरित बॉंड पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त परियोजनाओं को वित्तीय उपलब्धता तथा निवेशकों की संख्या में विस्तार करने के लिए प्रचलन में लाए गए। अतर्राष्ट्रीय हरित बॉंड बाजार का आकार इस वर्ष लगभग 40 अरब डॉलर होने का अनुमान है, इस बाजार के भारत तथा चीन जैसे देशों में विस्तार की प्रबल संभावनाएं हैं। भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन गहनता को वर्ष 2005 के स्तर से 33 से 35 प्रतिशत तक कम करना है। इसी क्रम में भारत में भारत का लक्ष्य अपनी ऊर्जा का 40 प्रतिशत(लगभग 350 गीगावाट) गैर-जीवाश्मीय संसाधनों से प्राप्त करना है, जोकि हरित बॉंड बाजार में भारत का हिस्सा बढ़ाने में सहायक सिद्द होगा।

भारत में ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतो के विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण चिंताएं

- राज्य विद्युत मंडलों द्वारा उनकी विकट आर्थिक स्थिति का हवाला देकर नवीकरणीय स्त्रोतों से उत्पन्न ऊर्जा को खरीदने में निरुत्साह प्रकट करना। राज्य विद्युत मंडलों पर 3.04 ट्रिलियन डालर के कर्ज तथा 2.52 ट्रिलियन डालर के घाटे के कारण गहन आर्थिक संकट के बादल छाए हुए हैं।

नवीकरणीय स्त्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने के भारत के इतने आशावादी लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक वित्त की पूर्ति के लिए विभिन्न माध्यमों से वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करनी पड़ेगी।

VISION IAS

7.10 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने पुराने वाहनों पर लगाई रोक

- नवंबर 2014 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों के दिल्ली में संचालन पर रोक लगाई थी, न्यायाधिकरण के इस फैसले को लेकर उसकी आलोचनाएं की गई तथा कहा गया कि न्यायाधिकरण तथा न्यायालय में अंतर होता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर हरित न्यायाधिकरण का समर्थन करते हुए कहा कि वह सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित कोई भी निर्देश दे सकता है, तथा इसके साथ ही हरित न्यायाधिकरण किसी भी फैसले की न्यायिक पुनर्विलोकन व विभिन्न कानूनों के अंतर्गत पारित अधिसूचनाओं की वैद्यता की जांच भी कर सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का आधार
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला देते हुए जुलाई 2014 में हुए एक फैसले का संज्ञान लिया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय हरित न्यायालय को न्यायालय घोषित किया गया था। हरित न्यायालय के इस आदेश को किसी भी न्यायालय में कोई स्थगनादेश नहीं मिला और यह आसानी से लागू हो गया।

7.11 जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रतिबद्धता

इंटेंडेड नेशनली डिटरमांइड कॉंट्रीब्यूशन(आई.एन.डी.सी.)

- आई.एन.डी.सी. भारत द्वारा नए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत वर्ष 2020 के पश्चात् लिए जाने वाले पर्यावरणीय क्रियाकलापों को रेखांकित करता है।

भारत के आई.एन.डी.सी. के महत्वपूर्ण प्रस्ताव

- वर्ष 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन गहनता को वर्ष 2005 के स्तर से 33 से 35 प्रतिशत तक कम करना तथा वनों के विस्तार तथा वृक्षारोपण के माध्यम से वर्ष 2030 तक एक अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना जो कि 2.5 से 3 अरब टन कार्बन को सोख सके कुल ऊर्जा क्षमता के अंतर्गत गैर-जीवाश्मीय ईंधन की मात्रा का बिस्तार करना। इसके अलावा संतुलित व धारणीय जीवनचर्या, स्वच्छ आर्थिक विकास, तकनीकि हस्तांतरण तथा क्षमता निर्माण का लक्ष्य आई.एन. डी.सी. के अंतर्गत रखा गया है।

जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की उपलब्धियां

- भारत में कार्बन उत्सर्जन के स्तर को घटाने तथा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक नीतियों का प्रसार किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन गहनता में वर्ष 2005 से 2010 के मध्य 12 प्रतिशत की कमी आई है। वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा तथा जलविद्युत भारत की कुल ऊर्जा क्षमता का 30 प्रतिशत हिस्सा उत्पादित करते हैं।भारत ने वर्ष 2002 से 2015 के मध्य नवीकरणीय ऊर्जा के प्रसार के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया, जिससे भारत की नवीकरणीय ग्रिड की क्षमता 6 गुना बढ़ गई।भारत विश्व के कुछ चुनींदा देशों में से एक है, जहां पिछले वर्षों में वन क्षेत्र का विस्तार हुआ है, भारत के कुल 24 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वनों का विस्तार है।

भारत के आई.एन.डी.सी. का महत्व

- भारत ने यह स्पष्ट किया है कि आई. एन.डी.सी. द्वारा निर्धारित कार्यक्रम का पालन स्वच्छ तकनीकि तथा वित्तीय संसाधनों की निर्बाध आपूर्ति पर निर्भर करता है।भारत की यह स्थिति वातावरण संबंधी समझौतों को निर्धारित करने वाले सिद्धांत ' साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व' से मेल खाती है।
- भारत द्वारा घोषित की गई आई.एन.डी.सी. समेकित, संतुलित, न्यायसंगत तथा तार्किक है तथा यह अपने समस्त तत्व जैसे अनुकूलन, उन्मूलन, वित्त, तकनीकि हस्तांतरण, क्षमता निर्माण तथा क्रियाकलापों में पारदर्शिता तथा सहयोग को संबोधित करती है।
- भारत ने कर्क तथा मकर रेखा के मध्य स्थित सौर ऊर्जा संपन्न राष्ट्रों के एक समूह के निर्माण के लिए सूत्रधार बनने का निर्णय लिया है।
- भारत ने आई.एन.डी.सी. के निर्धारण के समय समस्त आवश्यक मंत्रियों, राज्य सरकारों, चिंतकों, तकनीकि व अकादमिक संस्थाओं तथा नागरिक संस्थाओ से विचार विमर्श किया। भारत

VISION

को अपने उत्सर्जन को कम करने के साथ ही अपने आर्थिक विकास को भी बनाये रखना होगा।

आलोचना

- आई.एन.डी.सी. के आंकड़ों के अनुसार भारत को वर्ष 2030 तक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कम से कम 2.5 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यक्ता पड़ेगी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना संभव नहीं हो पाएगी।उत्सर्जन में कमी लाने से देश के आर्थिक विकास पर असर पड़ेगा, इसके लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यक्ता पड़ेगी।

आई.एन.डी.सी. की प्राप्ति के लिए उठाए गए कदम

- सरकार अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाएं चला रही हैं, जिसके अंतर्गत 25 सौर उद्यानों, अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं, नहरों पर सौर परियोजनाओं तथा किसानों को एक लाख सौर पंप को दिए जाने की परियोजना अपने संचालन के विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है।
- विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता में नियमानुसार तथा अनिवार्य रूप से सुधार किए जायेंगें । पूरे भारत में धीरे –धीरे ऊर्जा के बी.एस .-4, बी.एस.-5 तथा बी.एस.-6 मानक के ईंधन को उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नगरीय परिवहन व्यवस्था में व्यक्तिगत वाहनों के स्थानों पर सार्वजनिक तीव्र गति वाली परिवहन व्यवस्था पर बल दिया जा रहा है।
- सरकार का दीर्घावधि लक्ष्य वनों का विस्तार करना है, जिसकी प्राप्ति के लिए सरकार 'हरित भारत मिशन', 'हरित हाइवे योजना', 'वनों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन', नदियों के किनारे वृक्षारोपण तथा 'क्षतिपूरक वनीकरण प्रबंधन कोष तथा योजना प्राधिकरण' का निर्माण किया गया है।
- भारत ने वर्ष 2030 तक कुल ऊर्जा क्षमता का 40 प्रतिशत हिस्सा गैर-जीवाश्मी ईंधन से निर्मित करने का लक्ष्य रखा है।

पेरिस सम्मेलन से भारत की अपेक्षाएं

- पेरिस सम्मेलन में भारत एक संतुलित समझौते की आशा करता है जो कि समस्त विषयों जैसे उन्मूलन, अनुकूलन, वित्त, तकनीकि, क्षमता निर्माण जैसे सिद्धांतों को महत्ता प्रदान करे। विकसित तथा विकासशील देशों से नया तथा उम्मीदानुसार वित्त की आपूर्ति, तकनीकि विकास, हस्तांतरण तथा प्रसार का प्रावधान। इसके अतिरिक्त पेरिस सम्मेलन के अंतर्गत हानि व क्षति को भी समाविष्ट किया जाए तथा 'वारसा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र' को भी परिचालित किया जाए।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS